

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 1

सोलहवीं विधान सभा के पहले सत्र का बयालीसवां दिवस

संख्या: 7

मंगलवार,

30 जनवरी 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। राम-राम।

अनेक माननीय सदस्य: जय श्री राम। जय श्री राम।

श्रद्धांजलि

शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि। माननीय सदस्य गण, आज शहीद दिवस है। आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है कि दो मिनट मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।

(30 जनवरी के शहीद दिवस के अवसर पर सदन द्वारा देश की सेवा करते शहीद हुए दिवंगतों के प्रति दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न काल। श्री रफीक खान।

जयपुर के केन्द्रीय कारागृह का अन्यत्र स्थानान्तरण

56. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- क्या सरकार केन्द्रीय कारागृह जयपुर को कैदियों की संख्या तथा सुरक्षा एवं घनी आबादी के बीच में स्थित होने के कारण शहर से बाहर अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में जनाधिक्य की समस्या हेतु जयपुर जेल के सजायाफता बंदियों हेतु विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालादास (दौसा) संचालित कर दिया गया है। वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर को अन्यत्र स्थान

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में वैकल्पिक जमीन की उपलब्धि, कैदियों की संख्या व सुरक्षा एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या सरकार कोई आल्टरनेट जमीन के लिए भविष्य में विचार रखती है? जयपुर की सेन्ट्रल जेल में कुल मेल और फिमेल कैदियों की संख्या कितनी है और उनकी केपेसिटी कितनी है? क्या यह सही है कि शहर में जेल असुरक्षित हो गयी है? जेल में हर तरह के एशोआराम से सम्बन्धित सामग्री कैदियों को मिल रही है। मोबाइल फोन जिससे मुख्य मंत्री तक को धमकी मिल जाती है, को रोकने का आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

मैं तीन-चार अखबारों की कटिंग आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 17.01 को दैनिक भास्कर लिख रहा है कि बीकानेर जेल में बंद अपराधी 842, बाहरी लोगों के संपर्क में। 18.01 में, जेल से 100 नंबर पर कॉल और कैदी की धमकी कि सी.एम. को शूट आउट करूंगा। 10.01 को सेन्ट्रल जेल बंदी ने मोबाइल निगला। इन सब बातों को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल जेल जो है, उसमें कुल केपेसिटी 1173 कैदियों की है। जो कनविकटेड हैं, जिनको सजा दे दी गयी है, वह 406 हैं। जो अंडर ट्रायल हैं वह 1181 हैं। यानि कि कुल 1587 हैं और केपेसिटी 1173 की है। इसलिए श्यालावास के अन्दर 700 कैदियों के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल रही है। जिसमें से 340 वहाँ पर अभी हैं। 64 सेन्ट्रल जेल से वहाँ गये हैं। महिलाओं के बारे में आपने पूछा। जो डिस्ट्रिक्ट जेल महिलाओं की यहाँ पर है सेन्ट्रल जेल परिसर में, उसमें 250 की केपेसिटी में 95 महिला कैदी हैं। जो मर्द हैं उसमें 500 में से 499 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यही अर्ज है कि अभी आपकी सरकार ने 19 नये जिले बनाये हैं। उन सभी में डिस्ट्रिक्ट जेल बनेंगी। नंबर वन। उससे क्या होगा कि इन जेलों में से जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ से कैदी वहाँ शिफ्ट होंगे।

नंबर दो, माननीय सदस्य का मेन उद्देश्य जो मुझे लग रहा है, वह यह है कि आपके कार्यकाल में, जब सरकार आपकी थी तो आप उस 70 बीघा जमीन को ज्वैलरी हब बनाने की कोशिश कर रहे थे। 5 साल आप सरकार में थे। आपके पास कितना समय था? उसी टाइम आप वित्तीय स्वीकृति दिलाकर शिफ्ट कर देते। लेकिन आपने नहीं किया। यह डिस्ट्रिक्ट जेल बनने से हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या यह सही नहीं है कि शहरों में जेलें असुरक्षित हो गयी हैं? जिस तरह से मोबाइल मिले हैं और मुख्य मंत्री तक को धमकियां मिली हैं, उसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिये, असुरक्षित एक चीज है और केपेसिटी एक चीज है। कई जगह मोबाइल की स्मगलिंग वगैरह, हर जेल में वारदातें आती रहती हैं। लेकिन मेरा यह सोचना है कि आज जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे कोटा है, अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, अंत में यह जो वैल्युएबल जमीन है बिलकुल शहर के अन्दर और थोड़ी कैदियों की सिक्योरिटी की रिस्क भी होती है। इतनी घनी आबादी के अन्दर कोई निकल जाये, कर जाये। It is a threat to human life. अंत में यह वैल्युएबल जमीन के एवज में इनको शिफ्ट किया जायेगा। वर्तमान में हम विचार करते हैं और इसमें देखते हैं। जैसा मैंने बोला कि अभी जो काफी लोड है, यह जो हमारे जिला जेल बनेंगे उससे शिफ्ट होगा। लेकिन आपका सुझाव अच्छा है। यह सभी बड़े शहरों में कितने साल बाद, वित्तीय संसाधन मिलने के बाद में अंत-पंत में यही होगा।

श्री अध्यक्ष: कम से कम संभाग केन्द्रों पर तो आपको विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

डग में श्मशान व कब्रिस्तानों में विकास कार्य

57. श्री कालूराम (डग): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डग में श्मशान, कब्रिस्तान के विकास एवं रख-रखाव के कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस योजनान्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में निर्मित श्मशान, कब्रिस्तान का कार्य अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो उक्त को कब तक पूर्ण एवं मरम्मत करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम पंचायतों को श्मशान, कब्रिस्तान का विकास एवं रख-रखाव का कार्य नरेगा से करवाये जाने का अधिकार है? यदि हां, तो डग विधान सभा क्षेत्र में उक्त कार्य कब तक करवा लिये जाएंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डग में श्मशान, कब्रिस्तान के विकास एवं रखरखाव के कार्य करवाये हैं? यदि हां, तो किस-किस योजनान्तर्गत एवं किस प्रक्रिया अनुसार? क्या?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न पढ रहे हैं। मंत्री जी प्रश्न पढ रहे हैं।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): जी हां। विधान सभा डग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं।

श्री अध्यक्ष: जी हां। उत्तर आ गया। उत्तर ही पढ रहे हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): उत्तर पढो उत्तर।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): आप क्यों उठ रहे हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, धारीवाल जी, माननीय सदस्य।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): आप बिना बात के ही, मैं उत्तर पढ़ रहा हूँ ना।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कल भी आपको चेतावनी दी थी। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्य, आपको कल भी चेतावनी दी थी कि बिना पूछे आप खड़े नहीं होंगे।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय धारीवाल जी, सुनो।

श्री अध्यक्ष: आपने बता दिया।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): आप सुनिये, विधान सभा क्षेत्र डग में अगर आपकी भी वहां रुचि हो तो।

श्री अध्यक्ष: जवाब पढ़िये।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री किरोड़ी लाल): (1) जी हां। विधानसभा क्षेत्र डग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना से 214, विधायक मद से 2, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना से 7 तथा एफएफसी/एसएफसी से 7 श्मशान, कब्रिस्तान के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

उक्त कार्य योजनाओं की मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जी हां। विधानसभा क्षेत्र डग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना में 104, विधायक मद में 1, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना में 3 कार्य श्मशान, कब्रिस्तान विकास के कार्य प्रगति पर हैं जिनको शीघ्र पूर्ण करवा दिया जायेगा। उक्त कार्यों में कोई भी कार्य क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं है।

(3) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित श्मशान का विकास कार्य अनुमत है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित श्मशान के एक बारगी मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण और पुनर्वास किया जाना अनुमत है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में श्मशान विकास एवं रखरखाव से संबंधित कार्य, ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होने पर नियमानुसार स्वीकृति कर संपादित किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 214 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत बनाये गये हैं और 7 एफएफसी/एसएफसी से बनाये गये हैं। इन्होंने बताया है कि कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं है। देखने में यह आता है कि कम से कम आधे से ज्यादा श्मशानों में चद्दर ही नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में जो श्मशान घाट बनाये गये थे, उनको अपनी सरकार क्या सही कराने की मंशा रखती है? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

Jyg/rtm/30.01.24/11.10/1b

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में डालना चाहता हूँ कि श्मशान एवं कब्रिस्तान 230 स्वीकृत किए गए थे उनमें से 122 बन

गए, 108 निर्माणाधीन है, अधूरे जो पड़े हैं और ये जो बता रहे हैं उनमें कोई क्षति है तो मनरेगा में एक बार उसका जो डैमेज हुआ है उसको स्वीकृत करके कराया जा सकता है, दुबारा क्षतिग्रस्त होगा तो नहीं कराया जाएगा। माननीय सदस्य यदि ऐसी कोई सूची दे देंगे तो हम उसकी स्वीकृति जारी कर देंगे।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 104 अभी अधूरे बता रहे हैं, 4 और अन्य मद से, ऐसे करके 108, ये 108 साल 2018 से स्वीकृत थे। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो 2018-19 में स्वीकृत हुए और मौके पर कोई काम नहीं हुआ और दस-दस, बारह-बारह लाख रुपये इनमें उठ गए हैं। क्या जिन पंचायतों ने यह राशि उठा ली है उनके खिलाफ हम कोई कार्यवाही करेंगे या कोई अधिकारी या कोई जेटीए ने गलत एमबी भरी है तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रमाण सहित शिकायत देंगे तो पूरी जांच करके दंडित किया जाएगा। 2018 से पेंडिंग है, पिछली सरकार ने सुस्ती बरती, कोई बात नहीं, हम तेज गति से कार्य कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है इसी में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि अल्टीमेटली सबको लास्ट में वहीं जाना है। काफी जगह जो शमशान घाट और कब्रिस्तान हैं, इन पर अतिक्रमण हैं, या कई शमशान घाट या कब्रिस्तान आज भी रिकॉर्ड में नहीं है। क्या सरकार कोई अभियान चलाकर जो रिकॉर्ड में नहीं है उनको रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कोई मंशा रखती है?

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): शमशान या कब्रिस्तान पर जहां भी अतिक्रमण होता है, जिला प्रशासन उसको हटाता है और अगर बेशुमार कॉलोनी भी बस गई है तो आप इस बात की जानकारी दें, उस पर यदि अतिक्रमण है तो हम राजस्व मंत्रीजी को नोटिस लाकर, मैं उनको कहता हूं, उनको हटा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं

58. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला अस्पताल बहरोड़ में जिला अस्पताल स्तर की पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे?

(2) उक्त अस्पताल में कितने पद स्वीकृत व कितने रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे?

(3) क्या जिला अस्पताल बहरोड़ जिला अस्पताल स्तर का भवन है? यदि नहीं, तो उक्त

स्तर का भवन कब तक तैयार करवा दिया जाएगा?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जिला चिकित्सालय बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड (पूर्व जिला अलवर) को दिनांक 23.05.2022 को 125 शय्याओं से वृद्धि कर 150 शय्याओंयुक्त जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की पदों सहित स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्तमान में जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में संचालित है।

सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय बहरोड में जिला अस्पताल स्तर की पर्याप्त सुविधाएं/संसाधन जैसे परिवार कल्याण, टीकाकरण, आपातकालीन सेवाएं (104/108) ट्रोमा, आईसीयू, ब्लड स्टोरेज यूनिट तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) एवं जांच योजना अन्तर्गत आवश्यक दवाइयां व जांचें आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(2) जिला चिकित्सालय बहरोड में विशेषज्ञ/चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों काविवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक से उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किए जाएंगे।

जिला चिकित्सालय बहरोड में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों काविवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) पर 6000 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कार्मिक लगाये गये हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जिला अस्पताल बहरोड वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित है।

भारत सरकार की एनएचएम पीआईपी वर्ष 2022-23 के तहत राशि रु. 4093.00 लाख की स्वीकृति उप जिला अस्पताल के लिए प्राप्त हुई है एवं दिनांक 22.09.2023 को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त उप जिला अस्पताल का नव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

जिला अस्पताल स्तर के भवन निर्माण हेतु राशि रु. 3407.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। जिला अस्पताल स्तर को भवन निर्माण, चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): माननीय मंत्री महोदय, बीच में टोक रहा हूं। मैं आपके इस लिखित जवाब से संतुष्ट हूं। मुझे जो पूछना है उसका बता दें आप तो।

श्री अध्यक्ष: हां, सप्लीमेंट्री पूछिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): जिला अस्पताल के अन्दर मनुष्य आता है कि उसकी जिन्दगी बचेगी, उसको सुविधाएं मिलेगी। हमारे बहरोड का जो जिला अस्पताल है शायद

पहला ही जिला अस्पताल हो सकता है जहां पर सीटी स्कैन नहीं है। जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है। अल्ट्रा साउण्ड मशीन नहीं है। एमआरआई मशीन नहीं है। डिजिटल एक्स-रे मशीन कभी आई थी वो भी खराब पड़ी हुई है। मुझे तो आप स्पेसिफिक यह बता दें कि जब जिला अस्पताल है, उसके अन्दर नोर्म्स में आता है कि ये सब सुविधाएं होनी चाहिए तो ये कब तक आप उसके अन्दर अवेलेबल करवा देंगे, मेरा बस यही सवाल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन मेरे सामने आया था उसमें माननीय सदस्य ने बेसिकली स्टाफिंग क्या है, फैसिलिटी क्या है, यह पूछा था पर आप कह रहे हैं कि उसको...।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं बहरोड़ के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, बहरोड़ के बारे में ही बता रहा हूं, मैं उसको स्किप कर देता हूं। इसमें ऐसा है कि बहरोड़ हॉस्पिटल सीएचसी था, उसके बाद में 2020-21 में सब डिविजनल हॉस्पिटल बन गया उसके बाद जिला बनने के बाद में इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा मिल गया। अब इसमें ऐसा है कि लगभग 41 करोड़ रुपये खर्च होगा, इसको सब डिविजनल हॉस्पिटल की स्टेज में लाने के लिए और वो जनवरी 2025 तक उसका काम कम्पलीट हो जाएगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, उसका मैं सिम्पल कम्पेरिजन करके जवाब देता हूं। सब डिविजनल हॉस्पिटल के अन्दर 125 बेड होते हैं, उसके बाद में आपका 34 करोड़ फरवरी में आ जाएगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मंत्रीजी, माफ करना, ये तो आप दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उत्तर सुन लीजिए, फिर पूछिए। मैं आपको दुबारा प्रश्न पूछने का मौका दूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपका कार्य दो स्टेजेज में होगा, फस्ट टू कम्पलीट एसडीएच और उसके बाद जो 34 करोड़ रुपए आएंगे उससे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। सब डिविजनल हॉस्पिटल में 125 बेड होते हैं, इनके पास अभी हो जाएंगे जनवरी तक और डिविजनल हॉस्पिटल बनेगा तो आपके हो जाएंगे 150 बेड। ओपीडी आपके बनेंगे 12 और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा वो हो जाएंगे 18 तो 12 आपके जनवरी तक हो जाएंगे। 3 ऑपरेशन थियेटर आपके जनवरी तक हो जाएंगे उसके बाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा तो 5 हो जाएंगे। लेबर रूम की 8 टेबल्स से 10 टेबल्स हो जाएंगी। मातृ-नवजात शिशु केन्द्र 21 बेड से 31 बेड का हो जाएगा। ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट आपके लगेगा, मेडिकल गैस लाइन सिस्टम लगेगा। बीपीएचयू जो कि एक लेबोरेटरी है, अपने सब सीएचसी के अन्दर, हर ब्लॉक के अन्दर राजस्थान के अन्दर उसकी स्वीकृति आ रही है, फेज मैनर में कि जितने भी पंचायत समितियों के अन्दर सीएचसी है, दो सीएचसी हो तो वो अलग चीज है, वन सीएचसी, बीपीएचयू क्या होगा कि 75 लाख रुपये का भवन बनेगा, 40 लाख रुपये की उसके अन्दर मशीनें आएंगी और 12 स्टाफ आपका होगा। वो एक

लेबोरेटरी होगी, अल्ट्रा साउण्ड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्स-रे, ये सब होंगे। आपके बीपीएचयू बनेगा, जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा और यह आईपीएचएल बन जाएगा जो हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बहुत बड़ी लेबोरेटरी बन रही है, वो आपको सब जिलों में मिलेगी। उसकी मोर्चुरी बनेगी, किचन बनेगा, लॉण्ड्री रूम बनेगा, प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र बनेगा। एडिशनल लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस जो आपने मेरे से चर्चा की थी, वो बेसिक, एडवांस और मोटर साइकल वाली आपके बहरोड में चल रही है। फायर फाइटिंग सिस्टम, पार्किंग, एसटीपी, जब आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा तो वहां पर आपको सेमिनार रूम भी मिलेगा। 5 बेड हाई डिपेंडेंसी आईसीयू अपग्रेडेड बनेगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): माननीय मंत्रीजी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो बन गया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय को बता दिया है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको बता रहा हूं, आप अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): माननीय मंत्रीजी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो बन गया, लिख भी दिया जिला अस्पताल। मैं यह पूछ रहा हूं कि इसमें ये जरूरत है जो मैंने पूछा है आपसे ये कब तक आप अवेलेबल करवा देंगे? पिछली सरकार ने ऑलरेडी 40 करोड़ रुपये तो मंजूर कर दिए, ये सब काम तो चालू हो गए। इसमें मैंने आपसे पूछा है कि सीटी स्कैन, अल्ट्रा साउण्ड एम्बुलेंस, एमआरआई मशीन, डिजिटल एक्स-रे, ये सब जरूरी है जिला अस्पताल के अन्दर, आप ये सब कब तक अवेलेबल करवा देंगे? यह सवाल है मेरा स्पेसिफिक।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही बता रहा था कि सब डिविजन हॉस्पिटल इनका जनवरी में कम्प्लीट होगा, सुविधाएं तो तभी प्राप्त होंगी जब वो 41 करोड़ रुपये होंगे। एमआरआई और सीटी स्कैन की जो मशीनें हैं, हमारे स्टेट के अन्दर हम इनको आउट सोर्स कर रहे हैं पीपीपी मोड के अन्दर, पीपीपी मोड में जैसे हमारे सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी हैं मशीनें, इतना बिजनेस वॉल्यूम मिलता है तो 2500 रुपये में एमआरआई, सीटी स्कैन कर देते हैं जो मार्केट में 8500 रुपये में करते हैं। दूसरी चीज यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि पीपीपी मोड पर जो आएगा, वो आएगा जब उसको वॉल्यूम मिलेगा, अब आपके बहरोड में क्या वॉल्यूम होगा, उसके आधार पर अगर वॉल्यूम होगा और जरूरत पड़ेगी तो एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें आपके लग जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

आहोर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

59. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो ग्राम पंचायत

मुख्यालय से पांच किमी से अधिक दूरी पर होने के उपरांत भी क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सुमेरगढ खेड़ा, सेलड़ी, बेदाना कला के उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आहोर के प्राथमिक विद्यालय आलावा सी व देवगढ छापरिया को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में निम्नांकित 06 रा.उ.प्रा.वि. ऐसे हैं, जो ग्राम पंचायत मुख्यालयों से 5 किमी से अधिक दूरी होने के उपरांत भी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं:-

1. रा.उ.प्रा.वि. सेलड़ी
2. रा.उ.प्रा.वि. पिपरला ढाणी
3. रा.उ.प्रा.वि. उखरडा
4. रा.उ.प्रा.वि. दूदिया
5. रा.उ.प्रा.वि. नबी
6. रा.उ.प्रा.वि. मेडा निचला

(2) जी हां।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के रा.उ.प्रा.वि. सुमेरगढ खेड़ा, सेलड़ी एवं बेदाना कलां (बेदाना पुराना) को रा.उ.मा.वि. में क्रमोन्नत किये जाने हेतु निदेशालय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया।

अब सरकार द्वारा निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का मानदण्डानुसार/आवश्यकता के अनुपातानुसार आकलन किया जाकर तथा वित्तीय प्रावधानान्तर्गत उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां।

विधान सभा क्षेत्र आहोर के रा.प्रा.वि. आलावा सी एवं देवगढ छापरिया को रा.उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत किये जाने हेतु निदेशालय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया।

अब सरकार द्वारा निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का मानदण्डानुसार/आवश्यकता के अनुपातानुसार आकलन किया जाकर तथा वित्तीय प्रावधानान्तर्गत उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

MLS/RTM/30.01.2024/11:20/1c

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उक्त विद्यालय, जैसे- सुमेरगढ खेड़ा, सेलडी, बेदाना कलां, मीतडी, इन्हें उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करना है और आलावासी और देवगढ छापरिया, इन्हें उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप यह घोषणा करें कि अगले सत्र से ये सभी विद्यालय क्रमोन्नत होकर शुरू हो जाएंगे। यह मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव आने के बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकार ने ये क्रमोन्नत नहीं किये। जान-बूझकर माननीय सदस्य को यहां प्रश्न पूछना पडा है। मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि हमारे पास एक विद्यालय अधिशेष है, मैं आलावासी को क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूं।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सुमेरगढ खेड़ा को भी उच्च माध्यमिक बना दें।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान अनुसार कोशिश करेंगे कि जिस विद्यालय की ये मांग करेंगे, उसे क्रमोन्नत कर दें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, मंत्री जी ने जवाब दिया कि निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त हो गया था और पिछली सरकार ने क्रमोन्नत नहीं किया। अब आपकी सरकार भी क्रमोन्नत नहीं कर रही तो फिर आपमें और हम में क्या अन्तर रह गया? ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कर देंगे, उन्होंने अभी घोषणा की।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे सिर्फ एक को क्रमोन्नत करने की बात कह रहे हैं। मैं तो आपके सदस्य की ही बात को बड़ी कर रहा हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या जो प्रस्ताव आये हुए हैं और आपने जवाब दिया है कि वे क्रमोन्नत होने लायक थे, वे स्कूल पिछली सरकार ने क्रमोन्नत नहीं किये तो क्या आप पांचों स्कूलों को क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नॉर्म्स के हिसाब से जो भी हमारे सामने विद्यालय आएंगे और बजट में जो प्रावधान होगा, उसके अनुसार हम विद्यालय खोलने की कोशिश करेंगे। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नॉर्म्स थोड़ी बदलेंगे।

श्री अध्यक्ष: वह तो सरकार पर रहेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, पिछले दो-तीन दिनों से लगातार सत्ता पक्ष पिछली सरकार पर बात को डाल रहा है। मैंने यह बात पहले भी कही है, ... (व्यवधान) ... आप बात को सुनिये। आपके मंत्री जवाब देने में सक्षम हैं। मजबूत मंत्री हैं, जवाब देंगे,

आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप जब यह कह रहे हैं कि नॉर्म्स में है और क्रमोन्नत होना चाहिये था, ऐसे में यदि पिछली सरकार ने नहीं किया तो ये करें। फिर हम में और इनमें अन्तर क्या रह गया?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रोहित बौहरा।

राजाखेड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने की कार्ययोजना

60. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां तो कहां-कहां पशु चिकित्सालय खोल दिये गये? नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की शेष ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी नहीं। विगत पांच वर्ष में विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में स्वीकृत एवं क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:

नवीन उप-केन्द्र खोले गये 23, उप-केन्द्र से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत 1, पशु औषधालय से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत 2, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय से पॉलीटेक्निक में क्रमोन्नत 1, जिनका नामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मैंने सुन लिया। मैं सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप पहले ही बोल देते। उन्होंने आधा तो बोल ही दिया। चार लाइनें हैं, इन्हें बोल लेने दें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मुझे क्या पता था ये ऐसे जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: आपको पूरा टाइम दूंगा। या तो आप शुरू में ही कह देते, मैं उत्तर नहीं बुलवाता।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): तो अब बन्द कर दें न।

श्री अध्यक्ष: अब हो जाने दें। चार लाइनें हैं, लम्बा होता तो मैं कह देता।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (2) जी हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं। पशु चिकित्सालय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोले/क्रमोन्नत किये जाते हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी, आप तो मुझे तीन चीजें बता दीजिये। सबसे पहले, जो आपने मल्टी परपज प्रथम श्रेणी चिकित्सालय बनाया राजाखेड़ा प्रॉपर में, उसमें क्या आपने डॉक्टरों की पोस्टिंग कर दी? जब से नयी सरकार आयी है, सौ दिन की आपकी जो कार्य योजना है, क्या आपने उसमें इसे ले रखा है? क्या इसमें भी आपके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं? हां या न मैं जवाब दीजियेगा। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बैठे-बैठे न बोलें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप बैठे-बैठे मत बोलो। हिम्मत है जो जोरों से बोलो। ... (व्यवधान)... दूसरा, मछरिया, खनपुरा और दिहोली, ये तीन पशु उप-चिकित्सा केन्द्र थे, जिन्हें पिछली सरकार ने क्रमोन्नत किया। क्या उसमें नयी बिल्डिंग के लिए आपके पास फंड्स हैं या नहीं? यदि फंड्स हैं तो कब तक यह बिल्डिंग बन जायेगी और इसमें डॉक्टर्स की कब तक पोस्टिंग हो जायेगी, क्योंकि अभी भी सिर्फ कंपाउंडर्स के भरोसे ये तीनों-चारों हॉस्पिटल्स चल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): कब से?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जब से ये क्रमोन्नत हुए हैं, तब से। और आप बीच में मत बोलिये, आप मंत्री जी हैं, उन्हें जवाब देने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप सीधा संवाद मत करिये, आसन को बोलिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, यदि वे डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे ही जवाब पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: उसके लिए मैं हूं, आप नहीं हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): तो आप टोकें फिर उन्हें।

श्री अध्यक्ष: मैं कहूंगा न, आप बीच में नहीं बोलें। मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए वेकेंसी निकाली थी, जो आरपीएससी में साक्षात्कार के लिए प्रक्रियाधीन है। उच्चतम न्यायालय से भर्ती पर रोक लगी हुई है। रोक हटते ही जहां भी जरूरत होगी, वहां नियुक्तियां करेंगे।

दूसरा, 1436 पशुधन सहायकों की भी भर्ती निकाली गयी थी। उसमें से 1177 की नियुक्तियां हो गयीं और शेष पर न्यायालय की रोक है। वह रोक हटते ही उसे भी करेंगे। तीसरी, अभी भर्ती के बारे में भी बता देता हूं। 5934 पशु परिचरों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 07/2023 दिनांक 06.10.2023 को जारी किया जा चुका है, जिसमें बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 12.01.2024 को ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19.01.2024 से आमंत्रित किये गये। ये भी प्रक्रियाधीन हैं।

भवन की जहां तक बात है, पॉलीटेक्निक के लिए और दूसरे जितने भवन हैं, आपने पांच सालों में जितने भी सब-सेंटर्स खोले, पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किये, उनमें भवन का प्रावधान आपने किसी में नहीं किया। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। मंत्री जी बोल रहे हैं, उत्तर आने दें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): भायल साहब, वे सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दें पहले।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने 2023-24 में 2639 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों की घोषणा की, लेकिन घोषणा में उन्होंने 900 ही खोले, 1739 खोले भी नहीं। इसके लिए बजट

का प्रावधान भी नहीं किया। भवनों का प्रावधान नहीं किया। निश्चित रूप से, पिछली सरकार ने जो कमियां रखी हैं, उनका एनैलिसिस करवाकर हम आगे कार्रवाई करेंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मंत्री महोदय, धन्यवाद। आप एनैलिसिस तो बाद में करा लीजियेगा, जो एक्चुअल प्रश्न था, उसका उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था ... (व्यवधान)... सर, इनका प्रॉब्लम क्या है, ये मंत्री के साथ जवाब क्यों दे रहे हैं? मंत्री महोदय, मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा कि आप इन डॉक्टरों की कब तक पोस्टिंग कर देंगे? मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि एडवर्टाइजमेंट कब निकला, वगैरह, वगैरह, वह मेरा डायरेक्ट प्रश्न नहीं था। मेरा सिर्फ आपसे प्रश्न यह है...

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी वह कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला आते ही हम उसको जल्दी कर देंगे।

Mkd/rtm/30.01.2024/11.30/1d

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री ललित मीना।

किशनगंज में आवंटित खनन लीज

61. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में किस-किस स्थान पर खनिज की लीज आवंटित है?

(2) जिला बारां में विगत पांच वर्षों में किस खनिज पर किसे व कब लीज दी गई? लीज के मालिक का नाम व स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में बजरी की लीज संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले में लीज जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में आवंटित खनन पट्टों की स्थान सहित सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जिला बारां में विगत पांच वर्षों (दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.12.2023 तक) में आवंटित खनन पट्टों के खनन पट्टाधारी का नाम, स्थान, खनिज एवं खनन पट्टे के प्रारम्भ की तिथि सहित सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) बारां जिले में खनिज बजरी के आवंटित दो खनन पट्टों में पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में खनन कार्य संचालित नहीं है, पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त होने के पश्चात् इनमें खनन प्रारम्भ हो सकेगा। उक्त दोनों खनन पट्टों के अतिरिक्त खनिज बजरी के नवीन खनन पट्टे आवंटित करने हेतु तहसील अटरू, छबड़ा व छीपाबड़ोद में प्लॉट चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से

पूछना चाहूंगा कि आपने परिशिष्ट-2 में यह बताया है। परिशिष्ट-1 में बताया है कि किशनगंज में पिछले पांच साल में 15 पट्टे खनन विभाग ने जारी किये हैं और पूरे बारां जिले में 22 पट्टे जारी हुए हैं। ये जो पट्टे जारी किये गये हैं, इनके अलावा भी पिछले पांच साल में बारां जिले में तथा किशनगंज, शाहबाद क्षेत्र में खनन हुआ है। जहां लीज नहीं थी। काकरदा रोड पर, पार्वती नदी में, करोरी कलां में, मिसाई रोड पर पिछले पांच साल में अवैध माइनिंग, बजरी और पत्थर निकालने का मनमाने तरीके से काम किया गया।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री ललित मीना (किशनगंज): सरकार उन पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? कब तक कार्यवाही करेगी? पिछले डेढ़ माह में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। उन पर आपने क्या कार्यवाही की, पिछले डेढ़ महीने में? मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में जो अवैध खनन हुआ है। जहां पट्टे नहीं थे, उन पर कितने दिनों में क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य का जिला बारां है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने माइनिंग में जितनी भी चोरी हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है, उसके लिए 15 जनवरी से बहुत तगड़ा अभियान चलाया है। 15 जनवरी से आज तक बारां जिले के अन्दर 18 अवैध खनन पकड़े गये, 38 अवैध निर्गमन पकड़े गये, 28 अवैध भण्डारण सीज किये हैं।

माननीय सदस्य को पर्टिकुलर एरिया में जहां शिकायत है। वह मुझे आप बताये। हम जल्दी से जल्दी हमारे अधिकारियों को भेजकर कार्यवाही करेंगे।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां पट्टे जारी नहीं होने के बावजूद, जहां पर लीज नहीं थी, वहां पिछले पांच साल में खनन हुआ है। वहां पर टीम बनाकर आप कार्यवाही कब तक करेंगे?

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अवैध खनन, बजरी में मनमानी कीमतें ले जाती हैं। सरकार कीमतें निर्धारित करने का विचार रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि 15 जनवरी से यह अभियान चल रहा है। इसके अन्दर जितनी भी चोरियां, शिकायतें और लीज की समस्याएं हैं, हम उनको धीरे-धीरे दूर करेंगे। माननीय सदस्य, जहां पर ऐसी अवैध चीजें हो रही हैं, मुझे उसकी लिस्ट दें। हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

आकाशीय बिजली से पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा

62. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आकाशीय बिजली गिरने से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक

को मुआवजा देने का प्रावधान है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश में उक्त योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितनों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं? आवेदनों की संख्या एवं मुआवजा राशि सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमिहीन पशुपालक को आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं की मृत्यु होने पर मुआवजा देय नहीं है? यदि हां, तो प्रदेश में विगत तीन वर्षों में ऐसे कितने आवेदन निरस्त किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री किरोड़ी लाल): (1) जी हां। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालकों से विगत तीन वर्षों में कुल 532 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 435 आवेदनों में भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्स दिनांक 08.04.2015 एवं 10.10.2022 के अनुसार कुल राशि 115.94 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई तथा 53 आवेदन लम्बित हैं, जिनमें से 26 आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में लम्बित हैं तथा 27 आवेदनों में भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी, हां। दिनांक 10.10.2022 से पूर्व भूमिहीन पशुपालकों को सहायता देय नहीं थी।

भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्स दिनांक 08.04.2015 के अनुसार भूमिहीन पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु होने पर सहायता देय नहीं होने के कारण, 17 भूमिहीन पशुपालकों के आवेदन निरस्त किये गये। किन्तु, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार भूमिहीन पशुपालकों को भी पशु की मृत्यु होने पर सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आपने बिन्दु संख्या 1 में बताया है कि 26 लम्बित आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिए, जो बिना दस्तावेजों के रह गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी पूर्ति करने के लिए क्या विभाग के द्वारा उनको सूचित कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? और कितने वर्षों से लम्बित पड़े हैं? क्या हम विभाग के द्वारा एक्टिव होकर आवेदकों से मिलकर इन दस्तावेजों की पूर्ति करवा सकते हैं?

दूसरा, यह है कि बिन्दु संख्या 2 में आपने बताया है कि 2015 से 2022 तक एसडीआरएफ के नॉर्म्स के अनुसार इस पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में 17 भूमिहीन पशुपालकों के आवेदन निरस्त हो गये हैं। ऐसे जो गरीब पशुपालक हैं, क्या सरकार कोई ऐसी योजना के माध्यम से इन 17 लोगों को लाभान्वित कर सकती है? कृपया, माननीय मंत्री महोदय बताये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य के 26 ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेजों का अभाव था। अगर अभी भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे तो 26

पशुपालकों की राशि रिलीज कर दी जायेगी।

दूसरा, आपने कहा है कि 17 भूमिहीन पशुपालकों के आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं। वे इसलिए निरस्त कर दिये गये हैं कि दिनांक 08.04.2015 की गाइडलाइंस के अनुसार, जो भूमिहीन पशुपालक थे, उनको सहायता देने का प्रावधान नहीं था। ये प्रावधान दिनांक 10.10.2022 को भारत सरकार से आये हैं। जो भूमिहीन पशुपालक थे, उनको प्रावधान है देने का, 2015 से 10.10.2022 के बीच में प्रावधान नहीं था। इसलिए जो निरस्त हो गये। उनमें अब सहायता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि पशुपालक आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर देते हैं तो उन पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे परन्तु क्या विभाग भी इसमें आगे होकर उनके दस्तावेजों की पूर्ति के लिए उनसे सम्पर्क करने का प्रयास करेगा, ताकि शीघ्र से शीघ्र दस्तावेज वे जल्दी पूर्ण कर लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): हमने पिछले तीन साल के ऐसे जो पशुपालक हैं, उनको सूचित कर दिया है। उनको यह कह दिया गया है कि पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीमान्त कृषक, लघु कृषक अगर अब भी प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे तो उनको भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न, श्री राजकुमार रोत।

सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के उपाय

63. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपवा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सिलिकोसिस बीमारी की पहचान के लिए कितने लोगों के सैम्पल लिए गये व उक्त में से कितनों में सिलिकोसिस के लक्षण पाए गए ? जिलेवार, वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला इंगरपुर में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक कितने सिलिकोसिस मरीजों की पहचान हुई? उक्त मरीजों को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किस-किस योजना में क्या-क्या लाभ दिया गया तथा कितने वंचित हैं? ब्लॉकवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु खनन कम्पनियों एवं कारखानों को सावधानी बरतने हेतु कोई विशेष नियम बनाने एवं जुर्माने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2023 तक सिलिकोसिस बीमारी की पहचान के लिए 230213 लोगों की सैम्पलिंग/स्क्रीनिंग की गई व 24386 लोगों में सिलिकोसिस के लक्षण पाये गये। जिलेवार वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला इंगरपुर में वर्ष 2019 से 2023 तक कुल 113 सिलिकोसिस मरीजों की पहचान

की गई। जिला इंगरपुर में वर्ष 2019 से 2023 तक 113 सिलिकोसिस मरीजों को सिलिकोसिस पोर्टल द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया।

सिलिकोसिस रोगी को सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सिलिकोसिस नीति के तहत पुनर्वास सहायतार्थ 3 लाख रुपये, सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु होने पर आश्रितों को 2 लाख रुपये व अन्तिम संस्कार हेतु 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता एवं सिलिकोसिस रोगी को 1500/- रुपये मासिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

जिला इंगरपुर में उक्त मरीजों में से राज्य सरकार द्वारा 64 मरीजों को सिलिकोसिस (जीवित) सहायता स्वीकृत कर भुगतान किया गया। जिसमें से एक प्रकरण में 2.00 लाख रुपये एवं 63 प्रकरणों में 3.00 लाख रुपये प्रति पीडित (कुल राशि 191.00 लाख का) भुगतान किया गया है एवं 49 मरीजों के प्रकरणों में 3.00 लाख रुपये प्रति पीडित (कुल राशि 147.00 लाख) की भुगतान स्वीकृति आदेश जारी किये जा चुके हैं। उक्त 113 मरीजों में से 38 मरीजों को सिलिकोसिस पेंशन (1500 रुपये प्रति माह) दी जा रही है। 75 प्रकरण पेंशन से वंचित हैं। ब्लॉकवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पालनहार योजना के अन्तर्गत 27 सिलिकोसिस पीडितों के 56 बच्चों को पालनहार सहायता (0-6 वर्ष तक के बच्चों को 750/- रुपयों प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष तक के बच्चों को 1500/- रुपये प्रतिमाह एवं 2000/- रुपये वार्षिक एकमुश्त राशि) दी जा रही है।

(3) सरकार द्वारा उक्त बीमारी की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए खान विभाग द्वारा खानधारकों को सावधानी बरतने हेतु नियम बनाये हुए हैं, जिनमें इस बीमारी की रोकथाम हेतु खानधारकों द्वारा उपाय करने के नियमों में प्रावधान किये हुए हैं। इन नियमों के उल्लंघन करने पर खानों का नियमानुसार निरीक्षण कर खानधारकों को नोटिस दिया जाता है, नोटिस की नियत समयावधि पश्चात भी पालना नहीं की जाने पर खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस खण्डित करने का प्रावधान है। सिलिकोसिस बीमारी के मरीजों के उपचार के लिये मुआवजा देने के भी प्रावधान हैं।

इस संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निम्न नियम बनाये हुए हैं:-

1. खान अधिनियम, 1952 के धारा 25 में सिलिकोसिस को नोटिफाइड बीमारी घोषित किया हुआ है, जिसके क्रम में खनन कम्पनियों द्वारा सरकार को सूचित करना आवश्यक है।

2. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम 34 में सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम हेतु पर्याप्त प्रावधान किये हुए हैं।

3. राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी की गहनता एवं महत्ता को देखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा न्यूमोनियोकोसिस नीति, 2019 घोषित की गई है जिसमें प्रमुखतया: सिलिकोसिस बीमारी की पहचान, रोकथाम, निवारण एवं सहायता के पर्याप्त प्रावधान किये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री राजकुमार रोट (चौरासी): अध्यक्ष जी, उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, विराजें। वे पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राजकुमार रोट (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, सिलिकोसिस बीमारी को लेकर मेरा सवाल था। पिछले 4 वर्षों में पूरे राजस्थान के अन्दर 2 लाख 30 हजार 213 लोगों की सैम्पलिंग हुई। इसमें से 24 हजार 386 लोग सिलिकोसिस से पीडित पाये गये हैं। इसमें लास्ट में परिशिष्ट-अ दिया गया है, जो जिलेवाइज सैम्पलिंग हुई है।

Bhs/rtm/30.1.24/11.40/1e

इसको लेकर मैं सवाल करना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जो ट्राइबल इलाका है बांसवाड़ा, इंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ इसकी सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे तो 2019 में 52 सैम्पलिंग हुई 5 उसमें पीडित पाये गये। मैं लम्बा समय नहीं लूंगा लेकिन 2020 का अपन देखेंगे 14 नम्बर पर कि पूरे साल में एक भी सैम्पलिंग नहीं हुई। सिलिकोसिस को लेकर एक भी सैम्पलिंग नहीं हुई। यही स्थिति तीनों जिलों में पायी गयी है। मतलब चार साल में 2 लाख से अधिक सैम्पलिंग कर रहे हैं लेकिन इंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो इलाका है इसमें जितनी माइनिंग है जितने केशर प्लांट हैं जितने कारखाने हैं इतनी भी सैम्पलिंग नहीं हो रही है तो ये सम्पलिंग जो पिछली सरकार जो भी हो उन्होंने जो किया है उनकी लापरवाही रही तो उनको भुगतना पड़ा है तो हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री राजकुमार रोट (चौरासी): सर, प्रश्न मेरा यह है कि जहां पर जो माइनिंग चल रही है उन पूरी ग्राम पंचायतों के जो लोग हैं प्रभावित लोग हैं उन सारे लोगों की आप सैम्पलिंग करने का विचार रखते हो या नहीं? दूसरा मेरा जो सवाल है इनके जो पीडित पाये गये हैं उनका पेन्शन देने का प्रावधान है तो इंगरपुर जिले में पिछली बार चार सालों में जो पेन्शनधारक थे उनमें 38 लोगों को ही आप दे रहे हो, 75 लोग आज भी वंचित हैं तो ये 75 लोग किस कारण वंचित थे उनको कब पेन्शन दोगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सैम्पलिंग जो की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि सबसे ज्यादा सिलिकोसिस प्रोन जिले कौन से हैं। मैं आपका एक मिनट लूंगा, आज की तारीख में जो डिसेन्डिंग ऑर्डर है वह सबसे ज्यादा जोधपुर जिला 1361 जो कि 23 प्रतिशत पूरे राजस्थान का है और उसके बाद है दौसा 1302, करौली 1278 नंबर 3, इसके बाद में बहुत कम हो जाते हैं। धौलपुर 340, पाली 208, नागौर 197, भरतपुर 180 ऐसे करके आपने जो जिले बताये हैं इंगरपुर में 91 कैसेज हैं और प्रतापगढ़ में 13 हैं और बांसवाड़ा में 3 लेकिन फिर भी जहां भी आपको कुछ भी यह हो कि सैम्पलिंग ज्यादा नहीं हो रही है सैम्पलिंग हम बढ़ा देंगे उसकी कोई आपको चिन्ता की बात नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा सिलिकोसिस के पेशेन्ट आते हैं जहां पर मूर्तिकार ज्यादा होते हैं। माइन्स में क्या होता है कि जो ड्राइड ड्रिलिंग माइन्स का करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन होते

हैं और मूर्तिकार सबसे ज्यादा प्रोन वो ही होते हैं। बजरी की खानें होती हैं तो एक तो मैंने आपको आश्वासन दे दिया कि मैंने बता दिया कि आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तो बहुत लो...।

श्री अध्यक्ष: इनका प्रश्न यह है कि जिनको मासिक पेन्शन नहीं मिल रही है वह आप कब तक दे देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इंगरपुर में 113 कैसेज के लैटर्स आये थे सिलिकोसिस पोर्टल पर इनमें से 63 को 3 लाख रुपये दे दिये और टोटल 191 लाख डिस्बर्समेंट हो गया जो 49 हैं उनको 3 लाख रुपये...।

श्री अध्यक्ष: बाकियों को कब तक दे देंगे? यह है प्रश्न।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 147 लाख रुपये अप्रूव्ड हैं और वो जल्दी ही दे दिये जायेंगे। 38 पेशेन्ट जिनको सिलिकोसिस पेन्शन 1,500 रुपये दे चुके हैं। 75 को पेन्शन नहीं मिली है इनको जल्दी दे दी जायेगी। पालनहार योजना और यह जो है इसमें अध्यक्ष महोदय, एक ही चीज है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। आपके दोनों उत्तर आ गये।

श्री राजकुमार रोट (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि हमारा जो माइनिंग इलाका है बांसवाड़ा में मूर्तियों के काफी कारखाने हैं उस क्षेत्र में वहां पर जो लेबर काम करने वाली है उन सभी की सैम्पलिंग की जाये यह मेरी मंशा है। दूसरी चीज, मैं यह चाहूंगा कि जो खनन धारक लापरवाही करते हैं उन पर कार्यवाही करने का प्रावधान है तो पिछले चार साल में गवर्नमेंट के द्वारा सिलिकोसिस को लेकर जो प्रावधान बने हुए हैं कि इस माइनिंग में यह-यह परहेज रखना चाहिये। नियमावली के तहत लेबर को यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है तो हण्ड्रेड परसेंट खनन धारक वह सुविधा उपलब्ध नहीं करते तो इसको लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम इनके सैम्पलिंग बढ़ा देंगे और इनके जो भी पुनर्वास या डेथ या जो इनके फ्युनरल के और बच्चों के जो हैं वो हम कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर एक ही अर्ज है कि इसके अन्दर हैल्थ डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और इसके अन्दर माइन्स तीन डिपार्टमेंट का रोल रहता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मनोज कुमार।

प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन

64. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन में कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से कितनी प्रतिभाओं का चयन राज्य, राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ तथा कितनों का चयन राज्य सरकार में कर्मचारियों

के रूप में हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ओलंपिक में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में खेल कोटे से पात्र खिलाड़ियों की राशि का भुगतान कितना बकाया है व कितने खिलाड़ियों का नौकरी में चयन होना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): अध्यक्ष महोदय, (1) प्रदेश में राजीव गाँधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में 40,92,56,890/- राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

राजीव गाँधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 में 1,55,46,72,500/- राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(2) ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आधार पर राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय अन्य प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाओं के चयन या सरकारी सेवा में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है।

माननीय विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी।

(4) राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान नियम के तहत 7145 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी समीक्षा व प्रमाणीकरण पश्चात पात्र खिलाड़ियों को देय राशि का निर्धारण होगा।

आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु 142 खिलाड़ियों के आवेदन चयन प्रक्रियाधीन है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि सदन को अधिकारियों ने गुमराह करने का काम किया है। एक तो इन्होंने खंड 2 में लिखा है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सदन का भी और हमारे विशेषाधिकार का भी हनन हुआ है। मेरी पंचायत समिति राजगढ़ में ओलंपिक ग्रामीण खेल की जांच हुई दस लाख से अधिक व्यय की तीन अधिकारियों को चार्जशीट मिली, बीडीओ और वहां के सीबीओ और वहां के अकाउंटेंट तुलसारांम को और इन्होंने छुपाया तथ्य कि हमारी ऐसी कोई जांच नहीं हुई। दूसरा, अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं पूछूंगा साहब, पहले इनकी गलती...

श्री अध्यक्ष: भूमिका तो आ गयी, प्रश्न पूछिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्रम संख्या 8 पर इन्होंने टोटल अमाउंट दिया है 5 लाख जिसका अगर टोटल करें तो यह अमाउंट 5 लाख से अधिक राशि का बन रहा है इसलिये आंकड़े गलत न दें, हमारे सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने खंड 2 में लिखा कि राज्य, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किसी खिलाड़ी का चयन नहीं करेंगे तो फिर 1 अरब 95 करोड़ रुपये की राशि इस ग्रामीण ओलंपिक खेल में खर्च हुई तो युवाओं के साथ ऐसा क्यों किया गया और इसका क्या कारण रहा होगा? माननीय मंत्री महोदय, आप इस तरह के खेल करा कर युवा...।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछें मैं उत्तर दिलाता हूँ।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ। इसकी आप जांच करायेंगे कि नहीं करायेंगे? दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आंकड़े चाहता हूँ 1 अरब 26 करोड़ रुपये के टी शर्ट और निकर खरीदे गये जिसमें मैं चाहता हूँ कि प्रति टी शर्ट और निकर की कीमत बतायी जाये, कितनी संख्या में टी शर्ट और निकर बांटे गये, कितनी संख्या का रजिस्ट्रेशन हुआ? पहले इस प्रश्न का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्मल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): स्पीकर महोदय, सबसे पहले तो जैसा मैंने अपने उत्तर में भी कहा कि हम जांच कराने को पूरी तरह से तैयार हैं इसमें कुछ छिपाने की बात ही नहीं है। दूसरी बात यह जरूर जो हमारी साथी ने जो विषय उठाया है यह चिन्ता का भी है, चिन्तन का भी है कि जिस मंत्रालय का तकरीबन जो बजट होता है उसका चार गुना बजट खर्च हुआ हो उसके अन्दर कोई भी स्टेडियम का निर्माण ही नहीं हुआ, कोई एसेट का निर्माण नहीं हुआ और माननीय मनोज कुमार जी ने जो बोला कि तकरीबन 126 करोड़ रुपये केवल टी शर्ट खरीदने में खर्च हुए इसमें कहां-कहां से, कौन-कौन सी कम्पनियों से ये लिया गया, क्या उसकी टेण्डर प्रक्रिया सही थी, नहीं थी, सबकी जांच करवायी जायेगी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न और करूंगा। एक तो यह कि यह जो जांच का आप कह रहे हैं यह आप कितने दिन में करा देंगे, क्या बड़े स्तर पर कमेटी गठित करके करायेंगे? इसका समय निर्धारित करें।

Kas/rtm/30.01.2024/11.50/1f

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस खेल घोटाले में एक दम्पति ने इस तरीके का गबन किया है, मुख्य खेल अधिकारी के चयन में भी गड़बड़ है। माननीय मंत्री महोदय, उसके चयन में एक शपथ-पत्र मांगा गया था कि आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच पेंडिंग है या नहीं? उस शपथ-पत्र में उन्होंने कहा मेरे खिलाफ कोई जांच पेंडिंग नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ रेल-वे विभाग में 16सीसी और 17सीसी की चार्जशीट थी, उन्होंने वह तथ्य छुपा कर शपथ-पत्र दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे शपथ-पत्र वालों की डिटेल् निकाल कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते और यह सारा काम कब तक करा देंगे?

कर्मल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसकी जांच अपने वित्त विभाग से करवायेंगे, ताकि उसकी ऑडिट रिपोर्ट की अथोरिटी भी होगी और दूसरी जो मनोज जी ने अभी बात रखी है, चीफ स्पोर्ट ऑफिसर या जो भी इस तरह का पद, जिसका इन्होंने अभी नाम लिया, हम उसकी भी पूरी तरह से जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बामनबास में पंचायत समिति मद से स्थापित हैण्डपम्प

65. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास में पंचायत समिति मद से स्वीकृत हैण्डपम्पों, नलकूपों को कतिपय सरपंचों द्वारा निजी खातेदारी भूमियों पर लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बामनवास में विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायत समिति मद से स्वीकृत हैण्डपम्प, नलकूपों को किस-किस स्थान पर लगाया गया है? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध निजी खातेदारी भूमियों पर उक्त मद से स्वीकृत हैण्डपम्प, नलकूपों को लगाने वाले सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायतीराज मंत्री (श्री मदन दिलावर):(1) जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास में पंचायत समिति मद से स्वीकृत हैण्डपम्पों/नलकूपों को कतिपय सरपंचों द्वारा निजी खातेदारी भूमियों पर लगाये जाने का कोई प्रकरण नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बामनवास में विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायत समिति मद से स्वीकृत हैण्डपम्प/नलकूपों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न हैं।

(3) पंचायत समिति बामनवास में हैण्डपम्प/नलकूपों को निजी खातेदारी भूमि में लगाने का कोई प्रकरण नहीं होने से पंचायत समिति मद में स्वीकृत हैण्डपम्प/नलकूपों को लगाने वाले सरपंचों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है, मैं आगे पूछूँ?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, पूछिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि जो जवाब दिया है, क्या यह सत्य है? मेरे विचार से यह सारा का सारा जवाब असत्य है। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि जिसने यह जवाब तैयार किया और सदन को गुमराह किया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

दूसरा, क्या कमेटी बनाकर दुबारा से इस प्रकरण की जांच करेंगे या नहीं करेंगे और जांच मुझे सूचित करके करें ताकि जो सच है, वह सामने आये। मैं पूछना चाहूंगी कि इस पर आगे क्या कार्यवाही करेंगे, क्योंकि जो जवाब दिया गया है, वह असत्य है और इस तरीके के

जवाब सदन में देना, सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया है, वह सच है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि यह ट्यूबवैल, हैण्डपम्प, पानी की टंकियों आदि का निर्माण करने के लिये 100 रुपये के स्टॉप पर कोई अपनी जमीन को सरेंडर कर देता है, तो उस पर भी यह लगाये जा सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जहां हैण्डपम्प या ट्यूबवैल लगाने गये, वहां पर विवाद हो जाता है, तो वहां गांव वालों से आपसे में चर्चा करके सामूहिक राय के आधार पर भी हैण्डपम्प, ट्यूबवैल खोदे जाते हैं, इसलिए इसमें कोई दोषी नहीं है। हमने जो सूचना दी है या जो उत्तर दिया है, वह सही है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस तरीके से बता रहे हैं कि स्टॉप दे दिया जाता है, अगर सरकारी सम्पत्ति पर कोई अतिक्रमण कर ले, सिंगल व्यक्ति पानी पीये, दूसरे व्यक्ति को पानी नहीं पीने दे, क्या यह भी सही है?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ठीक कह रही हैं कि उस पर एकाधिकार नहीं होना चाहिये और यदि कहीं ऐसा एकाधिकार है तो उसको सबके लिये सुलभ करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री इंगरराम।

सूरतगढ़ में पुलिस चौकियों का क्रमोन्नयन

66. श्री इंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक कहां-कहां नए पुलिस थाने व पुलिस चौकियां स्थापित की गयीं तथा किन-किन पुलिस चौकियों व थानों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के 330 आरडी में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। प्रश्न 66, पुलिस चौकियों का।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक कोई भी नवीन पुलिस थाना/चौकी स्थापित नहीं की गई है और ना ही पुलिस चौकियों को थाने में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के 330 आरडी में नई पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

श्री इंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 330 आरडी में पुलिस चौकी

स्थापित करने का कोई विचार नहीं है? आपने कहा कि भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ शहर, सूरतगढ़ सदर और राजियासर थानों की दूरी आखिरी गांव तक कितनी है? दूसरा, पिछले वर्ष इन तीनों थानों में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और नई चौकी या पुलिस थाना खोलने के लिये स्पष्ट मापदंड क्या हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीओ सर्कल सूरतगढ़ में इनके पुलिस स्टेशन जैतसर, सूरतगढ़ सदर, सूरतगढ़ सिटी, राजियासर, जिसमें थर्मल चौकी और दिरतवाल चौकी है और सूरतगढ़ सिटी में एक टाउन की चौकी है। आपने 330 आरडी का जो बोला है...

श्री इंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह नहीं है..

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ लेना।

श्री इंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं दूरी जानना चाहता हूँ कि सूरतगढ़ शहर, सूरतगढ़ सदर और राजियासर थानों से आखिरी गांव की दूरी कितनी है? दूसरा, इन पुलिस थानों में कितने मुकदमें पिछले एक साल में दर्ज हुए हैं? तीसरा, क्या नई चौकी या पुलिस थाना खोलने के लिये स्पष्ट मापदंड हैं, यदि हैं तो क्या हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप जिस पुलिस चौकी 330 आरडी की बात कर रहे हैं, उसकी जनसंख्या 9000 है और राजियासर थाने से 35 किलोमीटर दूर है। जहां क्राइम रेट कंसर्ड है, प्रिवेंटिव क्राइम 2019 में 10 थे, 2020 में 9 थे, 2021 में 9 थे, 2022 में 18 थे और 2023 में 19 थे। आईपीएस के केस 2019 में 2, 2020 में 1, 2021 में 2, 2022 में 2 और 2023 में 2 थे।

श्री इंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस थानों में मुकदमों का पूछा है।

श्री अध्यक्ष: डिस्टेंस बता दिया इन्होंने।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो यह अभी पुलिस थाने की मांग कर रहे हैं, वह अभी उचित नहीं है।

श्री इंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह चौकी की बता रहे हैं, मैं थानों की पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: यह थानों की पूछ रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह पुलिस थाने के लिये ही तो बोल रहे हैं कि हमें एक थाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, वहां इतना क्राइम नहीं है और डिस्टेंस भी इतना ज्यादा नहीं है।(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: यह सूरतगढ़ का प्रश्न है, बाकी बैठिए। आप बैठिए, आपका प्रश्न नहीं है।

....(व्यवधान)....

श्री इंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस थाने से आखिरी गांव की दूरी पूछ रहा हूं, नंबर एक। नंबर दो, पिछले वर्ष तीनों थानों में कितने-कितने मुकदमों दर्ज हुए हैं? नंबर तीन, नया पुलिस थाना या पुलिस चौकी खोलने के लिये क्या स्पष्ट मापदंड हैं, यदि हैं तो क्या हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।(व्यवधान).... आप बैठिए, व्यवधान मत डालो। यह आपका काम नहीं है, मेरा काम है और मेरा काम आप करेंगे क्या?(व्यवधान)....

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो नये थाने स्वीकृत होते हैं, उसमें चार मापदंड हैं, एक तो जनसंख्या, एक क्राइम रेट, लॉ डिसऑर्डर और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता। आगे और जांच कर लेंगे, यह मुझ से पूछ रहे हैं कि इस थाने से उसकी दूरी कितनी है, इसके लिये मैं मेरे साथ गूगल मैप तो लेकर आया नहीं हूं। इसकी जानकारी करके हम उपलब्ध करा देंगे।

श्री इंगरराम गेदर (सूरतगढ़): इसका मतलब जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

फलोदी में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

67. श्री पब्बाराम विश्वाई (फलोदी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलोदी में कृषि पर्यवेक्षक के कितने पद सृजित हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री किरोड़ी लाल जी।

कृषि मंत्री (श्री किरोड़ी लाल): (1) क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर नवीन पदों एवं मुख्यालयों का सृजन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक पद एवं मुख्यालय सृजित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) विधानसभा क्षेत्र फलोदी में कृषि पर्यवेक्षक के 40 पद सृजित हैं उनमें से 06 रिक्त हैं।

श्री पब्बाराम विश्वाई (फलोदी): माननीय मंत्री महोदय, आपका जवाब मेरे पास आ गया है, इजाजत हो तो मैं प्रश्न पूछ लूं? माननीय मंत्री महोदय, हमारा नया जिला बना है और जिले में मृदा परीक्षण लैब होनी चाहिये।(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मेरा काम है।(व्यवधान).... माननीय सदस्य, आज मैं तीसरी बार कह रहा हूं(व्यवधान).... आप बैठिए, आप बैठिए, यह काम मेरा है, आपका नहीं है, आपको अभी अध्यक्ष नहीं बनाया है। तमाशा बना रखा है दो-तीन लोगों ने, and I will not tolerate it. फिर एक्शन होगा तो मुझे मत कहना।

श्री पब्बाराम विश्वाई (फलोदी): माननीय मंत्री महोदय, क्या आप फलोदी जिले में हमारे

जिला हेडक्वार्टर पर मृदा परीक्षण लैब खोलना चाहते हैं और चाहते हैं तो कब तक खोलेंगे और नहीं तो क्यों, क्योंकि यह नया जिला है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): यह बात सही है कि आपका जिला नया है और आपने अपने खुद के क्षेत्र की जानकारी चाही है। फलोदी में कृषि पर्यवेक्षक के 40 पद सृजित हैं, उसमें मात्र 6 पद खाली हैं। 2021-22 में आपको 2 कृषि पर्यवेक्षक चिमाना एवं बावलीखुर्द में स्वीकृत कर दिये गये हैं और 2 और पद हम आपके स्वीकृत कर देंगे।

श्री पब्वाराम विश्वाई (फलोदी): मेरा प्रश्न दूसरा था, मेरा प्रश्न था कि हमारे वहां पर मृदा परीक्षण लैब नहीं है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): मृदा परीक्षण को तो प्रधान मंत्री जी प्रायोरिटी देते हैं, एक नहीं, दो खोल देंगे, आप बता देना कहां-कहां खोलना है।

श्री पब्वाराम विश्वाई (फलोदी): दूसरा मेरा प्रश्न है, जो मेरा फलोदी जिला है, विशेषकर फलोदी विधान सभा क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र बड़ा है, लिफ्ट नहरों के कारण विस्तारित हो रहा है और दूसरा, अंडर ग्राउंड वाटर की उपलब्धता के कारण,...

Msk/rtm/30.01.2024/1200/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों की सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र की आयुष्मान योजना का एम.ओ.यू. नहीं करने से इस योजना के पंजीकृत मरीजों को प्रदेश से बाहर उपचार कराने में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री हरिमोहन शर्मा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से बूंदी पुलिस द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना के बहाने गलत तथ्य बताकर वाहनों को जब्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री रोहित बौहरा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में विद्युत की नियमित आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री घनश्याम एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से टोडाभीम में विद्युत की नियमित आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. डॉ० सुभाष गर्ग एवं एक अन्य सदस्य की ओर से सरकार द्वारा किये गये ई.आर.सी.पी. एम.ओ.यू. में राज्य के हितों की अनदेखी करने के संबंध में।

6. डॉ० ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना रूपवास मार्ग पर निर्माणाधीन आर.ओ.बी. का कार्य पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय मरू उद्यान बाडमेर तथा जैसलमेर

जिले में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

8. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को क्लेम राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह चौहान , श्री हरिमोहन शर्मा एवं श्री रविन्द्र सिंह भाटी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से मेडिकल कॉलेज बारां के परिसर के लिए निजी खातेदारी की जमीन को अधिग्रहण करने के संबंध में।

2. श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में।

3. श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किये गये कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाकर कार्यवाही करने के संबंध में।
...(व्यवधान)..

बाहर जाइये। माननीय सचेतक महोदय, इसको सुनिश्चित करें कि कोई सदस्य भविष्य में न जाये। इधर से भी कोई भी न जाये। व्यवस्था दे दी। आप बैठिए।

4. श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की कार्यवाही करने के संबंध में।

5. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेठराना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

6. श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में नये जी. एस. एस. स्वीकृत कर स्थापित करने के संबंध में।

7. श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरडा में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

8. श्री उदयलाल डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में राजस्व गांवों को टी.एस.पी. में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

9. श्री मुरारी लाल मीना, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय दौसा एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में।

10. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की ग्राम पंचायत खानपुर और बकानी को नगरपालिका का दर्जा दिये जाने के संबंध में।

11. श्री आदू राम मेघवाल, सदस्य की ओर से चौहटन उपखंड क्षेत्र में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।

12. श्री उमेश मीणा, सदस्य की ओर से प्रख्यात बेणेश्वर धाम की जमीन पर कतिपय

प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग में वन क्षेत्र में निवासरत जनजाति परिवारों को वन अधिकार पट्टे जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से जल जीवन मिशन योजना में अलवर एवं कठूमर के निवासियों द्वारा जल कनेक्शन के नाम पर जमा की गई राशि को लौटाने के संबंध में।

15. श्री भागचन्द टांकड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में अर्द्ध निर्मित ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

16. श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से पटवार मण्डल देवगांव, खोलड़ी, बनोड़ा, मोरीला एवं मालपुर को तहसील सलुम्बर में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

17. श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सुरसुरा स्थित तेजाजी मंदिर को अजमेर-पुष्कर धार्मिक सर्किट से जोड़ने के संबंध में।

18. श्री गुरवीर सिंह, सदस्य की ओर से जिला श्री गंगानगर से हिन्दूमलकोट तक जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री चन्द्रभान चौहान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आयुष्मान योजना का एम.ओ.यू. नहीं होने से पंजीकृत मरीजों को प्रदेश से बाहर उपचार कराने में हो रही परेशानी

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना के साथ जोड़कर संचालित किये जाने की क्रियान्विति की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मरीज बाहर इलाज करवाते हैं, गुजरात में करवाते हैं या दिल्ली जाते हैं, उसका एमओयू नहीं होने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मंत्री जी भी बैठे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभी मंत्रियों को विधान सभा के अन्दर चैम्बर मिले हुए हैं, ये सदस्य मंत्रियों से चैम्बर में मिल सकते हैं। ये देखो, चारों तरफ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीटों पर जाइये। यह क्या तरीका है? पास में सीट खाली तो बाद में चले जाएं, otherwise I will name the member.

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। हमारे राजस्थान से जो बाहर इलाज करवाने जाते हैं, इलाज नहीं होने के कारण काफी आर्थिक भार पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि इस आयुष्मान योजना का एमओयू करवा लें, क्योंकि हमारे काफी मरीज अहमदाबाद और बाहर इलाज करवाते हैं, उनका इलाज नहीं होने की वजह से इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। मंत्री महोदय विराज रहे हैं। सरकार इसका एमओयू जल्दी

करवा ले, जिससे हमारे जो मरीज बाहर जा रहे हैं, उनका इलाज हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

बूंदी पुलिस द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाहनों की जब्ती

बताकर वाहनों को जब्त करने से उत्पन्न स्थिति

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मान्यवर, मैं इस बात के लिए तो सरकार को धन्यवाद दूँ, अवैध खनन के सम्बन्ध में जो अभियान चलाया जा रहा है वह अच्छा है।

श्री अध्यक्ष: अपनी जगह पर बैठिये, एक-एक करके उठिये। माननीय मंत्रियों से उनके चेम्बर में मिलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): लेकिन इस अवैध खनन के नाम पर बिना माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को साथ लिए पुलिस अधिकारी ही यह फैसला कर लें कि यह अवैध खनन है या अवैध खनन नहीं है। इस अभियान के नाम पर जो ज्यादाती की जा रही है, माननीय, मैं आपको बूंदी का उदाहरण दूँ। पुलिस अधीक्षक की ओर से यह कह दिया कि 100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत हमने फलां-फलां स्थान पर अवैध खनन करते हुए इतने ट्रेक्टर, इतने डोजर, इतनी अलग चीज, यह सब पकड़ा और प्रेस नोट निकाल दिया। फिर उसी पुलिस अधीक्षक के यहां से उसी दिन जब यह पता लगा कि वे सारे एक जगह पर खड़े हुए थे, कोई अवैध खनन नहीं कर रहे थे। एक ही स्थान पर खड़े हुए थे, पुलिस अधिकारी वहां का एसएचओ गया और उनको पकड़कर ले आया। यहां तक भी ठीक है। जब उनको यह पता लगा कि यह तो अवैध खनन के सम्बन्ध में नहीं है। ये तो काम ही नहीं कर रहे थे। जब जनप्रतिनिधि और वहां के नागरिकों ने हल्ला किया और वहां जाकर कहा तो मान्यवर दूसरा प्रेस नोट उसी पुलिस अधीक्षक के यहां से बूंदी से निकला गया और उन्होंने यह कहा कि यह जो सामान हमने जब्त किये हैं, ये सामान तो लावारिस थे। लावारिस अवस्था में खड़े हुए थे। अवैध खनन के नाम से जब्त कर रहे हैं। अवैध खनन के अभियान के नाम से जब्त कर रहे हैं। जिन पर रजिस्ट्रेशन नम्बर है, उनमें अपनी गलती को छिपाने के लिए उनको पुलिस एक्ट के तहत लावारिस मानकर जब्त करके उस कार्यवाही को कर रहे हैं। यह अत्याचार किया जा रहा है।

MDP/Rtm/30.01.24/1210/1h

यही नहीं अगर पुलिस अधिकारी को कोई काम करना है, अगर पुलिस अधिकारी को कोई बात करनी है, अगर जाना है, अवैध खनन का फैसला तो करेगा माइनिंग डिपार्टमेंट कि ये स्थान लीज पर है या लीज पर नहीं है, यहां अवैध खनन हो रहा है या अवैध खनन नहीं हो रहा है। पुलिस ने खुद इस बात का फैसला करके ऐसा आतंक पैदा कर रखा है जगह-जगह पर।

इसी प्रकार डाबी में एक आदमी की लीजशुदा, लीज एग्रीमेंटशुदा, वहां पर उसकी जो मशीन खड़ी हुई थी, उसको एफ.ई. जाकर इस आधार पर पकड़ लाया कि यह लीजशुदा है,

जगह लीजशुदा है, लेकिन यहां पर पर्यावरण का कोई लाइसेंस नहीं है, (समय सूचक घंटी) जबकि वह मशीन वहां पर काम नहीं कर रही थी। लीजशुदा जगह पर कोई अपनी मशीनें रखता है, उनको पुलिस पकड़ कर ले जाए, माइनिंग डिपार्टमेंट पकड़ कर ले जाए। मेरा निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया है, उनके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिए। गृह मंत्री करें, माइनिंग डिपार्टमेंट करे।

एक छोटी-सी बात में और निवेदन करना चाहता हूं कि अभियान आप कीजिए, अभियान से कितनी परेशानी किस जगह पर है, उसकी मॉनिटरिंग भी आप कीजिए। अनेक लोगों को परेशानी पैदा हो गयी है। जो वाजिब काम कर रहे हैं, उनको भी हो गयी है। अभी आपका जो माइनिंग इंजीनियर जाएगा, वह जाकर बताएगा इतने क्यूबिक फीट पत्थर निकाल लिया, इतना पत्थर निकाल लिया, इतनी खान खोद ली, अभी वह अधिकारी नहीं बदले हैं। जब पांच साल वह वहां थे, उनके एरिया में वह रिपोर्ट दे रहे हैं तो पांच साल जिन अधिकारियों ने इस बात की रिपोर्ट आपको नहीं की और अब वह यह कह रहे हैं कि फलां आदमी ने इतना इल्लिगल माइन किया है, इतनी उस पर रायल्टी बनेगी, इतनी पेनल्टी लगेगी। (समय सूचक घंटी) इसका जिम्मेदार कौन है? वह अधिकारी वहां पर सोये हुए क्यों थे? उनके एरिया में यह काम हो रहा है। सारे के सारे केशर बंद हो गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने लावारिस मानकर जब्त किए हैं, उनको तत्काल छोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और माइनिंग डिपार्टमेंट के बिना पुलिस अधिकारी जाकर सामान जब्त नहीं करें, जबकि वहां पर कानूनन रूप से काम करते हुए वह नहीं पकड़े जाए। किसी भी खड़े वाहन को नहीं पकड़े।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। आपका हो गया। आपका विषय आ गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मेरा विनम्र अनुरोध गृह मंत्री जी से भी है, माइनिंग डिपार्टमेंट से भी है।

बाडमेर तथा जैसलमेर जिलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। निवेदन करना चाहूंगा कि बाडमेर और जैसलमेर के 73 गांव जो पिछले 43 सालों से 1981 के एक नोटिफिकेशन के बाद में मूलभूत सुविधाओं और डवलपमेंट के नाम पर वहां पर सब चीजें पूरे तरीके से बंद कर दी गयीं। काश्तकारी के जो अधिकार थे, उन पर बैन लग गया। यहां तक कि वे केसीसी तक नहीं उठा पा रहे।

मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एक मंत्रियों की कमेटी बनाकर माननीय मंत्रियों को उस क्षेत्र का एक बार दौरा करना चाहिए। उस क्षेत्र की स्थिति को देखना चाहिए। वहां की

चिकित्सा, वहां के पानी, वहां के विद्यालयों की स्थिति को देखनी चाहिए। आज के समय में यह स्थिति वहां पर है कि उन 73 गांवों में एक जगह भी डामर सड़क नहीं है। रोड के नाम पर कुछ भी नहीं है। यदि मैं चिकित्सा की बात करूं तो चिकित्सा के मामले में वहां पर एक जी.एन.एम./ए.एन.एम तक नहीं है। पूरे तरीके के अभावों में वह जी रहे हैं। ये जो 1981 में एक नोटिफिकेशन आया था, ये उनके लिए एक अभिशाप की तरह है।

आपके माध्यम से मेरा निवेदन रहेगा और मुझे संरक्षण भी चाहिए होगा कि उन बांशियों के जो राइट हैं, वह बहाल करवाए। साथ ही साथ डवलपमेंट पर जो रोक लगी है, उसके बारे में चर्चा करवाएं। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवरलाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बांरा मेडिकल कालेज के लिए निजी खातेदारी जमीन का अधिग्रहण

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेडिकल कॉलेज बांरा के मध्य में आ रही निजी खातेदारी की आराजी खसरा नं. 660/ 279,280,281,284 मे 90 की कार्यवाही निरस्त करवाने एवं मेडिकल कॉलेज में अधिग्रहण करने व निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के अन्दर विषयांकित खसरे सुनियोजित योजना के तहत अपने चहेतों को अनुचित लाभ पहुंचाने की बदनीयती से तथा सरकारी योजना मे निजीकरण जैसी व्यापारिक गतिविधि संचालित हेतु यह कृत्य किया गया है। राजस्व विभाग के संलग्न पत्र अनुसार तथा मेडिकल कॉलेज हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भी मेडिकल कॉलेज परिसर के मध्य अन्य कोई निजी भूमि नहीं हो सकती फिर भी नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत नियमों को दरकिनार करते हुए राजनीतिक दबाव व प्रभाव में भ्रष्टाचार व अनियमितता करते हुए मिलीभगत से यह कृत्य किया गया। इन भूमियों की 90 की प्रक्रिया भी करवाई गई है, जबकि इसी भूमि से राजस्व विभाग के निर्देशानुसार निजी भूस्वामियों का अतिक्रमण रिकार्ड अनुसार हटाया जा चुका था।

अतः उपरोक्त प्रकरण में लेख है कि इस अनियमितता बाबत विभिन्न जांच व शिकायतें पेंडिंग हैं। समस्त तथ्यों को देखते हुए उक्त खसरा से सम्बन्धित मामलों की जांच सक्षम अधिकारी से कराने तथा 90 की कार्यवाही निरस्त करने तथा उक्त खसरा को मेडिकल कॉलेज बांरा हेतु अधिग्रहित करने की आवश्यक कार्यवाही की जावे तथा उक्त मामले में हुई अनियमितता व धांधली पर विभागीय व कानूनी कार्यवाही कराए जाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना में पेयजल की समुचित व्यवस्था

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधित नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय जी, उपरोक्त विषय में यह है कि मेरे क्षेत्र में पेयजल को लेकर वर्तमान में स्थिती

बहुत ही विपरीत है। पुराने समय में सिवाना क्षेत्र बाड़मेर जिले का एक मात्र भूमिगत जलस्तर का भंडार वाला क्षेत्र था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। सिवाना और सिणधरी उपखंड के सभी गाँवों में भूमिगत जल स्तर रसातल में चला गया है। जलदाय विभाग द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु सभी नलकूपों में थ्री फेस के पंप लगाकर पानी दिया जाता है। कम मात्रा में पानी होने से पूरे समय तक पानी की सप्लाई नहीं देने से सभी स्थानों पर पंप जलने की शिकायत आती रहती है, जिसके कारण से विभाग को लाखों रुपये का नुकसान होता है और समय पर आमजन को पेयजल भी नहीं दिया जा सकता है। अभी सिवाना और सिणधरी उपखंड के लिए मीठा पानी दिये जाने की जो परियोजना बनी हुई है, उससे पेयजल दिया जाना संभव नहीं है तो कम मात्रा के भूमिगत जल का पूरा उपयोग हो सके और सिंगल फेस बिजली भी निर्बाध रूप से मिलती है तो जनता को पानी भी अधिक मिल सकेगा। क्षेत्र में कई गाँव ऐसे भी हैं, जिनमें स्कीम जलदाय विभाग की चलाई जा रही है, लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं होने से आमजन को समय पर पेयजल नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारियों को लेकर विभाग लेबर का प्रबन्धन करके भी राहत प्रदान कर सकता है। अभी कर्मचारी विहीन ग्राम पंचायतों की सभी स्कीम को स्थानीय ग्राम पंचायत चला रही है, जिससे व्यय भार बिना स्वीकृति के किया जाना संभव नहीं है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जलदाय विभाग और बिजली विभाग का आपस में समन्वय स्थापित करके कम पानी वाले नलकूपों में सिंगल फेस मोटर पंप डालने और कर्मचारी विहीन सभी गाँवों की स्कीम चलाने के लिए लेबर व्यवस्था करवाकर राहत प्रदान करावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र।

महवा में जल जीवन मिशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मेरी विधानसभा क्षेत्र महवा में जलजीवन मिशन एवं मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 एवं 23-24 में ट्यूबवेल/हैण्डपम्पों में भारी भ्रष्टाचार हुआ।

इसके तहत J.J.M. के तहत ट्यूबवेल, H.D.E.P. पाइपलाइन, G.I पाइप, टंकी निर्माण के कार्य कराये गये हैं। इसमें ठेकेदारों ने निवर्तमान विधायक से सांठ-गांठ एवं अधिकारियों पर दबाव डालकर घटिया सामग्री डाली है। ट्यूबवेल ड्राई निकल गये। उसका पूरा भुगतान कर दिया गया। कई जगह पहले से खोदी गई ट्यूबवेलों को नई बताकर भुगतान कर दिया। कई जगह जो ट्यूबवेल J.J.M. एवं C.M. बजट में स्वीकृत हुई थी, उनको राजनीतिक दबाव में निवर्तमान निर्दलीय विधायक को उपकृत करने के लिए निजी उपयोग हेतु खोद दिया गये हैं। महवा क्षेत्र में 348 बोर स्वीकृत थे, 291 बोर काटे गये, 73 बोर ड्राई हुए। धरातल पर 136 बोर ही खोदे गये। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन कर आवश्यक कार्यवाही करें।

Ans/rtm 12.20 1j 30.01.2024

श्री अध्यक्ष: श्री सी.एल. प्रेमी बैरवा।

केशोरायपाटन में अवैध खनन पर रोक

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र केशोरायपाटन में वन क्षेत्र एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र केशोरायपाटन में सरकार, पुलिस, खान विभाग की मिलीभगत से खान माफिया लम्बे समय से अवैध खनन कर रहा है। खनन माफिया ने अवैध खनन कर इन्द्रगढ क्षेत्र में पहाड़ों को खोखला कर दिया है, तथा लाखेरी में भी अवैध रूप से खनन कर पत्थर निकाला जा रहा है। लगातार हो रहे अवैध खनन से कभी भी गंभीर जन हानि होने की संभावना बनी हुई है। खनन माफिया वन्य क्षेत्र से अवैध तरीके से पत्थर, मिट्टी निकालने और पेड़ों की अवैध कटाई कर रहा है। लाखेरी इन्द्रगढ, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल है। यहां वन्य क्षेत्र में खनन माफियाओं और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से वन्य जीवों की सुरक्षा खतरे है। खान माफिया द्वारा प्रतिदिन कापरेन के रोटेदा, बालोद और डोलर आदि क्षेत्रों में एवं केशोरायपाटन के सुनगर, बालिता आदि गांवों में चम्बल नदी से अवैध तरीके से बजरी निकाली जा रही है। अवैध खनन से चम्बल नदी के किनारे विकृत हो गये हैं तथा कभी भी कोई गंभीर हादसा घटित हो सकता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में चम्बल नदी से रेतों की ट्रोलियां मुख्य मार्गों से होते हुए बाजारों में आ रही हैं, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत होने से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे खनन माफिया के हौसले बुलन्द हो गये हैं। अवैध खनन से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि विधानसभा क्षेत्र केशोरायपाटन में खान माफिया पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं।

000

श्री अध्यक्ष: हो गया। पढा हुआ ही माना जाता है, 295 में भाषण नहीं होता है। श्री संजीव कुमार।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेठराना (भादरा) का क्रमोन्नयन

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र भादरा के गाम पंचायत मुख्यालय नेठराना में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। इस गाम पंचायत मुख्यालय की आबादी लगभग 17,000 है, तथा आसपास की गाम पंचायतों एवं ग्रामों की लगभग 50,000 की आबादी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण एवं प्रसव सेवाओं के लिए नेठराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आश्रित है। गांव नेठराना के

आसपास के अनेक गांवों के लोग 10-12 किमी. तक की दूरी से चलकर नेठराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज करवाने आते हैं। तहसील मुख्यालय भादरा से नेठराना की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है।

गंभीर रोगों एवं आपातकालीन ट्रामा सेवाओं के लिए यह क्षेत्र तहसील मुख्यालय भादरा पर आश्रित है, जिसकी दूरी अधिक है तथा यह हरियाणा सीमा का गांव होने के कारण आवागमन के सीधे साधनों से भी जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके कारण आपात स्थिति मरीज के लिए कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेठराना की गत वर्षों की आउटडोर एवं इण्डोर की स्थिति में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेठराना के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लायक पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय नेठराना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटसिंह।

जैसलमेर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नये जी.एस.एस. की स्वीकृती

श्री छोटसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के अंतर्गत निवेदन है कि विगत कई वर्षों से कृषि क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन के हालात अत्यधिक खराब हैं। विगत सरकार द्वारा चुनावी लाभ लेने और राजस्व प्राप्ति में जल्दबाजी करने के चक्कर में किसानों को हजारों की मात्रा में कृषि कनेक्शन की घोषणा कर दी, जिसमें सामान्य और विशेष दोनों श्रेणी के कनेक्शन शामिल थे। एक तरफ विभाग और सरकार के पास पर्याप्त बिजली का अभाव तथा दूसरा बिजली संचित करने के लिए पर्याप्त जी.एस.एस. भी उपलब्ध नहीं होने के बावजूद, सामान्य, विशेष ओर यहां तक की सुपर स्पेशल के भी कनेक्शन जारी करने की घोषणा कर दी, जबकि धरातल पर विशेष और सुपर स्पेशल में कोई अंतर नहीं देखा गया। इतने अधिक मात्रा में कनेक्शन जारी करना इतना विसंगतिपूर्ण रहा कि किसानों द्वारा राशि भरे जाने के बावजूद उन्हें कनेक्शन उपलब्ध नहीं किए गए। यदि कहीं कनेक्शन उपलब्ध भी हो गए तो बिना बिजली के ऐसे कनेक्शनों का कोई उपयोग नहीं रहा। चारों ओर अव्यवस्था का ऐसा आलम रहा कि कनेक्शन मिलने के बावजूद किसान बिजली के लिए तड़फ रहे हैं। इस प्रकार की चुनावी राजनीति के कारण किसानों को मजबूर होकर ऊर्जा के अन्य स्रोत डीजल इत्यादि में लाखों रुपये खर्च करने पड़े। फिर भी किसान समय पर सही तरीके से खेती नहीं कर पाये और उन्हें मजबूरन खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया गया।

मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है की जारी किए गए हजारों कनेक्शनों के लिए बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जैसलमेर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नए जी.एस.एस. स्वीकृति के आदेश जारी किए जाएं। पूर्व के कई स्वीकृत जी.एस.एस. जैसे छत्रेल अन्य स्थानों पर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 132 KV जी.एस.एस. को बढ़ा कर 220 KV किया जाए तथा पूर्व से स्वीकृत परंतु धीमी

गति से कार्य कर रहे जैसे चांधन व अन्य स्थानों में प्रगतिरत जी.एस.एस. का कार्य त्वरित गति से पूर्ण किया जाए। ज़िले के तहसील व उपखंड मुख्यालयों पर ऐसे स्थान जहां पर बड़े जी.एस.एस. नहीं हैं, जिसमें फतेहगढ़ उपखंड भी शामिल है, 220 KV के जी.एस.एस. स्वीकृत करवाने के आदेश करवाये। विद्युत विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के मुख्यालयों की अधिक दुरी के कारण ज़िले में रामगढ़, म्याजलार, झिनझिनयाली में सहायक अभियंता कार्यालय सृजित किये जाएं, ताकि कार्य को और गति मिल सके। चूंकि बिजली समस्या के कारण पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रहती है अतः पेयजल आपूर्ति सुचारु रखने के लिए भी जी.एस.एस. के कार्यों को गति प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द-हुरडा में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरडा में चिकित्सा में कई तरह की समस्याएं पिछले कई वर्षों से हैं। मैंने पिछली सरकार से भी लगातार 5 वर्ष तक इन समस्याओं से अवगत कराया और मांग करता रहा, मगर भाजपा का विधायक होने के कारण मेरी एक भी नहीं सुनी गई तथा ना ही किसी भी समस्या का समाधान किया गया। उस जन विरोधी सरकार से मैं 5 वर्ष तक मांग करता रहा तथा जूझता रहा, पर उस नाकारा और भ्रष्ट सरकार ने अपने चहेतों के अलावा किसी की नहीं सुनी। अतः मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि:

1. कंवलियास पंचायत समिति हुरडा 2. ब्राह्मणों की सरैरी पंचायत समिति आसीन्द पीएचसी को सीएचसी में तथा 1. बरसनी पंचायत समिति आसीन्द 2. भादसी पंचायत समिति बदनोर तथा 3. कटार में पीएचसी की घोषणा तथा आसीन्द सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की कृपा कराएं तथा आसीन्द सीएचसी की जगह बहुत छोटी व शहर के बीचों बीच होने के कारण वहां की गलियों में जाम लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में परेशानी होती है।

मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि शहर में बहुत-सी जगह खाली पड़ी है, नगरपालिका को आदेशित कर 10 बीघा जमीन अस्पताल को दिलाई जाए तथा वहां नई बिल्डिंग बनाकर जनता को राहत दिलाने की कृपा कराए। आसीन्द हुरडा की जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद। वन्दे मातरम, जय श्री राम।

VPS-RTM-30.01.2024-12.30-1k

श्री अध्यक्ष: श्री उदयलाल डांगी। श्री उदयलाल डांगी। श्री मुरारी लाल मीना।

श्री उदयलाल डांगी (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा है, मैं आ गया।

श्री अध्यक्ष: आप समय पर आया करें। एक सैकण्ड, पहले ये बोल लें। आप बोलिये, शुरू करिये। पढिये।

वल्लभनगर के राजस्व गांवों का टी.एस.पी. में सम्मिलन

श्री उदयलाल डांगी (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में राजस्व गांवों को टीएसपी में सम्मिलित करवाने के संबंध में निवेदन है।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में पंचायत समिति भीण्डर व पंचायत समिति वल्लभनगर में 5 पंचायतें टीएसपी में हैं और कुछ पंचायतें टीएसपी आने की पात्रता रखती हैं और ऐसे कई राजस्व गांव हैं जो 80 से 90 प्रतिशत जनजाति बाहुल के हैं, जिनको सर्वे करवाकर टीएसपी में जुड़वाने की कृपा करें।

अतः मैं मांग करता हूं कि उक्त की पंचायतों व राजस्व गांवों को टीएसपी में जोड़ा जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। श्री मुरारी लाल मीना।

दौसा एवं उसके ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन है कि दौसा शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है, जिसको 100 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार पर 12.50 एम.एल.डी. पानी की आवश्यकता है। माह अक्टूबर से पूर्व बीसलपुर परियोजना से 22 लाख लीटर एवं स्थानीय स्रोतों से 16 लाख लीटर पेयजल उत्पादन कर 05-07 दिन के अन्तराल से पेयजल सप्लाई की जा रही थी किन्तु स्थानीय स्रोतों से निरन्तर पेयजल उत्पादन कम होने के कारण वर्तमान में मात्र 10 लाख लीटर ही पेयजल उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण पेयजल सप्लाई अन्तराल 8-9 दिन हो गया है। इसके अतिरिक्त शहर में 45-50 टैंकर ट्रिप के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि पूर्व में 150-200 टैंकर ट्रिप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था। साथ ही विधान सभा क्षेत्र दौसा के अधिकतर गांवों में पेयजल की अत्यधिक समस्या होने के कारण निरन्तर टैंकर ट्रिपों द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा था लेकिन वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में भी टैंकरों द्वारा पेयजल सप्लाई बन्द कर दी गई है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की विकट समस्या हो गई है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु शहरी जल योजना दौसा के अन्तर्गत 5 नग नलकूप निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाई गयी है किन्तु राज्य सरकार के द्वारा निविदाओं पर रोक लगाने के कारण विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी है। साथ ही टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन कार्य की दर संविदा की वित्तीय सीमा भी समाप्त होने के कारण टैंकर सप्लाई भी नहीं की जा रही है। नवीन दर संविदा हेतु लगायी गयी निविदा के भी राज्य सरकार द्वारा लगायी गयी रोक के कारण कार्यादेश नहीं हो सके हैं। ऐसी स्थिति में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की विकट समस्या पैदा हो गई है।

अतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिला मुख्यालय दौसा एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था हेतु बीसलपुर परियोजना से प्राप्त होने वाले पानी की सप्लाई को 30 लाख लीटर व टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सप्लाई निविदा तुरन्त की जाकर टैंकर सप्लाई सुचारु रूप से करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुरेश गुर्जर। (अनुपस्थित)

श्री आदू राम मेघवाल। माननीय सदस्य, अपनी सीट पर रहिये। आप जल्दी बोलिये।

चौहटन में अग्निशमन वाहन की उपलब्धता

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बाड़मेर जिले के चौहटन विधान सभा क्षेत्र में हुई आगजनी की विभिन्न घटनाओं से कई परिवारों के बेघर होने के साथ आमजन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।

बाड़मेर जिला मुख्यालय से चौहटन की दूरी 50 किलोमीटर है। चौहटन विधान सभा क्षेत्र में 02 उपखंड, 03 तहसील, 01 उप-तहसील, 04 पंचायत समिति तथा 112 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। आगजनी की घटना होने पर जिला मुख्यालय से अग्निशमन वाहन मंगवाना पड़ता है। लम्बी दूरी होने के कारण अग्निशमन वाहन दो-तीन घंटे बाद ही पहुंच पाता है। जिले के अन्य क्षेत्र में आगजनी की घटना होने पर घटना स्थल से दमकल को जिला मुख्यालय और उसके बाद चौहटन पहुंचने में बहुत ही अधिक समय लग जाता है। इसके कारण स्थानीय लोग काफी लम्बे समय से दमकल की मांग कर रहे हैं।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र भारत पाक सीमा से सटा होने के कारण सामरिक लिहाज से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर तीनों सेनाओं के कार्मिक कार्यरत हैं। यहां विरात्रा माता मंदिर है जहां पर देश के विभिन्न स्थानों से सालाना हजारों लोग दर्शनार्थ आते हैं। इसके अलावा चौहटन कस्बे में लगने वाले सुइयां के मेले में लाखों लोग शामिल होते हैं।

ऐसी स्थिति में चौहटन उपखंड क्षेत्र में दमकल वाहन की अति आवश्यकता है। अगर चौहटन में दमकल वाहन उपलब्ध करवाया जाता है तो शिव विधान सभा क्षेत्र के शहरी गांवों में भी आगजनी होने की स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

अतः चौहटन विधान सभा क्षेत्र के आमजन को आगजनी से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए दमकल वाहन (फायर ब्रिगेड) मय कार्मिक उपलब्ध करवाकर अनुगृहीत कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री उमेश मीणा।

बेणेश्वर धाम की जमीन पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। आदिवासी महाकुम्भ के नाम से प्रख्यात बेणेश्वर धाम (बैणका) की जमीन का सही सीमांकन ना कर प्रभुत्वशाली लोगों के द्वारा कब्जा

करने एवं इस धाम के विकास के नाम पर आये हुए बजट का सही उपयोग नहीं होने के संबंध में निवेदन है।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रकिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण कर आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा आस्था का केन्द्र बेणेश्वर धाम (बैणका) जो प्राचीन काल से राजा बाणासुर की धरती बैणका के नाम से प्रचलित है, यह मावजी महाराज की मुख्य कर्म स्थली भूमि है।

इस स्थल पर माघ पूर्णिमा को आदिवासी महाकुम्भ का मेला भरता है जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र से लाखों श्रद्धालु दर्शन एवं अपने पुरखों की अस्थियां विसर्जन के लिए आते रहते हैं, लेकिन गम्भीर चिन्ता का विषय यह है कि इस आस्था केन्द्र पर प्रभुत्वशाली लोगों ने अपनी कमाई करने का साधन बना लिया है यह एक टापू में स्थित है, अन्दर एवं बाहर सभी जगह मिलाकर 80 हैक्टेयर जमीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): कई लोगों ने धर्म की आड़ में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह बड़े दुख की बात है कि आदिवासी महाकुम्भ के नाम से न तो कोई जमीन है न ही कोई रहने उठने बैठने की जगह है। आदिवासी समुदाय से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं तो झाड़ियों, पत्थरों में ठोकरे खाते फिरते हैं। यहां पर एक आदिवासी समुदाय के नाम का एक मात्र छोटा-सा वाल्मीकि भवन बना है लेकिन आये दिन प्रशासनिक कारण बताते हुए प्रशासन अपने कब्जे में कर लेता है। विकास कार्य एवं इस धाम के संचालन के लिए ट्रस्ट बनाए गए हैं इस ट्रस्ट में एक भी स्थानीय आदिवासी को नहीं लिया गया है। इस प्रकार यहां आस्था के नाम से जमीनों को हड़पा जा रहा है और रातों रात निर्माण करवा दिया जाता है एवं विकास कार्य के नाम से पैसों की हेरा फेरी कर डकार लिए जाते हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि यहां जो भी ट्रस्ट एवं कमेटियां बनी हैं उन समस्त ट्रस्टों में स्थानीय विधायक, प्रधान एवं सरपंच व आदिवासी समुदाय से बुद्धिजीवियों को लिया जाए एवं साथ ही यहां पर जो जमीन है उसमें 80 प्रतिशत आदिवासी समुदाय के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में नाम कर एक आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्र एवं आदिवासी संग्रहालय का निर्माण कराया जाये ताकि इस आस्था केन्द्र का इतिहास सही रूप से संग्रहित रह सके। धन्यवाद।
जुहार, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा। श्री फूल सिंह मीणा। (अनुपस्थित) यह ठीक नहीं है, आप नोट करिये। श्री रमेश खींची।

अलवर एवं कठूमर के निवासियों की जल जीवन मिशन योजना में जल कनेक्शन के नाम पर जमा की गई राशि की वापसी

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रकिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

राज्य में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत आमजन को घर-घर पीने के पानी की सप्लाई किये जाने की योजना में विभाग द्वारा कनेक्शनधारी से कनेक्शन एवं रख-रखाव के नाम से 10 प्रतिशत राशि जमा की गई थी जिसके तहत अनेकों कनेक्शनधारियों द्वारा 10 प्रतिशत राशि विभाग में जमा भी करवा दी गई, परन्तु जनता द्वारा इस संबंध में विरोध किये जाने पर सरकार के निर्देशानुसार उक्त राशि को विभाग द्वारा जमा करने से बन्द कर दिया गया तथा सरकार द्वारा निःशुल्क कनेक्शन देने की घोषणा कर दी गई। परन्तु विभाग द्वारा जिन कनेक्शनधारियों ने इस योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत पैसा जमा करवा दिया गया था उसे अभी तक उन्हें वापस नहीं किया गया है। जिससे अलवर जिला एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर की कई ग्राम पंचायतों के कनेक्शनधारियों द्वारा पूर्व में जो राशि जमा करवा दी गई उन्हें वापस नहीं किया गया है।

अतः जमा की गई राशि को वापस दिलवाये जाने की कार्यवाही करते हुए एवं विलम्ब किये जाने की जांच करवाते हुए संबंधित दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कराएं।

सर, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, यह दोहरी नीति का मामला है, थोड़ा कहलवा दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। इसका उत्तर नहीं आता है। श्री भागचन्द टांकड़ा।

PCS-RTM-30.1.2024-12.40-11

बांदीकुई में अपूर्ण ओवर ब्रिज

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं नियमों के नियम 295 के तहत मेरी विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में धोलीगुमटी रेल्वे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में धोलीगुमटी रेल्वे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य का वर्क आर्डर 19.8.2017 को जारी हुआ था जिसका सम्पूर्ण कार्य करने की अवधि 18.2.2019 थी जो आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है। मेरा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त ओवर ब्रिज के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृत लाल मीणा।

देवगांव, खोलडी, बनोडा, मोरीला व मालपुर का सलूमबर तहसील में सम्मिलन

श्री अमृतलाल मीणा (सलूमबर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव: पटवार मण्डल देवगांव, खोलडी, बनोडा, मोरीला, एवं मालपुर को तहसील सलूमबर में सम्मिलित करने बाबत।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, तहसील सलूमबर मुख्यालय से दूरी आवागमन के साधनों का अभाव, जन- भावना आदि समस्त सुविधाओं को दरकिनार कर केवल राजनैतिक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए

तहसील झल्लारा का सृजन जून 2022 में आनन-फानन में किया गया जिसका तत्कालीन समय में उक्त समस्त ग्राम पंचायतों की जनता ने पुरजोर विरोध किया एवं कई बार जिला कलक्टर उदयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी सलूमबर के माध्यम से राज्य सरकार को इस कुठाराघाती निर्णय के विरोध में विरोध प्रदर्शन किये गये। कई बार ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार के संज्ञान में उक्त आमजन विरोधी निर्णय को पुनरावलोकन करने का अनुरोध विनय किया किन्तु राज्य सरकार ने राजनैतिक लाभ को तवज्जो देते हुए जन भावना एवं जन सुविधा के विपरित पटवार मण्डल देवगांव, खोलडी, बनोडा, मोरीला, एवं मालपुर को यथावत तहसील सलूमबर में ही रखा जाए। उक्त गांवों की जनता अपने तहसील मुख्यालय पर जानें के लिए सलूमबर से होकर गुजरने हेतु विवश हैं। इन गांवों की सिमाएँ सलूमबर तहसील कार्यालय से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जबकि झल्लारा तहसील कार्यालय जाने हेतु आमजन को 20-25 किलो मीटर की यात्रा करनी होती है व सलूमबर नगर से होकर गुजरना पडता है। यह बड़ी कष्टदायी विडम्बना है। यातायात के साधनों का अभाव, पहुंच सड़क अभाव है।

महोदय, उक्त ग्रामवासीयों द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पुनः आशय का ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि तहसील झल्लारा के अर्न्तगत सम्मिलित पटवार मण्डल का विवरण निम्नानुसार है, को तहसील सलूमबर में सम्मिलित किया जाकर इन ग्रामों में निवासरत लगभग 23000 ग्रामवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाया जाकर राहत प्रदान की जाये एवं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये अन्याय का उपचार कर ग्रामीण जनता को त्वरित न्याय एवं राहत पहुंचायी जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री विकास चौधरी।

सुरसुरा स्थित तेजाजी मन्दिर को अजमेर-पुष्कर सर्किट से जोड़ना

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत में सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सुरसुरा स्थित तेजाजी महाराज का प्राचीन मंदिर है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से दर्शन के लिये आते हैं, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार के प्रयास निम्न स्तर के प्रतीत होते हैं, साथ ही किशनगढ़ से सुरसुरा आने वाले मार्ग में ट्रैफिक जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है चूंकि उसी मार्ग पर विश्व की प्रख्यात मार्बल मंडी होने के कारण भी हजारों की तादात में वाहनों का आवागमन रहता है। इसी कारण क्षेत्र में नवीन बाईपास सड़क निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सुरसुरा में तेजाजी का पेनोरमा बनाया जावे एवं क्षेत्र को अजमेर-पुष्कर धार्मिक सर्किट से जोड़ा जावे।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है उक्त विषय पर शीघ्रातिशीघ्र

आवश्यक कार्यवाही कर, किशनगढ़ क्षेत्र की जनता को ये नवीन सौगात प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरवीर सिंह बराड़।

श्रीगंगानगर से हिन्दूमलकोट सड़क का पुनर्निर्माण

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय सार्वजनिक विभाग मंत्री महोदय जी, श्री गंगानगर जिले में हिन्दूमलकोट एक ऐतिहासिक धरोहर है। हिन्दूमलकोट की जिला मुख्यालय से दूरी मात्र 20 किलोमीटर है परंतु तीन पुली से हिन्दूमलकोट सड़क जिसका कुछ जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण यहां की धरोहर हिंदूमलकोट तक पर्यटक भी नहीं पहुंच पाते हैं। हिन्दूमलकोट भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ सीमा के प्रहरियों का भी मुख्य स्थल है। भारतीय सेना को भी हिन्दूमलकोट सड़क के खस्ताहाल होने का नुकसान उठाना पड़ता है। चार किलोमीटर लंबी सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है, जिला मुख्यालय से बेहद कम दूरी होने के बाद भी इस ऐतिहासिक धरोहर तक पर्यटकों का खस्ताहाल सड़क के कारण नहीं पहुंच पाना बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है।

यहां के निवासियों को भी परिवहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में यह सड़क 16 किलोमीटर बन चुकी है अब मात्र 4 किलोमीटर निर्माण बाकी है अतः आपसे निवेदन है कि स्थानीय जनता से जुड़ी इस सड़क का निर्माण करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री गजेन्द्र सिंह।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त (कर) विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त(कर) विभाग की निम्नांकित 50 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-19 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा जीएसटीआर-4 रिटर्न डिफाल्टर के लिए ऐमनेस्टी योजना की समय-सीमा में वृद्धि की गई है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-20 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा रद्द पंजीकरण के निरसन हेतु आवेदन की समय-सीमा में वृद्धि की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-21 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा धारा 62 के तहत जारी किए गए कर-निर्धारण आदेशों को वापस लेने के लिए ऐमनेस्टी योजना की समय-सीमा में वृद्धि की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-22 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा जीएसटीआर-9रिटर्न डिफाल्टर के लिए ऐमनेस्टी योजना की समय-सीमा में वृद्धि की

गई है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-23 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा जीएसटीआर-10 रिटर्न डिफाल्टर के लिए ऐमनेस्टी योजना की समय-सीमा में वृद्धि की गई है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-24 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-40 दिनांक 29.06.2017-राज्य कर (दर) में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-25 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष GTA द्वारा दायर घोषणा के संबंध में अधिसूचना संख्या F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-49 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-26 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा निजी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी छूट के विस्तार के संबंध में अधिसूचना संख्या F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-27 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा परिशिष्ट-III में संशोधन के संबंध में अधिसूचना संख्या F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-51 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-28 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा "विदेश व्यापार नीति" और "प्रक्रियाओं की पुस्तिका" की परिभाषा में संशोधन के संबंध में अधिसूचना संख्या F.12(56) FD/Tax/2017-Pt-III-137 दिनांक 31.12.2018 में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-29 दिनांक 16.08.2023 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 2 से 24 के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-30 दिनांक 16.08.2023 जिसके द्वारा भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड एसएलपी में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-31 दिनांक 16.08.2023 जिसके द्वारा कुछ मालों के विनिर्माण में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-32 दिनांक 16.08.2023 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 158ए के तहत 'लेखा संकलक' को उन प्रणालियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिनके साथ सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना

साझा की जा सकती है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(32)एफडी-कर-2022-III-34 दिनांक 16.08.2023 जिसके द्वारा रिप्स-2022 में संशोधन किया गया है;

16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-35 दिनांक 20.09.2023 जिसके द्वारा कंपोजीशन करदाताओं द्वारा उनके माध्यम से माल की आपूर्ति के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-36 दिनांक 20.09.2023 जिसके द्वारा अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा उनके माध्यम से माल की आपूर्ति के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-37 दिनांक 20.09.2023 जिसके द्वारा आरजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (दूसरा संशोधन, 2023) किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(35)एफडी/कर/2023-45 दिनांक 21.09.2023 जिसके द्वारा एफडी के आदेश क्रमांक एफ.12(5) एफडी/टैक्स/2023-102 दिनांक 10.02.2023 में संशोधन किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(36)एफडी/कर/2023-47 दिनांक 27.09.2023 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023 लागू की गई है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-48 दिनांक 29.09.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(11) एफडी/टैक्स/2023-31 दिनांक 16 अगस्त, 2023 में संशोधन किया गया है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)एफडी/कर/2018-49 दिनांक 06.10.2023 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग के अपीलीय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-52 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/ 2017-Pt-I-49 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-53 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56)एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-54 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं को आरसीएम से बाहर करने के संबंध में अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-51 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-55 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-53 दिनांक

29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

27.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-56 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-55 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

28.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-57 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

29.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-58 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-41 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

30.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-59 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-43 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

31.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-60 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017- Pt-I-44 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

32.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-61 दिनांक 27.10.2023 जिसके द्वारा आरजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (तीसरा संशोधन, 2023) किया गया है;

33.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-62 दिनांक 20.12.2023 जिसके द्वारा 31 मार्च, 2023 तक पारित मांग के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

34.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-63 दिनांक 20.12.2023 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है;

35.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-64 दिनांक 20.12.2023 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम की धारा 15(5) के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति, ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा अन्य ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति और कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति को अधिसूचित किया गया है;

36.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-65 दिनांक 20.12.2023 जिसके द्वारा निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों को बाहर करने के लिए दिनांक 15.11.2017 की अधिसूचना संख्या एफ. 12(46)एफडी/टैक्स/ 2017-पीटी-II-143 में संशोधन किया गया है;

37.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-66 दिनांक 20.12.2023 जिसके द्वारा आरजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (तीसरा संशोधन, 2023) किया गया है;

38.अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-67 दिनांक 20.12.2023 जिसके

द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56)एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

39.अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-68 दिनांक 01.01.2024 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 168ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्दिष्ट अनुपालन की तारीखों को बढ़ाया गया है;

40.अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-69 दिनांक 04.01.2024 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56)एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

41.अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-70 दिनांक 09.01.2024 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(11)एफडी/ टैक्स/2023-31 दिनांक 16-08-2023 को रद्द किया गया है;

42.अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-71 दिनांक 09.01.2024 जिसके द्वारा कुछ मालों के विनिर्माण में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

43.अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)एफडी/कर/2017-55 दिनांक 27.07.2023 जिसके द्वारा सम्पत्ति पंजीकरण के समय पक्षकारों की आधार आधारित पहचान को अधिसूचित किया गया है;

44.अधिसूचना संख्या: एफ.2(2)एफडी/कर/2023-56 दिनांक 04.09.2023 जिसके द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज काॅंपारेशन लिमिटेड के पक्ष में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 600 करोड़ रुपये के ऋण के लिए निष्पादित दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

45.अधिसूचना संख्या: एफ.5(7)एफडी/कर/2019-57 दिनांक 12.09.2023 जिसके द्वारा सोफिया गर्ल्स कालेज, अजमेर के पक्ष में पट्टे के नवीनीकरण के लिए निष्पादित दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट प्रदान की गई है;

46.अधिसूचना संख्या: एफ.2(9)एफडी/कर/2021-58 दिनांक 12.09.2023 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में जारी एमेनस्टी स्कीम की अवधि को बढ़ाया गया है;

47.अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)एफडी/कर/2023-59 दिनांक 27.09.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-41 दिनांक 10.02.2023 में संशोधन किया गया है;

48.अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)एफडी/कर/2023-60 दिनांक 27.09.2023 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत पंजीयन जिलों में उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है;

49.अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)एफडी/कर/2023-61 दिनांक 27.09.2023 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत पंजीयन जिलों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति

की गई है; एवं

50. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)एफडी/कर/2023-62 दिनांक 27.09.2023 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 8 के तहत पंजीयन एवं मुद्रांक के अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल।

वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग की 08 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.114 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022 लागू किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.100 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) नियम, 2022 अधिसूचित किये गये हैं;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.113 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) नियम, 2022 लागू किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.112 जिसके द्वारा राज्य अनुसूचित जाति विकास परिषद का गठन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.111 जिसके द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद का गठन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.110 जिसके द्वारा अनुसूचित जाति के विकास हेतु सशक्त समिति का गठन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.109 जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु सशक्त समिति का गठन किया गया है; एवं

8. अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त-1(1)आ.व्य./2023 दिनांक 04.10.2023 एस.ओ.137 जिसके द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 को दिनांक 04.10.2023 से प्रवृत्त किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 73वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23) एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधनों के प्रस्ताव पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमति के कारणों का विवरण

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 73वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधनों के प्रस्ताव पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमति के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्चा।

श्री झाबर सिंह खर्चा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ:-

जयपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

1.जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

अजमेर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

2.अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा-60 के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23; एवं

राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2022-23)

3.राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2022-23

श्री अध्यक्ष: वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। श्री जोगेश्वर गर्ग।

Spp/rtm/30.01.2024/1250/1m

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2024-25 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2024-25 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2024-25 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2024-25 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जनलेखा समिति, 2024-25, प्राक्कलन समिति "क", 2024-25, प्राक्कलन समिति "ख", 2024-25 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2024-25, प्रत्येक के लिये अधिकतम 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यक्षीय प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1) 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय

मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अध्यक्ष का सम्बोधन

राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ (राजस्थान शाखा) की सदन की कार्यवाही पश्चात् बैठक

आगे ई.आर.सी.पी.की कार्यवाही शुरू की जाये, उसके पहले मुझे आपको यह सूचित करना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के अभिभाषण पर उत्तर दिये जाने एवं सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने के तुरन्त पश्चात् सदन में सी.पी.ए. की साधारण बैठक होगी। अपने यहां सबको ध्यान है कि सी.पी.ए. का गठन होता है, अपन सब उसकी साधारण सभा के सदस्य हैं तो थोड़ी देर के लिये अपन इकट्ठे होकर उसकी जो औपचारिकता है, उसकी जो कार्य सूची है, उसको अपन पूरा करेंगे।

माननीय सदस्यगण द्वारा कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का सदस्यता

फार्म प्रस्तुत का अनुरोध

दूसरी सूचना कांस्टिट्यूशनल क्लब अपने यहां बना है और उसकी सदस्यता फार्म भरे जा रहे हैं। अभी भी बहुत कम सदस्यों से अप्लाई किया है, तो सबको सूचित करते हुए जो भी उसके सदस्य बनना चाहें, मैं समझता हूं अधिकांश लोग उसके सदस्य बनें। ऐसा आग्रह है कि आप सब सदस्यता फार्म शीघ्र भरकर अपने सचिव जी को आप दे दें।

तीसरा, एक आग्रह है कि इस ई.आर.सी.पी. की चर्चा के बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना वाद-विवाद होगा। वाद-विवाद के लिये समय अपने यहां निर्धारित है। ठीक 4.00 बजे विपक्ष के नेता अपना भाषण शुरू करेंगे और ठीक 5.00 बजे मुख्य मंत्रीजी अपना उत्तर देंगे। उस दौरान सभी पक्षों से मेरा निवेदन है कि दोनों, जब विपक्ष के नेता बोलें तो इधर से कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलें और जब सदन के नेता बोलें तो इधर से भी कोई भी टिप्पणी न करें और कोई बीच में न बोलें। यह दोनों सदन में माननीय सदस्य हैं, दोनों बोलने वाले हैं। एक पक्ष बोलेगा, फिर दूसरा पक्ष बोलेगा तो सदन चल नहीं पायेगा। इसलिये मेरा सबसे निवेदन है कि इस बात की अपन सब कठोरता से पालन करें और सभी सदस्यों के अपने-अपने सचेतक, अपने-अपने नेता उनको निर्धारित करें कि इस प्रकार से बीच में न बोलें।

अब ई.आर.सी.पी. पर जो कल मैंने कहा था कि आधे घंटे की चर्चा होगी। निश्चित रूप से उस चर्चा में समय सीमा है, इसलिये बहुत कम सदस्यों को, जिन्होंने इसमें नाम दिये हैं, उसमें से भी जो आवश्यक हैं, उनको अनुमति होगी। सबसे पहले माननीय मंत्रीजी अपना

वक्तव्य रखेंगे।

शासकीय वक्तव्य

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक योजना (ईआरसीपी) में हुई प्रगति

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल के सम्बन्ध में रहीम दास जी भी कह गये हैं -

'रहिमन पानी राखिये, बिनु पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरै, मोती, मानुष, चून।।'

अर्थात् पानी मनुष्य के जीवन का स्रोत है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी प्राकृतिक वस्तुओं में जल सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थल है, जहां जल नाममात्र का है। साथ ही यहां वर्षा के कम होने से भीषण अकाल भी पड़ता रहा है। यह अपन सभी को विदित है। वर्षा को प्रभावित करने वाले पेड़ों की भी कमी है। इस कारण राजस्थान का जल संकट दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा भारत के समग्र विकास हेतु नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गयी थी। इस परियोजना के तहत भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, राजस्थान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं रोजगार सृजन हेतु उद्योग स्थापित करने हेतु वर्ष 2017 में ई.आर.सी.पी. की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करायी गयी थी। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में 2018 से 2023 तक इस योजना को लागू करने के लिये कोई भी सार्थक प्रयास एवं प्रगति नहीं की गयी थी, बल्कि एक कारपोरेशन बनाया गया था, उस निगम को सिर्फ 200 करोड़ रुपये दिये और 200 करोड़ रुपये देने के बाद उस निगम को कहा कि आप जमीनें बेचो, टापू बेचो, कुछ भी करो, लेकिन 14 हजार करोड़ के टेण्डर लगाओ। न तो कोई वित्तीय प्रावधान था। आपने टेण्डर लगा दिये और आप दावा कर रहे थे केन्द्र सरकार से, कि या तो आप करो नहीं तो हम करेंगे। आपके पास पैसा तो था नहीं, कहां से करते?

इसके अलावा भी जब-जब दिल्ली बैठक के लिये बुलाया 12.11.2021 को, तब न तो आपके मंत्री गये और न ही आपके सेक्रेटरी गये। 13.12.2022 को बुलाया, उसमें न तो तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी गये और न मंत्रीजी गये। 27.09.2023 को बुलाया उसके अन्दर न तो आपके कोई सेक्रेटरी गये और न मंत्रीजी गये। 14.12.2023 को बुलाया न तो आपके मंत्रीजी गये। इस तरह से सिर्फ कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोगों को दिखावा करने के लिये यह कार्य किया। धरातल पर इसको लागू करने के लिये कोई सार्थक प्रयास नहीं किये।

राजस्थान में जल संसाधन की उपलब्धता में हालत काफी खराब है। राज्य में देश के कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत एवं कुल भूजल का मात्र 1.72 प्रतिशत ही पाया जाता है। अतः हमें सतही जल के मुख्य स्रोत एवं वर्षा के जल का संग्रहण एवं संरक्षण तथा

समुचित प्रबन्धन के साथ-साथ भूमिगत जल के कुशल उपयोग की आवश्यकता है।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुनलाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

राजस्थान के जल संकट के निवारण हेतु माननीय प्रधान मंत्रीजी नरेन्द्र भाई मोदीजी एवं मुख्य मंत्रीजी श्री भजन लाल जी के सार्थक प्रयास से जैसे हजारों वर्ष पहले ऋषि भागीरथी के तपोबल से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, उसी तरह से प्रयास से राजस्थान के लिये संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल परियोजना का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है।

SSY/RTM/30.01.2024/13.00/1n

इस प्रकार एकीकृत ईआरसीपी जैसी महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। वीर, वीरांगनाओं की पावन धरा राजस्थान को यह अति विशिष्ट सौगात देने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी का और माननीय प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत दिसम्बर, 2023 से ही सरकारी स्तर पर एवं व्यक्तिगत रूप से भी परियोजनाओं को अतिशीघ्र धरातल पर लाने हेतु सकारात्मक रूप से प्रयास किये गये। माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से संशोधित पीकेसी लिंक योजना को मूर्त रूप देने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्रियों की वार्ता दिनांक 28.01.2024 को आयोजित हुई। दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच इस योजना की क्रियान्विति हेतु सकारात्मक बातचीत हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य बहुप्रतीक्षित एमओयू पर दिनांक 28.11.2024 को हस्ताक्षर किये। इस प्रकार यह एमओयू दोनों ही प्रदेशों के लिए स्वर्णिम युग का सूर्योदय होगा।

संशोधित पीकेसी लिंक योजना के लिए हस्ताक्षरित किये गये एमओयू में ईआरसीपी योजना के संपूर्ण लाभों को तथा 13 जिलों के पेयजल के लिए यानि 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर में सिंचाई, उद्योगों के लिए पानी, 26 बांधों में जल भरने के अतिरिक्त पानी की उपलब्धता एवं तकनीकी उपादेयता के अनुसार पूर्व में सम्मिलित बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले अन्य निर्मित बांधों को भी भरा जायेगा।

संशोधित पीकेसी लिंक योजना को राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्राथमिकता लिंक परियोजना हेतु सम्मिलित किया गया है। नदी जोड़ो परियोजना में सम्मिलित होने के कारण इस परियोजना के लिए राष्ट्र की अन्य समकक्ष परियोजना के अनुरूप केन्द्र की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। जिससे राज्य के आर्थिक संसाधनों पर पहले की अपेक्षा काफी कम वित्तीय भार पड़ेगा। योजना राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। परियोजना में आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाने से एक तरफ ना केवल पानी का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा साथ ही क्षेत्र के किसानों को पीने का पानी उपलब्ध होने के

कारण किसानों की वार्षिक वित्तीय आय में आशातीत वृद्धि होगी। क्षेत्र में औद्योगिक विकास के द्वार खुलने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। यह परियोजना राजस्थान के विकास की गति को डबल इंजन की मजबूत सरकार के साथ डबल करने वाली है, किसान परिवारों को अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने वाली है जिससे किसानों का जीवन बदलेगा। साथ ही पर्यटन, उद्योग जगत की नई राहें खुलेंगी। भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा।

संशोधित पीकेसी लिंक योजना के अंतर्गत ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को एकीकृत करने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। जिसमें दोनों राज्यों के गत लगभग 30 वर्षों में हुई वर्षा के आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा उपलब्ध पानी की गणना की जायेगी। यहां पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित 26 बांधों में जल भरने का प्रावधान रखा गया था। यह हमारी सरकार की संशोधित परियोजना में इन 26 बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख बांधों को भी परियोजना में शामिल करने हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी का अध्ययन किया जा रहा है।

इस प्रकार पूर्व में तैयार परियोजना की तुलना में संशोधित पीकेसी योजना के द्वारा कहीं अधिक लगभग 40 परसेंट राजस्थान की आबादी की प्यास बुझाई जायेगी। क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बिना मानव जाति जीवित नहीं रह सकती। इसका उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है। ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सबको है। लेकिन पूर्वी राजस्थान के लिये जीवनदायिनी बन रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): ईआरसीपी पर धन्यवाद देने की बजाय ..।

श्री सभापति: आप विराजिये। विजन वही है। मंत्री जी ही बोल रहे हैं। मंत्री जी का ही विजन है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): स्टेटमेंट लिखा हुआ ही पढ़ा जाता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लिखा हुआ पढ़ रहे हो। लिखा हुआ पढ़ रहे हो। मंत्री लिखा हुआ पढ़ रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सरकार का वक्तव्य है। नियमों के अनुसार लिखा हुआ ही आता है।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नियमों का अध्ययन करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सभी को है। लेकिन पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी बन रही इस ईआरसीपी पर धन्यवाद देने की बजाय आप राजनीति कर रहे हो। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।

लेकिन ऐसी योजना के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है जो आपमें नहीं है।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

जो दृढ़ इच्छाशक्ति माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने दिखाई है, वह राजस्थान की जनता ने देखा है। इस निर्णय के माध्यम से देख लिया है। मेरे प्रतिपक्ष के सम्माननीय साथियों ने यह आरोप लगाया कि 28 जनवरी, 2024 को दोनों प्रदेशों के बीच हुए एमओयू में राजस्थान को दिये जाने वाला पानी को घटाकर आधा किया है। जबकि यह तथ्य संशोधित पीकेसी परियोजना बनाते हुए समय-समय पर किये गये विभिन्न आकलनों में जल की मात्रा में भिन्नता रही।

एमओयू के अनुसार डीपीआर को अंतिम रूप दिया जायेगा। जिसमें जल की मात्रा की सही-सही गणना की जायेगी। योजना में सम्मिलित जिलों में से कुछ जिलों में पेयजल आपूर्ति हेतु समानांतर रूप से योजनाएं विकसित की गयीं। वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 13 जिलों में अगले 30 वर्षों की आबादी को मद्दे नजर रखते हुए पेयजल आपूर्ति हेतु ईआरसीपी योजना में प्रस्तावित 1730 एमसीएम के विरुद्ध 1533 एमसीएम जल की मांग की गयी है।

संशोधित पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक योजना में पूर्व में परिकल्पित योजना में सम्मिलित लगभग 2 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र, पूर्व में सृजित 80 हजार हेक्टेयर को स्टेबलाइज करना, औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही 26 बांधों से अधिक बांधों में जल भरा जाना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही इस योजना में गंभीरी, बाण गंगा, रूपारेल एवं साबी नदियां भी रिचार्ज होंगी। इससे राज्य के किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा। डोटासरा जी, साफ नीयत यही विकास, राजस्थान की पूरी हुई आस। ईआरसीपी से बुझेगी करोड़ों जन-जन की प्यास। अग्रणी बनेगा राजस्थान। जन-जन का सपना हो साकार, यही चाहती है हमारी भजन लाल सरकार।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारी लाल मीणा।

श्री मुरारी लाल मीणा (दौसा): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय के द्वारा ईआरसीपी पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की गयी।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (दौसा): मैं इसमें आपको निवेदन करना चाहूंगा। इस प्रदेश के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। पानी के हिसाब से भी जब सरफेस वाटर आप बता रहे थे कि 1.6 ही मिलता है। पूरे प्रदेश में जब से देश आजाद हुआ, विभिन्न प्रकार की जल परियोजनाएं लागू कीं, जिसमें इंदिरा गांधी नहर है, सरदार सरोवर है, माही है।

लेकिन पूर्वी राजस्थान का एक दुर्भाग्य रहा कि कोई ऐसी बड़ी योजना यहां आयी नहीं। पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त पानी की किल्लत पैदा हो गई। आप ही की सरकार ने जल के

मामले में 2005 के अन्दर एक समझौता किया था। जिसमें जो पानी की मात्रा थी, 50 परसेंट निर्भरता पर समझौता हुआ था। उसी समझौते के तहत हमारी सरकार आयी। आपकी सरकार ने ही ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बनाया था जब मैडम मुख्य मंत्री थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके तहत, वह जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट आपने बनाया था 1723.5 एमसीएम पानी सिंचाई के लिए यूज होना था, 286.4 एमसीएम पानी इंडस्ट्री के लिए यूज होना था। 1500 एमसीएम पानी जिसमें आप बता रहे थे कि 2 लाख हेक्टेयर के आसपास सिंचाई होनी थी और 80 हजार हेक्टेयर जो बचा हुआ पानी था, उसमें से पानी जो हमारे डैम थे, जो सूख गये थे, उनमें यूज होना था।

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि हम 26 डैमों को पानी से भरेंगे उस समझौते के बाद में।

Jyg/rtm/30.01.24/13.10/10

मध्य प्रदेश ने 2 डैमों का निर्माण कर लिया। करीब 2 लाख हेक्टेयर से ऊपर भूमि की सिंचाई भी कर रहे हैं। आपने डिपेंडेबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं, और आप यह कह रहे हैं कि 2 लाख 2 हजार हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे मैं समझता हूँ कि इतना पानी आपको मिलेगा ही नहीं। आपने यह नहीं बताया कि आपकी सारी परियोजना में आपको कितना एमसीएम पानी मिलेगा, यह मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब पानी मिलेगा ही नहीं तो कहां से तो आप 26 बांधों को भरेंगे, कहां से आप 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे? कहां से आप 80 हजार हेक्टेयर जो पहले सिंचाई होती थी वो करेंगे, पानी आपके पास है ही नहीं। आपने ईआरसीपी को चेंज करके आपके जल शक्ति मंत्री महोदय का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था अखबार में, वो कह रहे थे कि 13 जिलों के प्यासे कंठों का पास लगा है इसलिए हमारी सरकार बदल गई। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आप यह पीकेसी बना रहे हो, यह उन 13 जिलों के लोगों का, हमने तो उनका कंठ ही सुखाया है, यह मैं मानता हूँ कि हमारी लापरवाही रही, आप उनका कंठ काट रहे हो। पानी है ही नहीं आप कहां से देंगे? आप उनका कंठ काट रहे हो। आप कह रहे हो कि हमने बजट प्रोविजन ही नहीं किया, हमने ईआरसीपी बनाई, बार-बार आपसे निवेदन किया, आपने जिद पकड़ ली कि हमको इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं है, हमको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं है। हमने हमारे स्तर पर बजट प्रोविजन किए, आज ईसरदा डैम का काम बहुत तेजी से चल रहा है जिससे दौसा को पानी मिलेगा, इंगरी डैम पर हमने काफी पैसा खर्च किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक निवेदन और है कि आपने स्वयं ने बोला हम 26 डैमों में पानी डालेंगे। जब ईआरसीपी योजना बनी थी, आपने बनाई थी, पूर्वी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और आंदोलन यह हुआ था कि हमारे बचे हुए बांधों को इस योजना में और जोड़ा जाए। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद में हमारी सरकार ने 53 डैमों को और जोड़ने का निर्णय लिया, उनका सर्वे हुआ

और 79 डैमों को ईआरसीपी योजना के अंतर्गत जोड़ा था। आप बताइए आपकी डिमांड थी, आप केवल यह कह रहे हो कि हम 26 डैमों को पानी से भरेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पीकेसी की योजना बना रहे हो, इसमें पानी है ही नहीं। इसमें आपको 2 हजार एमसीएफटी से ज्यादा पानी मिलेगा ही नहीं। जबकि हमको 1700 एमसीएफटी पानी तो केवल पीने के लिए चाहिए, इण्डस्ट्री के लिए चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक बूंद सिंचाई पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में नहीं हो पाएगी। आप हमको भ्रमित कर रहे हो, आप जनता को भ्रमित कर रहे हो। 3 रोज से खुशी मना रहे हो, कोई तो कह रहा है कि भगीरथ जी आ गए। आप मुख्य मंत्री महोदय को वहां माला पहना रहे हो, यहां पर माला पहना रहे हो, आपको खुद को पता ही नहीं है, आप तो यह बता दो कि हमको कितना पानी मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रोहित बौहरा।

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): आप तो हमको अनुमानित बता दो कि हमको कितना पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश ने अपने यहां 2 डैम बना लिए, 7 डैम और वहां पर बनेंगे, 4 लाख 26 हजार हेक्टेयर की वहां पर सिंचाई होगी, हमारे यहां पर एक इंच सिंचाई होगी नहीं, हमारे केवल पीने का पानी, पीने का पानी ही बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे यही है कि एक तो आप यह क्लियर-कट करो कि इतने डैमों को हम इस लिंक योजना से जोड़ देंगे, इतना पानी हमें इस लिंक योजना से मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूँ और जितना पढ़ा है क्योंकि दो-तीन साल से पूर्वी राजस्थान में लगातार आंदोलन चलता रहा है। इससे आप एक बूंद भी सिंचाई नहीं कर पाओगे। इसलिए कृपा करके इस एमओयू पर पुनर्विचार किया जाए। आप एक तो चलती विधान सभा में यह कर रहे हो, आप यहां पर पहले लाते, डिस्कस करते, जिन लोगों को नॉलेज है उन लोगों से बात करते, आपकी सरकार ने यह प्रोजेक्ट बनाया था उनसे बात करते ताकि जनता का फायदा होता। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): स्पीकर साहब, ईस्टर्न राजस्थान की जनता के साथ मैं जितना बड़ा विश्वासघात इस भजन लाल सरकार ने किया है, कोई भी नहीं कर पाएगा। पहले यह परियोजना 3750 एमसीएफटी की थी। जो टोटल हमको पानी मिलना था, मध्य प्रदेश से वो 3750 था, वसुन्धराजी की सरकार ने इसको 3510 एमसीएफटी किया, डीपीआर बनाकर भेजी, वो डीपीआर यह कहकर बंद कर दी गई और यह परियोजना यह कहकर बंद कर दी गई, माननीय मंत्रीजी, किरोड़ी लाल जी मीणा ने पूछा था जो मेरे पास यहां पर है, लिखा हुआ है, राज्य सभा में पूछा था। इनने यह पूछा था कि यह परियोजना क्यों नहीं आप नेशनल परियोजना घोषित कर रहे हो? आपके मंत्री ने जोधपुर से आने वाले सांसद ने कहा कि डिपेंडेबिलिटी नहीं है क्योंकि 75 परसेंट पानी हमको नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)...यह

आपके मंत्री ने जवाब दिया किरोड़ी लाल जी को।

श्री अध्यक्ष: इधर सम्बोधित कीजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी यह नेशनल परियोजना जो पांच साल आप कह रहे हो न कि कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, वो आपकी सरकार ने नहीं किया, मोदी सरकार ने नहीं किया क्योंकि आपके पास 50 परसेंट डिपेंडेबिलिटी नहीं थी। आपने कहा, इसी प्रश्न में उत्तर है, चाहो तो मैं यह टेबल कर दूंगा। इसी क्वेश्चन में यह आंसर है, उसमें आपके जल शक्ति मंत्री ने कहा कि अब हम ईआरसीपी को हटाते हैं, ईआरसीपी परियोजना ही नहीं है, अब क्या परियोजना हो गई, पीकेसी परियोजना। क्या मजाक लगा रखा है, बड़े-बड़े होर्डिंगों में भजन लाल जी ने अपनी फोटो लगा रखी है, मोदीजी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? क्यों जनता की आंखों में मिट्टी डालने का काम कर रहे हो? हम सब समझते हैं। ये सरकार, ये जनता इस सरकार को कभी आने वाले दिनों में जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो कभी आपको माफ नहीं करेगी असत्य बोलने वालों को, असत्य बोलने वाली सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। आपने क्या कह?, आपने इसमें 902 एमसीएफटी, इस क्वेश्चन के आंसर में यह दे रखा है, जल शक्ति मंत्री ने, 902 एमसीएफटी पानी आपने एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश को दे दिया तब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां पर आए, आपको खुश कर दिया, आपके मुख्य मंत्री से मिलकर, क्या हुआ? मध्य प्रदेश का सीएम आया, हमारे सीएम से मिला और हमने कर दिया। इसी ईगो में आप शांत हो गए, यह किसके लिए किया? आपने तो हमारे 13 जिलों की जनता की आंखों में धूल झोंक दी न? हमारे साथ इतना बड़ा कुठाराघात, विश्वासघात कोई नहीं कर सकता, जो इस सरकार ने हमारे साथ किया है। आपको टोटल वाटर मिलेगा कितना? 2412 एमसीएफटी, यह आंसर है आपके मंत्री का, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपका आंसर है, आपके मंत्री का, आपने क्यों नहीं बताया? मंत्री यहां पर स्टेटमेंट दे रहा है, मंत्री को यह नहीं पता कि कितने एमसीएफटी पानी मिलेगा। कह रहे हैं कि परियोजना की डीपीआर वापस बनेगी। It has already been decided. आपने इस सदन को असत्य बोला, आपने गुमराह किया है इस सदन को, मैं सबसे कहता हूं कि ऐसे मंत्री को ऐसा जवाब ही नहीं देना चाहिए था, क्यों किया आपने? क्या मजाक कर रहे हो आप? रावत साहब, पहली बार आप मंत्री बने हो, कम से कम सदन को तो गुमराह मत करो आप, यह तो आपके मंत्री का आंसर है, मेरा नहीं है। यहां तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें एक इंजन इधर चल रहा है और दूसरा उधर चल रहा है। ... (व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): मैं आपको पूरा बता दूंगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यदि विश्वासघात होगा तो स्माइल नहीं करा जाता है, आप पढ़े-लिखे हो, विश्वासघात कोई आपके साथ करेगा तो स्माइल कोई नहीं करेगा। आपने क्या किया? आप खुद कह रहे हो कि यह हो ही नहीं

सकता। अभी क्या बताया कि 1700-1750 एमसीएफटी तो आपको ड्रिंकिंग वाटर देना है, 286 आपको यह देना है, for your DMRC, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको पानी देना है। कहां से दोगे आप इर्रिगेशन के लिए? यानी ईस्टर्न राजस्थान के जो लोग हैं वो विदाउट इर्रिगेशन रहेंगे, यही आप लोग चाहते हो न? जो ईस्टर्न राजस्थान के लोग हैं, उनके लिए आप यही तो चाहते हो कि वो विदाउट इर्रिगेशन रहे। ...(व्यवधान)...

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): आपने तो कुछ किया नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमने कुछ किया है कि नहीं किया है, मंत्री महोदय, एक तो आप अपनी जगह पर बैठो फिर आप बोलो।

हमने कुछ किया है या नहीं किया है, आपने क्यों किया है उसका मैं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। आप विराजो। पांच लोग बोलने वाले हैं। आधे घण्टे की चर्चा है, पांच-पांच मिनट बोलना है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): स्पीकर साहब, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है क्योंकि आप भी अजमेर से आते हो। आप भी अजमेर से आते हो, आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है। करने वाला हमारे साथ विश्वासघात कौन है, वो मंत्री जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। ...(व्यवधान)... वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है।

श्री अध्यक्ष: सम अप कीजिए। श्री सुभाष गर्ग।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): विश्वासघात करने वाला वो व्यक्ति है, जिसने हमारे साथ यह किया है। ये क्या रहे है आप? क्यों मार रहे हो इस जनता को? क्यों मार रहे हो इस जनता को?

श्री अध्यक्ष: आपका वक्तव्य आ गया, जवाब दे देंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जनता को मत मारो। ...(व्यवधान)...आज इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। क्या पानी कम मिलेगा पहले से तो यह कह रहे हैं कि 7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

MLS/RTM/30.01.2024/13:20/1p

क्या आप पेपर के जरिये हमें और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? सत्य तो बोलें। सत्य बोलने का धर्म तो निभाएं। आप एमएलए बनकर आये हैं? (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये। अब अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: रिपीट हो रहा है। श्री सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो 28 जनवरी, 2024 को यह समझौता हुआ है, मैं समझता हूं, वह समझौता राजस्थान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जायेगा। मैं आपके

माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो एमओयू हुआ है, उसमें नया क्या है, सिवाय इसके कि हमने एक भीख मांगने का काम किया है। हमने राजस्थान के पानी के हितों को गिरवी रखकर, बेचकर, जहां 3510, आपको ध्यान होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के दौरान जो एक एग्रीमेंट हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान का 1999 में, जिसको एंडोर्स किया बीजेपी की सरकार ने, माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व में उसी के आधार पर परियोजना तैयार की गयी।

यह परियोजना वैपकांस ने तैयार की। वैपकांस, मैं समझता हूं कि इंडिया की सबसे बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट की कम्पनी है। माननीय मंत्री जी, आप कौन-सी कम्पनी लाएंगे? पहले तो यह बता दें। क्या आपने एमओयू पढ़ा है? अध्यक्ष महोदय, पहले तो सदन में एमओयू ही नहीं रखा गया। सबसे पहले तो एमओयू सदन के पटल पर रखना चाहिये, उसे टेबल ही नहीं किया गया। चर्चा किस पर हो? अध्यक्ष जी, एक तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी एमओयू की कॉपी सदन के पटल पर तो रखें। आप चर्चा करा रहे हैं। एक तो व्यवस्था का प्रश्न है, वह पटल पर ही नहीं रखा। उसका कारण यह हो सकता है कि एमओयू की कॉपी अभी तक माननीय मंत्री जी ने देखी ही नहीं हो।

मैं पूछना चाहता हूं, नया क्या है एमओयू में? ...(व्यवधान)... 2 लाख हैक्टेयर? तो रख दीजिये सदन के पटल पर। यह तो डॉक्यूमेंट सदन का बन गया। आप रख नहीं रहे हैं। आपने कहा, 2 लाख हैक्टेयर सिंचाई, पहले भी इसी में है। डीपीआर जो बनी थी आपकी सरकार के दौरान, वह 2 लाख हैक्टेयर है। 80 हजार हैक्टेयर का जो पानी सिंचाई के लिए है, वह है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब हो गया, पहले कमांड एरिया था, फिर डीकमांड हुआ, अब वे रीकमांड करेंगे और 13 जिलों को पानी मिलेगा। इसके अलावा क्या है, बता दीजिये। आप गिना रहे हैं एमपी के जिले, 26 जिलों को मिलेगा। अरे भाई, 13 जिलों को पानी नहीं मिलेगा। आपका ही एग्रीमेंट है। यह वैपकांस ने बनाया है डॉक्यूमेंट।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): 26 जिलों में से 13 राजस्थान के जिले हैं, 13 मध्य प्रदेश के हैं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, हम तो राजस्थान का पक्ष रख रहे हैं। हमारा इंटरैस्ट केवल राजस्थान का है कि राजस्थान के 13 जिलों को पानी मिलना चाहिये। यह पुरानी डीपीआर का ही पार्ट है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। आपके नेता ने जिनके नाम दिये हैं, उन्हीं को पुकार रहा हूं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, कोई भी एमओयू जब बनता है तो उसका पार्ट होता है कि कितने जल का आवण्टन किया जायेगा। आपने जो एमओयू किया है, यह कह रहा है भविष्य में, अब यह भविष्य तय करेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान का ऑलरेडी 3510 का एग्रीमेंट हो चुका है, आप कितने जल का आवण्टन बढ़ाएंगे?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): एग्रीमेंट कब हुआ? कौन-सा एग्रीमेंट हुआ? बताइये आप।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, आप तो यह बता दें, क्या राजस्थान को इस एमओयू के होने के उपरान्त 3510 एमसीएम से अधिक पानी मिलेगा? नम्बर वन। नम्बर टू, यह डीपीआर कब बनेगी, क्योंकि जब डीपीआर वैपकॉस की ऑलरेडी है, इसमें क्या नया करेंगे, क्या दायरा होगा, वह बता दें। तीसरा, बजट का आवण्टन क्या है? आपने डीपीआर पहले भी बनायी थी, उसके ऊपर अगर आप देखें तो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इस पर 14 हजार करोड़ का प्रोविजन किया था। और आप कह रहे थे कुछ नहीं किया? आप दौसा में देखकर आइये ईसरदा बांध को, जाइये आप। करीब 1000-1100 करोड़ रुपये खर्चा हो चुका है। कॉरपोरेशन बनाया, कॉरपोरेशन बनते रहे हैं।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): 400 करोड़ वसुन्धरा सरकार ने भी दिये थे।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): दिये तो अच्छा है, मैं कब मना कर रहा हूँ? माननीय मंत्री जी, मना कौन कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि मुझे खेद है इस बात के लिए कि सरकार ने राजस्थान के हितों के साथ अन्याय किया है। केवल किसलिए? कि यह परियोजना घोषित हो जाये। और नाम? नाम क्या कर दिया, पार्वती-कालीसिन्ध-चम्बल लिंक परियोजना। नाम बदलने का कारण क्या है? हमारे जो माननीय केन्द्रीय मंत्री आते हैं, उन्हें वसुन्धरा जी से बड़ी चिढ़ है कि उन्हें श्रेय नहीं मिल जाये। भाई, नाम वाजपेयी जी के नाम पर रख देते, और कुछ रख देते, शेखावत जी के नाम पर रख देते, और कुछ कर देते, लेकिन केवल अपनी मूँछ बड़ी रखने के लिए, इसमें कुछ नया नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने 28 जनवरी से पहले अपने स्तर पर क्या अधिकारियों के साथ इस एमओयू पर चर्चा की? यह बता दिया जाये। माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूँ, यह राजस्थान प्रदेश की जनता आपको बहुआएँ देगी। इन लोगों का गला काटकर गिरवी रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय सदस्य, चर्चा करके मेरे द्वारा ही माननीय सीएम साहब को फाइल गयी थी।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा ईआरसीपी पर सदन में चल रही है और इसका नाम बदलकर 28 तारीख को जो एमओयू हुआ है, पीकेसी, पार्वती कालीसिन्ध चम्बल लिंक परियोजना कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि राजस्थान के इन 13 जिलों को पानी कैसे मिले। यह हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की भी सरकार रही थी, स्टेट में रही, दिल्ली में रही, आप कर

लेते, आपको कौन मना कर रहा था? आप कर लेते आपको कौन मना कर रहा था? जो अभी कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने बात कही थी, यह सही है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मामला राज्य सभा में डॉ. साहब उठाते थे, लेकिन लोक सभा में आपका तो कोई एमपी था नहीं, मैं ही उठाता था लोक सभा में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में क्या कहा गया, वह मैं पिन-पॉइंट करके आपको बता दूँ। 24 मार्च, 2022 को लोक सभा में आपके जल शक्ति मंत्री ने मुझे मेरे सवाल के जवाब में कहा कि ईआरसीपी जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है। फिर चुनाव से पूर्व आपने वादा क्यों किया? क्यों लोगों को बरगलाया? अध्यक्ष महोदय, दूसरा, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी को लेकर जिस संशोधित डीपीआर के एमओयू पर साइन किये, उस संशोधित एवं पूर्व डीपीआर्स की यदि तुलना की जाये तो इस नयी डीपीआर में पानी के कितने हिस्से को कम किया गया? आप यह बताएं, क्योंकि हमने तो यही सुना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला तो यह कायदा होता है कि हम जिस एमओयू पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास उसकी कॉपी तो होनी चाहिये। हम चर्चा करें किस बात पर? यह तो भाषण देने वाली बात हो गयी। बड़ी चौपड़ पर हम भाषण दे रहे हैं या कहीं और खड़े होकर हम भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह बड़ी चौपड़ नहीं, सदन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसमें 1700-1800 एमसीएम के लगभग जो पानी है, वह तो खाली पीने का ही पानी है। जो परिकल्पना हमने 3910 एमसीएम की की थी और 3510 पर जो समझौता हुआ था, आप तो यह बताएं कि इस राजस्थान के 13 जिलों को इसके माध्यम से कैसे पानी पिलाएंगे?

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): 3510 पर कभी भी समझौता नहीं हुआ। आप गलत बता रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पहले हुआ था डॉ. साहब। पहले परिकल्पना की थी। 1999 में 3910 की बात थी, फिर 2005 के बाद यह बात चालू हुई, उस समय शायद हो सकता है कि आप लोक सभा में चले गये हों, पीछे हो गया होगा समझौता डॉ. साहब। मैं कह रहा हूँ, 3510 पर बात हुई, उसके बाद आप गये 1700 पर। आपके जल शक्ति मंत्री यह कह रहे हैं। जब एमओयू जयपुर में किया तो दिल्ली मंगाकर पॉलिटिकल क्रेडिट जल शक्ति मंत्री क्यों ले रहे हैं? मुख्य मंत्री भजन लाल जी सक्षम हैं। वहां के मुख्य मंत्री सक्षम हैं। वित्त का क्या किया आपने? फाइनेंस का तो इसके अन्दर किया ही नहीं। वापस लेकर जाएंगे वहां।

लोक सभा चुनाव से पहले एक बार फिर बरगलाना कि हमने यह काम कर दिया। हम यह चाहते हैं साहब, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी जिन जिलों में आ रहा है, पीने के पानी को लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, दोनों जगह हरियाणा-पंजाब हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे। कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की रही, आपने

किसानों पर गोलियां भी चलायीं, घड़साना रावला आपको याद होगा अच्छे तरीके से, किस तरह किसानों ने शहादत दी। 2016 में आपने देखा होगा कि किसान के बेटे किस तरह से पानी के लिए शहीद हुए। हम चाहते हैं कि राजस्थान को पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले। खाली भ्रामक प्रचार मत करें। महिला आरक्षण बिल लेकर आ गये, परिसीमन के बाद 2047 में होगा। यह क्या बात कर रहे हैं साहब? (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप अगर ईआरसीपी का नाम भी बदल रहे हैं तो कम से कम यह बता दें कि पानी कब तक आ जायेगा, कितनी फाइनैस की व्यवस्था रखी है? सदन में वहां हमें जवाब कुछ दे रहे हैं, यहां बात कुछ कह रहे हैं। कौन-सा एमओयू हुआ? आनन-फानन में आधे घण्टे की चर्चा रख ली, जैसे कोई आज विधान सभा हो रही है तो चर्चा कराके समाप्त करें। आप क्रेडिट ले रहे हैं। इन्हें मौका मिला नहीं। इन्होंने विरोध किया और आपने चर्चा का समय दे दिया। यह तो मजाक बनकर रह गयी विधान सभा साहब। कुछ न कुछ ऐसा कीजिये कि राजस्थान की जनता को राहत मिले, यह हमारी मांग है।

Mkd/Rtm/30.01.2024/13.30/1q

श्री अध्यक्ष: श्री यूनुस खान।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: आप पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): हां, सर। पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। यहां बैठे हुए माननीय किरोड़ी लाल जी 2005 में मिनिस्टर थे और आज 2024 में भी मिनिस्टर हैं। इनके सानिध्य में सारा, चाहे डीपीआर बनी हो, ईस्टर्न कैनाल परियोजना के प्रतिभागी भी ये ही हैं और इन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी आना है।

हमारे माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना बात किये ही यह परसों समझौता कर लिया। काश, इनको भी साथ ले जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इनके नोटिस में सारी बातें रहतीं। सर, हम तो आपकी बड़ाई कर रहे हैं। आप विद्वान हैं, आपकी विद्वता पर किसी को कोई शक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझौता टेबल हो जाता तो हम सदस्य भी पढ़ लेते और उस पर बोलते, लेकिन फिर भी जो समझौता हुआ है, उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि क्वांटम ऑफ वाटर कितना है। यानी राजस्थान को कितनी मात्रा में पानी मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1999 में माननीय अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ समझौता हुआ। उस समझौते की कॉपी भी है। उसके बाद अगस्त, 2005 में वसुन्धरा राजे जी ने इसको सैकण्ड किया, यानी उन मिनिट्स को अप्रूव किया, वह भी है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का जो प्रोजेक्ट बना,

राजस्थान का हिस्सा था 3915 मिलियन क्यूबिक मीटर, उसमें से 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपयोग में लेना था। जिसमें पेयजल के लिए 1723, सिंचाई के लिए 1500 और उद्योग के लिए 286 था। यह सही है कि अभी कल माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने बयान दिया है कि राजस्थान को इस पीकेसी में, पार्वती-कालीसिंध-चम्बल में पानी मिलेगा 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर अर्थात् हमारी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर का प्रस्ताव था, उससे भी लगभग 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यह जो राजस्थान का हिस्सा कम हुआ है। उससे आप 2 लाख हेक्टेयर में तो नई सिंचाई और 80 हजार हेक्टेयर में पुरानी सिंचाई कैसे करेंगे? जबकि आपका 1400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम हो जायेगा। इसलिए ईस्टर्न राजस्थान में सिंचाई के सपने देखने बन्द कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश ने तो 1999 के बाद में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। उसमें पार्वती पर पाटनपुर, नेवज पर मोहनपुरा और कालसिंध पर कुंडलिया बनाया। उसमें 582 एमसीएम पानी और नेवज मोहनपुरा में उन्होंने 616 यानी कुल 1200 एमसीएम पानी तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश अपने हिस्से का काम ले रहा है। राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। सरकारें आती हैं, जाती हैं, यह मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ। वह सारे के सारे चाहे नवनेरा हो या चाहे ईसरदा हो, नवनेरा का 86 परसेंट काम पूरा हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार आई है। मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक हो जायेगा। यह इसी योजना का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है, अब ये किरोड़ी लाल जी जा रहे हैं, क्योंकि सोने के पिंजरे में बन्द कर दिया है, बोल नहीं सकते। एक शेर पहले दहाड़ता था। आजकल हमारे शेर ने दहाड़ना बन्द कर दिया। आज यह आदमी बोलता और इनसे राय ली जाती तो आज राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होता, क्योंकि ये भी इसमें हिस्सेदार थे।

मैं माननीय सदस्यों को भी कहना चाहता हूँ कि 83 मैम्बर्स ऐसे हैं हाउस में, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी आप भी हैं और सब लोग हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं। यहां जो मुख्य मंत्री हैं, वे भी हैं। सबके क्षेत्र में पानी कम हो जायेगा तो यह पीढ़ी तो आपको बहूआ देगी ही देगी, आने वाले लोग भी कहेंगे कि इन 83 लोगों को हमने चुनकर भेजा था, बिना पढ़े इन्होंने राजस्थान के हितों के साथ समझौता कर लिया। इसलिए यह समझौता नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, डॉ. किरोड़ी लाल मीना।

श्री यूनूस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ही बोलूंगा। हमारा आग्रह है कि इसमें बार-बार कहा गया है कि टास्क फोर्स बनायेंगे। इनका अन-ऑफिशियल समझौता मेरे पास है। मैंने इसको पूरा पढ़ा है। इसमें लिखा है कि टास्क फोर्स बना देंगे,

टास्क फोर्स कब बनेगी? ये एनपीपी की बात कर रहे हैं। ये जिस पीकेसी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 में पूरे हिन्दुस्तान में 16 परियोजनाएं ऐसी थीं, जिनको चिन्हित किया गया था, आईएलआर, इंटर लिंकिंग रिवर के अन्दर चिन्हित किया गया था, उसमें से पीकेसी एक थी। अब आप 2004 का हवाला देते हुए 2024 में समझौता कर रहे हो। अब तो जनसंख्या बढ़ गई है।

मैं मुख्य मंत्री जी की प्रेस कांफ्रेंस सुन रहा था। वे कह रहे थे कि 2 करोड़ 81 लाख 83 हजार जनसंख्या को पीने का पानी मिलेगा। माननीय, मैं अफसरों से कहता हूँ कि कम से कम मुख्य मंत्री को आंकड़े तो सही दिया करें। आज इन 13 जिलों की जनसंख्या साढ़े चार करोड़ हो गई है और कह रहे हैं कि 2 करोड़ 81 लाख को पानी पिलायेंगे। इसलिए मेरी फिर से राय है, यह पहले पढ़ें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष: आपको 6 मिनट हो गये हैं।

श्री यूनस खान (डीडवाना): आप इस पर इन 83 लोगों की एक कार्यशाला तो करवा दो, जिससे इनको पता तो चले कि हमारे साथ अहित हो रहा है या हित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। डॉ. किरोड़ी लाल मीना। बैठे-बैठे नहीं बोलें। आपके 6 लोग बोल चुके हैं, अब इनको बोलने दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले किरोड़ी लाल जी से शपथ दिलवाये, जो बोलूंगा, सच बोलूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: पहले आप ले लो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जो जैसा करता है, उसको वैसा ही याद आता है। किरोड़ी लाल जी ने सत्य बोला है, सत्य बोलेंगे पर आप हमेशा असत्य बोलते हैं, असत्य बोलेंगे।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी माननीय सदस्यों के विचार सुनें। माननीय मुरारी लाल जी ने पूछा कि कितना पानी मिलेगा और बोहरा जी ने पूछा कि 75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी क्या बीमारी है। श्री सुभाष जी ने पूछा कि एमओयू में क्या नया है और वैपकोस से सर्वे करवायेंगे क्या? भविष्य में कैसे डीपीआर बनेगी। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है।

जिस सवाल के जवाब में माननीय हनुमान जी ने कहा है और यूनस खान जी कह रहे हैं कि कितना पानी मिलेगा, वे 2500 एमसीएम पानी बता रहे हैं और यह कह रहे हैं कि एमपी ने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और हमने नहीं किया।

यह स्ट्रक्चर तो दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर खड़ा हुआ था। तब गहलोत साहब यहां मुख्य मंत्री थे, इनको किसने मना किया था इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, इन्होंने क्यों नहीं किया?

अब मैं बताता हूँ राष्ट्रीय परियोजना की बात। आपकी एक जिद है, देखो प्रयास तो आपने भी किये हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। वसुन्धरा जी की सरकार में बहुत हुए। प्रयास 1999 से

हो रहे हैं, लेकिन प्रयास तो अपने जो सगर के सौलह हजार पुत्र थे, उन्होंने भी गंगाजी को अपनी धरती पर लाने के प्रयास किये थे लेकिन हमारे भागीरथ भजन लाल जी आ गये, इसलिए सम्पन्न हमारे समय हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): इनको राष्ट्रीय परियोजना की जिद है। जैसे बच्चे को खिलौने की जिद हो जाती है। वैसे ही इनकी जिद है कि राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित की। एक पत्र है, माननीय गहलोत साहब का, जो कमलनाथ जी को दिनांक 08.07.2019 को, नोट कर लेना और 27.01.2020 को कमलनाथ जी ने गहलोत जी के पत्र को यह कहकर मना कर दिया कि आप 75 परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बनाओ। तब हम सहमति देंगे, नहीं तो हम सहमति नहीं देंगे। अब यह बीमारी कहां से आई। ये बीमारी आई कांग्रेस के राज से। दिनांक 11 नवम्बर, 1975 को आपका ही राज था, इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं। उस समय एक ऑफिस मेमोरेण्डम जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि, the criteria of 75 per cent dependability may be continued for major irrigation projects. 75 परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी, यदि किसी को मेजर प्रोजेक्ट सैंक्शन कराना है और उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना है तो 75 परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी चाहिए। आपने भेजा 50 परसेंट, सीडब्ल्यूसी की गाइडलाइन मानती है 75 परसेंट और इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने भी..।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

Bhs/Rtm/30.1.24/13.40/2a

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): ऐसे ही 21 सितम्बर, 2004 को जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे उसमें डिपेंडेबिलिटी क्राइटेरिया तय हुआ जिसमें था कि, lower than 75 per cent would be permissible only for the project. इंटर स्टेट में तो 75 परसेंट ही चलेगा तो जो आप दो बांध, मध्य प्रदेश ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाये जो यूनस खान जी ने उठाया, वह इन्ट्रास्टेट उनका मैटर था इसलिये उन्होंने अपने बांध बना लिये। अब यह कह रहे हैं कि आपने पीकेसी कैसे जोड़ दिया, इनको पीकेसी पर प्रॉब्लम है और पानी कितना मिलेगा यह एक बार में सबको संतुष्ट कर दूं क्योंकि यह मामला ही ज्यादा उठाया गया डाउट है कि पानी हमको पूरा नहीं मिलेगा। कोई 2000 बता रहा है, कोई 2400 बता रहा है, कोई 2500 बता रहा है, पूरा आप नोट कर लेना। यह डिमांड के हिसाब से है और इसमें जो हमने समझौता किया है पता नहीं आपने 3150 का आंकड़ा कहां से लिया है। 3150, 3600, 3900 ये बोल रहे हैं, पर आप पूछ लेना। आप तो यह कह रहे हैं कि 3510 पर समझौता हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। ...(व्यवधान)...हां डीपीआर, मैं बता रहा हूं डीपीआर। अब आप डीपीआर सुन लो। अपना यह जो 'Drinking water requirement for Beesalpur and Isarda' नोट करते जाना। अलवर, जयपुर 128.03 एमसीएम चाहियेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वो आपके एक एमएलए साहब ऑफिसर्स गैलेरी में बैठ गये।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। सुनिये पहले।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): ईसरदा, दौसा, सवाईमाधोपुर को 97.46 एमसीएम चाहियेगा। जयपुर रूरल को 95.23 एमसीएम चाहियेगा। Total water required for Isarda inclusive of losses 30 per cent - यह होगा अध्यक्ष महोदय, 416.94 फिर बीसलपुर डेम - additional water demand for Beesalpur. जो अब डिमाण्ड आयी है वह है 476.48 एमसीएम - additional demand from Beesalpur including losses of 30 per cent. वह है 619.42 प्रतिशत - water required to fulfil the deficit of Beesalpur, उसको चाहिये 442.92 प्रतिशत - total water required for Beesalpur including deficit उसको चाहिये 1062.34 एमसीएम। अब water required by PHED MCM to Kota and Bundi district is 54 MCM. Total water required to PHED - जो पानी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट होगा जो प्रजेंट आंकड़ा है जो हमने पीएचईडी से मांगा है वो चाहियेगा 1533.28 एमसीएम।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): कब के आधार पर है?

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अब के आधार पर।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): आप यह कह रहे हैं कि 2051 की डिमाण्ड को पूरा करेंगे।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): हां, बिलकुल करेंगे।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): वह इन्क्लूड नहीं है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): वह 2051 तक के लिए है। अब आया water required for Industrial uses. अब यह है - gross water required including 30 per cent reserved losses - यह 130 एमसीएम। Water required for Irrigation. सुन लो आप। Water required for Irrigation is 565.82 MCM. अब वो कहां-कहां है वह देख लो, जो 26 डैम मुरारी लाल जी बोल रहे थे और बाकी जो लोग बोल रहे थे। ...(व्यवधान)... सुन लो, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बोल कुछ रहे हैं और आपकी आत्मा कुछ कह रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी यह आदत बन्द करिये। पहले सुन लीजिये। आपके दल के लोगों की भी बात सुनी है इन्होंने, आप भी सुनिये। बैठिये। बीच में बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री रामकेश (गंगापुर): ...(व्यवधान)... आप डीपीआर की बात करिये और डीपीआर वैपकोस कंपनी ने बनायी है। आपने ही सबसे पहले दौसा के बांधों को भरने के लिए कहा था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजो। फिर आपके बीच में भी बोलेगा कोई। बैठिये। मि.

रोहित, बैठिये। पूरा सुनिये एक बार।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अब मैं आपको बता देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 26 डैम इनिशियली ये बता रहे हैं इनको चिन्ता है कि बाकी के डैम कहां गये तो 26 डैम को 402 एमसीएम पानी मिलेगा। अब जो हमने डिमाण्ड की थी आन्दोलन किये थे आप सुन नहीं रहे थे तो आपने 53 डैम चिह्नित किये, क्यों मुरारी लाल जी? 53 डैम चिह्नित किये उसको मिलेगा 150 एमसीएम पानी। ...(व्यवधान)... मेरी बात सुनो।

श्री अध्यक्ष: सुन लीजिये। आपकी भी बातें सुनी हैं इन्होंने। आप भी सुनें।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): जहां से पानी चलेगा जयपुर तक वह 53 और 26 डैम हो गये जो रूट में पड़ेंगे। ये रूट में पड़ने वालों को 150 एमसीएम, अजमेर के लिए 66.42 एमसीएम और टोरडी सागर के लिए 57 एमसीएम और इन्द्रगढ़ के लिए 25.195 अब यह हो गया 2930.20 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। चर्चा आधे घंटे की है। इनका विषय आने दीजिये। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, सुनिये। आपको भी सुना है इनको भी सुनिये। रोहित जी, आपको भी सुना है इनको भी सुनिये। आपकी बातें भी इन्होंने सुनी है आप भी सुनिये। एक बार सुन लीजिये। एक बार सुनिये। आपका नम्बर नहीं है। आपकी बात हो गयी। आपको पांच मिनट दिये थे आपने विषय रख दिया।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): बोहरा जी ने कहा, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, बिना अनुमति के न बोलें। श्री हरीश जी मीना। श्री हरीश जी, बिना अनुमति के नहीं बोलें। आपका नम्बर हो गया।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): हरीश जी की आत्मा पहले बीजेपी में थी जो अब कांग्रेस में चली गयी तो यह तो बदलती रहती है आत्मा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक बार पूरा कर लें उसके बाद। बीच में न बोलें एक बार पूरा कर लेने दो।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): 2930 हुआ, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक बार पूरा हो जाने दें, उसके बाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): फिर बीच में बोल रहे हैं बार-बार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनसे क्या है कि बोला नहीं जा रहा है इसलिये हम तो इनका सहयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये आपसे ज्यादा बोल सकते हैं।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): बोहरा जी, 448 एमसीएम पानी अपन धौलपुर लिफ्ट में ले रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही। एक बार सुनिये उसके बाद बोलिये। रोहित जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): डॉ. साहब एक चीज बता दो। आपके हिसाब से बिलकुल ठीक दे रहे हो मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ आप ही के क्वेश्चन पर

जब गजेन्द्र सिंह शेखावत यह बोलते हैं कि हम राजस्थान को 2412 एमसीएफटी पानी दे रहे हैं तो या तो राज्य सभा में उन्होंने आपको गलत फिगर दिये। यह बोल दें आप कि गलत फिगर दिये हैं। इसमें 2412 है मैं टेबल कर सकता हूँ इसलिये बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: अब सुनिये। माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ। आपको 2412 का फिगर उन्होंने दिया और उन्होंने क्या बोला कि राजस्थान को, we can't give more than this. And we will not be giving irrigational facilities. We are only giving drinking water facility to Rajasthan. This is what my issue is?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बात आप बोल चुके हैं। माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपके क्वेश्चन में लिखा है, मैंने नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष: आप बोल चुके हो माननीय सदस्य, यह बात आप बोल चुके हो। रिपीट मत करें।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): मैं मेरा वक्तव्य दे रहा हूँ जो अब प्रजेंट एमओयू में फाइनल होने जा रहा है। जिसकी डीपीआर बनेगी उसमें 448 एमसीएम पानी धौलपुर लिफ्ट को इस प्रकार से हो गया 3378 एमसीएम पानी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सब बोलोगे तो आधे घंटे की चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी मेरे को।

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): ...(व्यवधान)... पानी आयेगा कहां से? पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं, पानी आयेगा कहां से?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बात आप बोल चुके हो। बैठिये। रिपीट मत करो।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): आप तो यह बता दीजिये कि एमओयू में कितना एमसीएम पानी है? कितना मेन्शन है? यह बता दो बस।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर ...(व्यवधान)... जो सत्य निकल कर आ रहा है उसको बार-बार व्यवधान कर रहे हैं।

Kas/rtm/30.01.2024/13.50/2b

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इनको पूरा बोल लेने दो।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय मुरारी लाल जी एवं सुभाष जी गर्ग, अगर पानी नहीं है तो आप ईआरसीपी घोषित करके कहां से पानी लाते?(व्यवधान)....

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): पानी पर कितनी डिपेंडेबिलिटी है, यह बता दो आप?(व्यवधान)....

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप दे चुके, आपका भाषण हो गया।(व्यवधान).... फिर औरों के कराने पड़ेंगे, मेरे को चर्चा समाप्त करनी है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस की सरकार ईआरसीपी की मांग कर रही थी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाय। 2015-16 के बाद

से किसी भी बड़ी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया और अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी कर देते तो 60 परसेंट देता केन्द्र और 40 परसेंट राजस्थान को देना पड़ता। इसलिए केन्द्र ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कि केन बेतवा की लाइन पर ईआरसीपी प्लस पीकेसी को देने के बाद यह एनपीपी का प्रोजेक्ट हो गया। एनपीपी का प्रोजेक्ट बन जाने के बाद 90 परसेंट मोदी जी देंगे और 10 परसेंट भजन लाल जी देंगे।(व्यवधान)....

श्री हनुमान बेनीवाल (खीवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब को यह पूछ रहा हूँ कि एनपीपी तो आपकी पुरानी पार्टी थी, उसका नाम रख दिया, यह एनपीपी कौनसी है?

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हनुमान जी ने एक प्रश्न पूछा है कि एनपीपी क्या होती है। नदियों को(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: सुनिए, सुनिए आप।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अटल जी के समय एक कमेटी बनी थी, जिन्होंने 16 बड़ी योजनाएं चिह्नित की थीं। उसमें मध्य प्रदेश की केन बेतवा हुई थी, उसको भी मोदी जी ने सेंक्शन किया है। उसी तरह से पीकेसी, पार्वती-कालीसिंध-चम्बल योजना को स्वीकृत करके राजस्थान को सबसे बड़ा उपहार देने का काम किया है। अब यह कह रहे हैं कि हमने नवनेरा में इतना पैसा दे दिया, ईसरदा में इतना दे दिया, यह घर से तो आपने दिया नहीं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): तो मोदी जी क्या घर से दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे कोई नहीं बोलें।(व्यवधान).... जब से कोई नहीं लाता।(व्यवधान).... माननीय सदस्य, सुनिए, सुनिए, जब से कोई नहीं लाता, आप भी नहीं लाते, यह भी नहीं लाते।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दोनों जगह वसुंधरा जी के समय भी लंबी-पूरी राशि दी गई थी। दूसरा, इन्होंने क्या किया है, जल जीवन मिशन के पैसे को डाइवर्ट करके ईसरदा डैम में लगा दिया।(व्यवधान).... वहां से पैसा दिया है। कहां का पैसा कहां(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसकी तो जांच कराओ(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी को बोलने दें। आप बीच में मत खड़े होइए। जो बीच में बोलें, उसका अंकित नहीं होगा।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): यह तो आपको जानकारी है कि पीकेसी आइडेंटिफाई हुई थी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। केवल इन्हीं का अंकित होगा, आप समय मत खराब कीजिए, आगे चलना है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): बौहरा जी, यह तो मैंने आपको पत्र बता दिया कि मुख्य मंत्री बनते ही अशोक गहलोत जी ने कमलनाथ जी को पत्र लिखा था। आपके मंत्री ने मना

कर दिया और हमारे मुख्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सहमति दे दी। आप सहमति ही नहीं ले पाये। डबल इंजन की सरकार ने जो यह काम किया है, इनके तो पेट में गुठले पड़ रहे हैं कि सेंक्शन कैसे हो गया। इन्हें स्वीकृति पर आपत्ति है। इसमें भरपूर पानी मिलेगा। जो मैंने आंकड़ें दिये, उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज का विकास होगा, किसान का विकास होगा और गांवों में सैलेनिटी खतम होगी और गांवों की 40 परसेंट आबादी को भरपूर पानी मिलेगा और 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: ईआरसीपी पर बहस समाप्त। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस शुरू।(व्यवधान).... हो गया, आधे घंटे की चर्चा थी, चर्चा हो गई, अब कुछ नहीं।(व्यवधान).... राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ। श्री अर्जुन लाल जीनगर।(व्यवधान).... हो गया, उत्तर आ गया।(व्यवधान)....

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, ईआरसीपी पर समझौता हो गया, विपक्ष के पेट में गुठले पड़ रहे हैं, इनको बड़ा दर्द हो रहा है कि राजस्थान का भला कैसे हो रहा है। डबल इंजन की सरकार अच्छे फैसले क्यों ले रही है, इनके पेट में गुठले पड़ रहे हैं, आपको मिर्ची लग रही है। क्या तकलीफ हो रही है?(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: अर्जुन लाल जीनगर, अपना भाषण जारी रखें।(व्यवधान)....

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको इतना मौका दिया, राज्य में भी कांग्रेस सरकार रही, केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, आप यह एमओयू नहीं करा सके, अब आपके पेट में दर्द हो रहा है। यह एमओयू आपको पहले करा लेना था, आप यह एमओयू नहीं कर सके, इस कारण से आपके पेट में दर्द हो रहा है। भजन लाल सरकार ने, हमारी सरकार ने अच्छा फैसला किया तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। जब-जब भी हमारी सरकार अच्छे फैसले लेती है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। आपको यह तकलीफ नहीं होनी चाहिये।(व्यवधान).... धोखा तो आपने 70 साल तक दिया है। आपने राजस्थान की जनता को इतने वर्षों तक धोखा दिया है। पूरे हिन्दुस्तान को डुबोने का काम आपने किया, पूरे राजस्थान को डुबोने का काम आपने किया।(व्यवधान).... राजस्थान में कई बार आपकी सरकारें रहीं, लेकिन आपने राजस्थान का भला नहीं किया, अब आज आपके पेट में दर्द हो रहा है, यह पेट में दर्द चलता रहेगा। आज भजन लाल सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच समझौता हुआ है, इस समझौते को आप पचा नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं आग्रह करता हूं माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने लोगों को कुर्सी पर बिठाओ।(व्यवधान).... राम मन्दिर बन गया तो आपको तकलीफ, यह एमओयू हो गया तो आपको तकलीफ, आपको तकलीफ ही तकलीफ होगी। अब विपक्ष में बैठ गये हो,

एक तकलीफ और ज्यादा बढेगी। आपने जो राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया है, उसका राजस्थान की जनता ने आपको जवाब दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। महामहिम राज्यपाल द्वारा यहां अभिभाषण पढ़ा गया और पिछली सरकार की कमियों और उपलब्धियों के बारे में लेखा-जोखा रखा गया। उस लेखे-जोखे में यह सामने आया कि गत कांग्रेस की सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार रही है।(व्यवधान).... यह सुनने के बाद ऐसा लगा कि पांच साल तक कांग्रेस की सरकार सिर्फ होटलों में रही और जनता के साथ कुठाराघात करने का काम किया। इस सरकार में मुख्य मंत्री की कुर्सी के लिये मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री फाइव स्टार होटलों में रहे, जनता का भला नहीं किया। जनता का भला नहीं करने के कारण आपको विपक्ष में बैठना पड़ा। सारे जनहित के काम बंद हो गये। आपकी सरकार जनहित के कार्यों को करवाने में नाकाम रही। पिछले पांच साल की सरकार सिर्फ माफियाओं के हाथों में ही खेलती रही और राजस्थान में अराजकता पैदा करने का काम आपने किया। आपकी सरकार सुशासन नहीं दे सकी, राजस्थान का चहुंमुखी विकास करने में फेल रही। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा और बेरोजगार, आम आदमी की परेशानी को सुनकर उसको दूर करने का काम करेगी।(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आपके लोग भी बोलने वाले हैं, कृपया अपनी सीटों पर बैठिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हमारी सरकार खुशहाल राजस्थान, विकसित राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।

Msk/rtm/30.01.2024/1400/2c

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कानून-व्यवस्था को पुख्ता करेगी, पिछली सरकार में कानून-व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गयी थी और 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' ऐसी कहावत चरितार्थ हो गयी। पिछली सरकार में बहन-बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। थानों में, चिकित्सालयों में महिलाओं की आबरू को लूटा जाता रहा, रक्षक ही भक्षक बन गये। ऐसा लगा रहा था कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। उद्योगपति सुरक्षित नहीं थे, पुजारी, संत-महात्मा भी सुरक्षित नहीं थे। दलितों पर अत्याचार किये जाते रहे। सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रही। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाते रहे, जिसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान अपराध की भट्टी के अन्दर जलता रहा। राजस्थान को तुष्टीकरण के आधार पर यह सरकार चलाती रही। उदयपुर में दिन-दहाड़े कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है। जयपुर के अन्दर समाज विशेष के व्यक्ति की हत्या होती है, उसको 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है और कन्हैया लाल की हत्या होती है तो उसका 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। भीलवाड़ा में ऐसे ही तापडिया की हत्या होती है।

चित्तौड़ में रतनलाल सोनी की हत्या होती है। जयपुर के अन्दर महिला शिक्षक को दिन-दहाड़े जिन्दा जलाकर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से सरकार को पूरी तरह से तुष्टीकरण के आधार पर चलाने का काम आपने किया।

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इधर नहीं आयेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँता कि पिछली सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार की भट्टी में झोंककर रख दिया। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पनपा। जमीनों में भ्रष्टाचार, जमीनों के आवंटन में भ्रष्टाचार, बिजली की खरीद में भ्रष्टाचार, कोयले की खरीद में भ्रष्टाचार, नरेगा के कार्य में भ्रष्टाचार। इंदिरा रसोई में भी आपने भ्रष्टाचार किया है। बीज खरीद में भ्रष्टाचार किया है। दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार किया है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा, जिसको आपने भ्रष्टाचार की भट्टी में नहीं झोंका हो। राजस्थान के अन्दर 24-24 बार पेपर लीक करके युवाओं व बेराजगार के साथ अन्याय करने का काम आपकी की सरकार ने किया है। इस पूरे राजस्थान को आपने नाथी का बाड़ा बनाकर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया। पेपर लीक करने का काम आपने किया। आरपीएससी की परीक्षा की मैरिट में आने वाले बेरोजगार युवाओं को हक छीनकर आपने अपने रिश्तेदारों को आरएस बनाने के लिए उनका सहयोग करने का काम किया। बेटा, बेटा, बहू, सगे-सम्बन्धी सबको आपने आरएस बनाने का काम किया और शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा करने का काम किया। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है कि आने वाले समय में इन भ्रष्टाचारियों को नहीं बखशेगी और पेपर लीक करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करके उनको जेल भेजने का काम करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चुनावी वर्ष में आपने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया। यह सिर्फ घोषणाओं की सरकार रही। कई जिले बना दिये, नगरपालिकाएं बना दीं, विद्यालय खोल दिये, तहसीलें बना दीं, कॉलेज खोल दिये, चिकित्सालय खोल दिये, उप चिकित्सालय खोल दिये, पदों का कोई प्रावधान नहीं रखा। आपने किसी प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं रखा। आपकी सरकार अविवेकपूर्ण नीतियों के विरोध में, अदूरदर्शी निर्णय करके, आर्थिक कुप्रबंधन करके पिछले पांच वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल में झोंकने का काम किया। हमारे समय में राजस्थान विकसित राज्य बनने वाला था, लेकिन आपने इसको कर्ज में डूबाकर इसको वापस बीमारू प्रदेश बनाने का पाप आपने किया है। यदि भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को देखें तो 2018-19 के अन्दर 31 मार्च, 2019 को राज्य पर 3 लाख 11 हजार 74 करोड़ का भार देने का काम आपने किया। 40 हजार 300 रुपये प्रति व्यक्ति भार आपने डालने का काम किया। 2023-24 के अन्दर यह कर्जा बढ़कर 5 लाख 69 हजार 781 करोड़ होने का अनुमान है, प्रति व्यक्ति कर्जा 70 हजार 400 रुपये का होने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि यह सरकार गरीब के कल्याण की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार, भजन लाल जी की सरकार, केन्द्र में मोदी जी की

सरकार गरीब कल्याण के कार्यों को हाथ में लेकर सम्पूर्ण राजस्थान को ...(व्यवधान)...
(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री शान्ती धारीवाल। आप अपनी सीटों पर जायें, इसके बाद नम्बर नहीं आयेगा। आप सदस्यों को सुने। श्री शान्ती धारीवाल। आप अपनी सीटों पर जाइये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हमारी सरकार गरीब परिवारों को निश्चित रूप से शौचालय देगी।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती धारीवाल। फिर मैं अगला नाम इधर से पुकार रहा हूं। अब आपका नम्बर गया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): गरीब परिवारों को पक्का मकान देगी। मीठे जल का नल कनेक्शन देगी, हर हाथ को काम मिलेगा। हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा, हर घर को जल का कनेक्शन मिलेगा। परिवारों का इलाज निःशुल्क होगा ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी जगह पर जायें, आपके सदस्य नहीं बोल पायेंगे, यदि सीटों पर नहीं जायेंगे। अगला नाम पुकार रहा हूं, श्री राम सहाय वर्मा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बीमा योजना का लाभ मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अपराध मुक्त राजस्थान बनेगा और हमारा राजस्थान विकसित राज्य बनेगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): अध्यक्ष महोदय, सोलहवीं विधान सभा के लिए निर्वाचित माननीय सदस्यों को बधाई एवं अभिवादन के साथ महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चुनाव में जनता जनार्दन के मताधिकार ने माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास करके हमें जनता का सेवा करने का अवसर प्रदान किया। लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण करना ही हमारा परम ध्येय है। विगत पांच वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के आन्तरिक अंतर्विरोध और खींचतान, राज्य के विकासोन्मुखी नीति एवं निर्णय की अक्षमता के कारण ही आज आप विपक्ष में बैठे हैं। हमारा संकल्प सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूलमंत्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेगा। हमारा संकल्प पत्र ही हमारी कार्ययोजना है। इस कार्ययोजना पर मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य के विकास में अपना फोकस केन्द्रित किया है। समाज के वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं में किस प्रकार लाभान्वित करके अंत्योदय उद्धार किया जाये, इस हेतु हमारी सरकार निरन्तर अग्रसर रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करता हूं कि निवाई-पीपलू की जनता ने जिसने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत

में भेजकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए चुना।

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से देवधाम जोधपुरिया, हरभावता आश्रम, नटवाणा में बंदी विशाल मन्दिर, शिवाइ का शिव मन्दिर जो भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इन स्थानों पर पर्यटन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है तथा आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा निवाई में फूड पार्क बनाने के सम्बन्ध में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, जबकि निवाई में आज दिन तक कोई फूड पार्क स्थापित नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा निवाई में घोषित बस स्टैण्ड का निर्माण, रेलवे लाइन पुलिया का निर्माण, ट्रामा हास्पिटल का निर्माण, देव नारायण छात्रावास आदि का आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे नेता, प्रतिपक्ष, थानागाजी में हुए रेप काण्ड को प्रशासन ने सात दिन तक दबाकर रखा, क्योंकि उस समय तत्कालीन सम्माननीय मंत्री टीकाराम जूली जी के प्रोटोकाल में व्यस्त रहा। इसमें निजी व्यक्तियों के शामिल होने की आशंका है। पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के श्री डोटासरा जी, जैसे आलू से सोना निकालते हैं, उसी तरह से इन्होंने शिक्षा मंत्री बनकर आरपीएससी में अपने चेहरे, परिवार के चार सदस्यों का सलेक्शन करवाया, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के सन्दर्भ में सम्माननीय सदस्य जुबेर खान जी को धन्यवाद देता हूं कि आजादी में मुसलमानों का महत्व तो बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, जिसमें साइबर क्राइम में तो जामताड़ा तक को पीछे छोड़ दिया। मेवात क्षेत्र में हिन्दुओं का पलायन हो रहा है तथा हिन्दू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही, मेवात में धर्मांतरण ही नहीं अपितु संगठित अपराध भी चरम पर हैं। हिन्दुओं के पलायन में तो सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर हुई है। मेवात ब्रज मण्डल का वह क्षेत्र है, जहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाये जाते हैं। मेवात क्षेत्र में ठगों द्वारा अपने घरों में एटीएम लगाये हुए हैं तथा बैंकों में फर्जी खाते खुलवाये हुए हैं, जिसमें करीब 200 करोड़ की ठगी का अनुमान है। करौली हिंसा में पीएफआई मामलों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा की गयी मदद सबके सामने आ चुकी है।

MDP/Rtm/30.01.24/1410/2d

जिसमें 10 से अधिक मुकदमे वाले व्यक्ति को गहलोत सरकार द्वारा 25 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेवात क्षेत्र राजनीतिक संरक्षण के कारण गोकुशी, वाहन चोरी, लूट-डकैती से लेकर सायबर क्राइम का गढ़ बन चुका है।

अलवर तथा भरतपुर जिले में तिजारा, किशनगढ़बास, कामां शहरों में मुस्लिम आबादी का अत्यधिक प्रभाव है। अतः मेवात को स्पेशल फोर्स भेजकर मेवात को अपराधमुक्त करवाया जाए। मैं रफीक खान जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कोरोना काल में समाज सेवी हाजी रफअत अली की अंतिम यात्रा में 15 हजार लोगों को जुटवाया। इस सम्बन्ध में रामगंज थाने में रफीक खान जी तथा 11 अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं। जबकि हाजी साहब की स्वयं की अपील रही। इनका जुलूस तक रोका गया। इस अंतिम यात्रा में पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि 100 से ज्यादा पुलिस जवान, स्वयं डीसीपी अनिल देशमुख, आरपीएस सुमित शर्मा, रामगंज थानाधिकारी बी.एल.मीणा एवं सुभाष चौक थानाधिकारी भूरीसिंह मौके पर मौजूद रहकर इस यात्रा को देखते रहे। महोदय, विधायक रफीक खान जी ने जयसिंहपुरा खोर तथा अन्य इलाकों में करीब 30 हजार मुसलिम आबादी, जिसमें रोहिंग्या भी शामिल हैं, के नाम विधान सभा की मतदाता सूचियों में जुड़वाया। इस मामले की जांच करवाना बहुत जरूरी है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत पूर्ववर्ती सरकार के समय में मालपुरा में तुष्टिकरण की राजनीति के तहत पुरानी तहसील में गुर्जर मोहल्ले में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे युवकों को उलाहना देने के मामले में पत्थरबाजी हुई तथा देर रात तक शांति भंग होने के कारण 144 लगायी गयी, जिसमें दो पक्षों के बीच झड़प होना बताया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह और बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में संसदीय कार्यमंत्री ने केवल गहलोत साहब को खुश करने के लिए यह तक कहा कि हम हिन्दू नहीं हैं। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनकी जांच कराई जाए। इनकी पूरी जांच हो। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रफीक खान। श्री रफीक खान। आप सबसे एक बार पुनः अपील कर रहा हूँ अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। आपने सदस्य बोलने वाले हैं। किसी का भी नंबर नहीं आएगा। एक बार पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी सीटों पर जाइए। आपका प्रोटेस्ट हो गया, आपकी बात आ गयी। अपनी सीटों पर जाइए आप। सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी सीटों पर लौटे, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा कार्यवाही में। आपसे पुनः निवेदन है।

श्री सुभाष गर्ग। डाक्टर सुभाष गर्ग।

डा. ऋतु बनावत।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कूप में नारे)

डा. ऋतु बनावत (बयाना): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं लोहागढ़ की बहु और मेवाड़ की बेटी, जिसको आपने सदन में बोलने का मौका दिया, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही बयाना की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिसने दोनों पार्टियों को चित कर विकास की आवाज बनने का अवसर प्रदान किया। आज समस्त भारतवासी सौभाग्य की दीवाली मना

रहे हैं और हमारा बयाना परिवार तो और भी ज्यादा सौभाग्यशाली है, जो राम मंदिर में पत्थर लगा है, वह हमारी धरती के गर्भ से निकला है। जैसा कहते भी हैं कि “जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई” हम सब रामजी की विशेष कृपा से यहां पहुंचे और माननीय भजन लाल जी सरकार पर विशेष कृपा हुई। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आज भरतपुर जिले को विशेष सौगातें आपके द्वारा दी जा रही हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पी.के.सी., ई.आर.सी.पी. पर बधाई। मोदी जी और आदरणीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह जी को भी बधाई।

अध्यक्ष महोदय, हमारा अन्नदाता आज परेशान है। रात में कड़ाके की सर्दियों में सिंचाई करने को मजबूर है। बयाना विधान सभा क्षेत्र के तीन किसानों की रात में सिंचाई करते हुए अभी तक मौत हो चुकी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आवारा पशुओं के कारण से 5 लोगों की मौत पिछले 6 महीने में बयाना विधान सभा में हो चुकी है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि इसके निदान हेतु नदीशालाओं का पंचायत या उपखण्ड स्तर पर निर्माण करवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भरतपुर जिला औद्योगिक विकास में ठप पड़ा हुआ है। सिमको और डालमिया इंडिया जैसी कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं। दिल्ली में जो पाल्युशन होता है, उसकी वजह से हमारे यहां पर औद्योगिक इकाइयां एक-एक महीने बंद होती हैं, जबकि मथुरा दिल्ली के निकट होने पर भी एन.सी.आर. में नहीं आता। एन.सी.आर. का जो फायदा अलवर को हुआ है, उसका एक परसेंट भी भरतपुर जिले को नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें एन.सी.आर. के हिसाब से विकासमिलना चाहिए। अगर विकास नहीं मिलता है तो हमें एन.सी.आर. से मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां पर औद्योगिक विकास की ज्यादा स्थिति नहीं है। यहां पर कोई भी बड़ी कंपनियां नहीं हैं। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से इस समस्या का निदान करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कूप में नारे)

माननीय मुख्य मंत्री जी भरतपुर से आते हैं। उनका विजन भी भरतपुर के विकास का रहा है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारा क्षेत्र कृषि और पशुपालन का क्षेत्र है। यहां पर कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वेटरिनरी यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए। पूर्वी राजस्थान में बिजली का स्थाई संकट हमेशा रहता है और इस स्थाई संकट को दूर करने के लिए पूरे पूर्वी राजस्थान में पॉवर प्लांट स्थापित किया जाना चाहिए। यद्यपि धौलपुर में गैस पर आधारित पॉवर प्लांट है, वह भी बंद पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी जो है, उसने लगातार पहले पूर्ववर्ती सरकार से यह अपील की थी कि वेट को घटाया जाए जिससे क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण राजस्थानवासियों को राहत मिल सके। हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, चाहे वह हरियाणा से सटा है, चाहे यू.पी. से सटा है, वहां पर हर लीटर पर लगभग 8 से 10 रुपये की कमी रहती है। एन.सी.आर. पी.बी.एम. को आवंटित राशि राजस्थान को एन.सी.आर. में ही हो, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही मैं

कहूंगी की डीजल और पेट्रोल पर वेट कम होना चाहिए ताकि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उसमें जो पेट्रोल पम्प हैं, उनको भी लाभ मिल सके, क्षेत्रवासियों को लाभ मिल सके। हमारी पहले से ही यह मांग रही है और बीजेपी ने पहले से ही इसके लिए आंदोलन किए हैं। इस मांग को पूरी करते हुए तुरंत वेट घटाया जाना चाहिए।

यातायात की सुगमता के लिए बयाना और रूपबास में बस स्टैंड का निर्माण करना, क्योंकि कनेक्टिविटी विकास का आधार है, मैं कहना चाहती हूँ कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, आप देखिए की आजादी के इतने साल बाद भी बयाना और रूपबास में बस स्टैंड तक नहीं है। बयाना में जो बस स्टैंड है, वह किराये की बिल्डिंग में चल रहा है। सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि बयाना और रूपबास, दोनों जगह बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। जो रोडवेज की बसें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि रोडवेज की बसें पहले बयाना में दस चलती थी, आज चार भी नहीं चल रही है। मैं यह कहना चाहूंगी कि रोडवेज की बसें, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी के साधन उपलब्ध करवा कर जनता की परेशानियों को दूर किया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि स्टेट हाईवे नंबर 8 को एन.एच.आई. को दिया जाए। नेशनल हाईवे में तब्दील किया जाए। बयाना में बायपास निकालते हुए सवाई माधोपुर तक फोरलेन बनाया जाए और इसको आगे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे पर कनेक्ट किया जाए, जिससे विकास को नये पंख लग सकें। मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें, जो अभी वर्तमान सरकार है, उसको गुड गवर्नेंस देना है राजस्थान को और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वर्तमान में चिकित्सालयों में डाक्टर्स हों, नर्सिंग स्टाफ हो, स्कूलों में शिक्षक हों, पुलिस के पास स्टाफ हो, जैसा कि हमने पूर्ववर्ती सरकार में देखा कि जो पुलिस थी, वह केवल और केवल मंत्रियों की सुरक्षा में ही खड़ी रहती थी। जनता के दुःख-दर्द से उनको कोई सरोकार नहीं था। मैं यह कहना चाहती हूँ कि अब जो सरकार है, उनको यह प्रयास करना चाहिए, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुलिसकर्मी केवल मंत्री और सांसदों की सुरक्षा में न रहें, बल्कि जनता के दुःख-दर्द को कम करने में अपना योगदान दे पाएं।

Ans/rtm 14.20 2e 30.01.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, ईआरसीपी के माध्यम से पांच वर्षों में पानी आएगा लेकिन तब तक क्या किसान अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? मेरे क्षेत्र का वॉटर लेवल लगातार कम होता जा रहा है। मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूँ कि गम्भीरी नदी में रेगूलर पानी छोड़ा जाए। पांचना बनने के बाद लगातार भरतपुर जिले के हितों पर कुठाराघात हुआ है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि लगातार गम्भीरी नदी में पानी छोड़कर, ईआरसीपी की योजना में घना पक्षी विहार को जोड़कर भरतपुर जिले को अपने हक का पानी दिलाए। इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करे।

साथ ही, मैं यह कहूंगी कि राम मन्दिर के निर्माण में बयाना का पत्थर सर्वोपयोगी रहा है। 22 जनवरी को जब पूरे भारत वर्ष में दीपावली मनाई जा रही थी, उस समय बंशी पहाड़पुर का जो पत्थर है, वह अवसाद की दशा में था। हमारा क्षेत्र इतना सौभाग्यशाली है कि राम मन्दिर के लिए पत्थर जा रहा है, परन्तु वहां का व्यक्ति, जो उस पत्थर को जमीन के गर्भ से निकालता है, वह आज भी मजदूरी के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार खनन नीति पर पुनः रिव्यू करे और ऐसी योजना बनाए कि वहां का स्थानीय ग्रामीण, एक-एक हेक्टेयर की लीज दी जाए, जिससे वहां के स्थानीय व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री लादू लाल पितलिया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डा. ऋतु बनावत (बयाना): बयाना को आपका लगातार सहयोग बहुत जरूरी है।

श्री लादू लाल पितलिया (सहाड़ा): गौ माता की जय। खजुरिया श्याम की जय। जय-जय श्री राम। ... (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): बयाना की जनता ने मुझे यहां पहुंचाया है ... (व्यवधान)... बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लादू लाल पितलिया (सहाड़ा): कांग्रेस के कुशासन और कांग्रेस की गलत राजनीति से, सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र से मुझे पहली बार 62 हजार 800 वोट देकर, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नम्बर पर जिता कर सदन में भेजा, मैं उसके लिए अपनी पूरी सहाड़ा विधान सभा की जनता का तह दिल से हार्दिक स्वागत व प्रणाम करता हूं। यह लोग बोल रहे हैं, इनके सामने मैं इनकी असलियत बताता हूं, ये क्या हैं और कैसे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर में आठ महीने पहले भगवान का प्रोग्राम चल रहा था। विशाल वैष्णव की भक्ति संध्या चल रही थी। आपने रात को 12 बजे पुलिस प्रशासन बुलाकर भक्तगण पर लाठीचार्ज करवाया, आज भी 29 लोगों पर केस चल रहा है। आप एक साथ खड़े होकर अपना कारनामा देखो। उस समय रात को आपने प्रशासन भेजकर, घरों-से निकाल-निकालकर उन पर लाठियां बरसाईं, यह आपका असली चेहरा है। आप लोगों के विधायक द्वारा, सुबह शिवजी भगवान की मूर्ति स्थापना करवाते हैं और शाम के समय विशेष समुदाय की बात सुनकर भगवान की मूर्ति को वापस उठाकर, ले जाकर रख देते हो। यह आपका असली चेहरा है, भगवान के नाम पर आप लोग ऐसा करते हो।

हमारे उधर सनातन धर्म का गढ़ था, आप लोगों ने क्या किया, बताता हूं। रायपुर जिला, भीलवाड़ा में एक मैवात सियासत का पुराना गढ़ है, क्या यह गढ़ नजूल सम्पत्ति है, क्या यह गढ़ 1965 तक सार्वजनिक निर्माण के अधीन रहा है? इस गढ़ के अन्दर एक पुराना कुआं था। किसके आदेश से बनाया गया और पुराने कमरे को किसके आदेश से तोड़ा गया? बोलने से कुछ नहीं होता, सच्चाई सुनो। सच्चाई सुनने की सहनशक्ति रखो। 1970 से पहले इसमें

हिन्दू देवी-देवता, शिवलिंग की मूर्तियां थीं, वे कहां गईं, जवाब दो? 2003 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश द्वारा यह सम्पत्ति देवस्थान विभाग को सौंपी गई थीं, किस कारण से आपने उस समय उक्त आदेश की पालना नहीं की? वर्तमान में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के तहत अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद भी आपने क्यों नहीं हटाया? हमारे उधर तेजाजी भगवान की जयंती और प्रभु श्री राम की जयंती में रैली निकालने के लिए आप लोग परमिशन नहीं देते हो। यह आपका असली चेहरा है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

आप लोगों के राज में, इतने साल हो गए, हमारी सहाड़ा विधान सभा में आप लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति की है। आने-जाने की व्यवस्था नहीं है। रायपुर से भीलवाड़ा जाने में तीन घंटे लगते हैं, आप लोगों के विधायक द्वारा हमारी सरकारी बसें अभी तक नहीं लगी हैं, यह आपका चेहरा है। तालियां पीटने से कुछ नहीं होता है। चालीस साल हो गए, हमारी जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोगों के उधर बसें नहीं हैं, आप लोगों के द्वारा एक-एक बसें चालू की गई है, वह भी हमारे पूर्व विधायक के भाई लोग हैं, उनकी बसें चल रही हैं। रायपुर से भीलवाड़ा, रायपुर से सूरत, रायपुर से अहमदाबाद, रायपुर से मुम्बई, पूर्व विधायक द्वारा यह बसें चल रही हैं। आज भी प्राइवेट बसें, आप लोगों की तुष्टिकरण की राजनीति है। आप लोगों का यह असली चेहरा है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

आप लोगों ने जनता के खिलवाड़ किया है, तभी सहाड़ा में पहली बार जन सेवक लादू लाल पितलिया को जनता ने चुनकर भेजा है।

श्री अध्यक्ष: वाइंड अप करिए।

श्री लादू लाल पितलिया (सहाड़ा): चम्बल का पानी, आज भी हमारे उधर 60 परसेंट पानी नहीं आ रहा है, यह आप लोगों की तुष्टिकरण की राजनीति है।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही बीस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.28 बजे, 14.48 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

VPS-RTM-30.01.2024-14.40-2g

(समय 14:48 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: विपक्ष के मेरे सभी साथियों से यह निवेदन है कि वे अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। आपसे यह पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आज आपका भी भाषण होना है। माननीय

नेता, प्रतिपक्ष, आपका भी भाषण होना है और इधर से भी होना है। आप एक बार अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। आपका विरोध हो गया, आप अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं, यह मेरा निवेदन है। एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं। ... (व्यवधान)...

सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। तब तक आपको कह रहा हूं कि आप विचार कर लीजिए।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.48 बजे 15.08 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

PCS-RTM-30.1.2024-15.00-2j

(समय: 15.08 बजे)

पुनः सम्वेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: मेरा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मुझे कुछ व्यवस्था देनी है इसलिए आप अपनी-अपनी जगह पर पधारें, अपनी सीटों पर पधारें। सुनिए। चलिए अपनी-अपनी सीटों पर। अपनी-अपनी सीटों पर कृपया बिराजें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सीटों पर जाकर स्थान ग्रहण किया गया।)

माननीय सदस्यगण, ईआरसीपी पर बहस के लिए आधा घंटे का प्रोजेक्शन था। उसकी जगह लगभग 50 मिनट हमने चर्चा की। आज राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। उसमें विपक्ष के नेता भी पहली बार बोलेंगे और सदन के नेता भी पहली बार बोलेंगे। उन दोनों के भाषण होने दें। ईआरसीपी का जो मुद्दा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने भाषण में जरूर उसका उत्तर देंगे, आपकी बातों को रखेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता की भी पूरी बात सनें। इधर से कोई नहीं बोलेंगे और जब सदन के नेता बोल रहे हों, इधर से भी कोई सदस्य उनको डिस्टर्ब नहीं करें। चाहे उनकी बात पसन्द आये या नहीं आये। शांतिपूर्वक सुनें। यह सदन की गरिमा है और हमारे दोनों नेताओं की भी गरिमा है। यह आपसे निवेदन है।

अब चूंकि अभी 3 बज कर 10 मिनट हो रहे हैं। अपने पास लगभग 50 मिनट बाकी हैं। 50 मिनट में अपने जो सदस्य रहे गये थे, उनमें से कुछ के नाम मैं पुकार रहा हूं। वे अपनी बात संक्षेप में रखें। पहले जितना समय था, उतना तो नहीं दे पायेंगे लेकिन ठीक 4 बजे बहस खतम करके नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण बोलना शुरू करेंगे और 5 बजे सदन के नेता बोलेंगे। तब तक हम सब शांतिपूर्वक सदन को चलायें। मेरी सभी से बातचीत भी हुई है। मैं समझता हूं कि हमेशा अपनी-अपनी बात कहने का सबको अवसर है। आपने अपनी बात

रख दी। रजिस्टर्ड हो गयी। अब सदन के नेता उस पर जो कुछ बोलेंगे, बतायेंगे, वह हमको सुनना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हम सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं।

श्री शान्ती धारीवालजी।

Spp/rtm/30.01.2024/1510/2k

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिनांक 23 जनवरी को सदन में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित अभिव्यक्ति और जोड़ी जाये:-

‘यह सरकार संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। साथ ही प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण भी कायम करेगी।’

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, राज्यपाल महोदय का जो भाषण है, वह मोटे तौर पर सरकार की भावी प्राथमिकतायें और भविष्य में जनहित में लागू होने वाली नीतियों के बाबत तथा सरकार की उपलब्धियां और वह सार्वजनिक महत्व की घटनाओं का एक दस्तावेज होता है। 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर भाषण पढ़ा, वह एक ऑटो रिक्शा की सरकार का संकल्प पत्र था। वह ऐसा लग रहा था जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक चुनावी भाषण हो। मैंने राज्यपाल महोदय का पूरा भाषण पढ़ा। बहुत ही नीरस और बिलकुल निर्जीव भाषण है। मतलब उसको पढ़ने में भी मुझे इतना टाइम लगा और कई बार इतनी उबासियां आयीं कि जिसकी हद नहीं।

श्री अध्यक्ष: उम्र का असर होगा। ... (व्यवधान)... विराजिये। हां, आप बोलिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वह एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प की डुप्लीकेट कॉपी थी। अगर आप में से किसी के पास संकल्प की कॉपी हो तो आप मिलाकर देख लो। हूबहू, वैसा का वैसा मिलेगा आपको। जनता को लोक सभा चुनाव तक किसी प्रकार से लटकाया जावे और ऐसे जुमले फेंके जावे जिससे कि लोक सभा चुनाव सम्पन्न हो जाये और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाये। कुल मिलाकर बात यह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय से हमारी पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करवाना, एक तरह से निरर्थक और निन्दनीय है। मैं नहीं मानता इस बात के लिये, राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को पढ़ने की उनकी सहमति होगी। निश्चित तौर पर उनकी सहमति नहीं हो सकती। जो आदमी पांच साल तक लगातार पूर्ववर्ती सरकार की तारीफें करता रहा और लगातार पूरी सरकार को धन्यवाद देता रहा, वह इस तरीके का भाषण कभी दे नहीं सकता। लेकिन संवैधानिक मजबूरी थी इस वजह से उनको जो आपको कहलवाना था, वह कहा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अभिभाषण में पिछड़े वर्गों का कल्याण, दलित और आदिवासी शब्द ढूँढने से नहीं मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसका कल्याण करना चाहते हो? गरीब का कल्याण करना चाहते हो नहीं चाहते हो? गरीब के लिये क्या करना चाहते हो? दलित का उत्थान किस प्रकार से करना चाहते हो? आदिवासियों को किस प्रकार की मदद देना चाहते हो? किस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊँचा करना चाहते हो? इस बाबत कुछ नहीं कहा है। पूरे अभिभाषण में एक शब्द तक नहीं मिला इन तीनों के लिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसम्बर को बीजेपी की ऑटो रिक्शा की सरकार ने शपथ ली। आगे का पहिया मुख्य मंत्रीजी और पीछे दो पहिये दोनों उप मुख्य मंत्री और ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा हुआ है? हर स्टेट में, राजस्थान में ही नहीं, तीनों स्टेट में मोदीजी बैठे हुए हैं ड्राइवर की सीट पर। यह डबल इंजन, डबल इंजन कुछ नहीं है, उस इंजन के साथ में यह ऑटो रिक्शा बांध दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा-12 में आपने लिखा कि हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि हम पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बन्द नहीं करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? योजनाएं देखिये आप। मैं आपको इस बात के लिये तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम लिखा तो है। आप मानोगे या नहीं मानोगे, वह आगे की बात है। लिखने से यह भी साबित हो गया कि आपने यह तो मान लिया कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलायी जा रही थीं, वह निश्चित तौर पर जनकल्याणकारी थीं। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, RGHS, OPS, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2 हजार यूनिट फ्री, इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई में रोटी में 50 ग्राम आटा क्या बढ़ा दिया, आपने उसका नाम ही बदल दिया। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप कंटिन्यू रखिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): याद करिये जब आपके टाइम पर अन्नपूर्णा चालू की थी आपने। भरी धूप में क्यू लगती थी और खड़े-खड़े खाना पड़ता था। हमने बकायदा एक रेस्टोरेंट होता है, उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर कूलर की हवा में बिठाकर खाना खिलाया है।(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मुख्य मंत्रीजी नहीं बोल पायेंगे, यह समझ लेना आप। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह मत करिये। माननीय सदस्य, यह काम मेरा है। आप नहीं बोलने देंगे तो ... (व्यवधान).... माननीय सदस्य, फिर आपके इनको भी नहीं बोलने देंगे। ऐसा मत बोलो। ... (व्यवधान).... आप बोलिये। माननीय सदस्य बिराजो। कुलदीप जी, बैठिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): प्रशासन शहरों की ओर चलाया। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: टाइम बहुत कम है, विराजो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह मेरा टाइम खराब

कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका तो टाइम पूरा हो रहा है। जल्दी बोल लीजिये। जो बोलना है, आप बोलिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): टाइम कहां खराब हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बोलते रहिये। ...(व्यवधान)... आप बोलते रहिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): प्रशासन शहरों की ओर और गांवों की ओर चलाकर हमने 501 रुपये में पट्टा दिया। पौने 10 लाख पट्टे शहरों में बंटे हैं। 10 लाख से भी ज्यादा पट्टे गांवों में बंटे हैं। उस योजना को बन्द कर दिया। आज भी एक लाख पट्टे विभिन्न नगरपालिकाओं के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन वह बंटवाये नहीं जा रहे हैं। महिलाओं को स्कूटी दी, 500 रुपये का सिलेण्डर और भी बहुत सारी योजनाएं थीं। न्यूनतम आय गारंटी योजना कानून बनाया, 150 दिन का रोजगार, राइट टू हेल्थ बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार दिया, निःशुल्क दवा योजना, अस्पतालों में फ्री इलाज। आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। यह हाल हो गया। मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, गर्ग साहब मुख्य मंत्रीजी आये तो उनको याद दिलाना कि इस बात का जवाब कम से कम अपनी स्पीच में दें कि किन-किन जनकल्याणकारी योजनाओं को वह बन्द करना चाहते हैं? अगर चलाना चाहते हैं तो बदलकर किस तरीके से चलाना चाहते हैं, क्योंकि नाम बदलने में तो आप जैसे नीतीश कुमार कुर्सी बदलने में मास्टर है, वैसे ही नाम बदलने में भारतीय जनता पार्टी मास्टर है। पैरा 13 से लेकर 15 तक आपने जिक्र किया।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट। अब दसवां मिनट होने जा रहा है। सम-अप करिये। आप सम-अप करिये।

SSY/RTM/30.01.2024/15.20/2I

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कर्जा लेकर अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एम.पी. को ले लें, यू.पी. को ले लो, गुजरात को ले लो, इनको भी छोड़ो, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लो, आजादी के बाद कुल मिलाकर के 65 सालों में कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। लेकिन आपने 10 साल के अन्दर-अन्दर 2014 से लेकर के आज तक 155 लाख करोड़ रुपये का कर्जा लिया। कुल मिलाकर भारत की जनता पर 205 लाख करोड़ रुपये का कर्जा लाद दिया। आज हर व्यक्ति एक लाख रुपये के कर्जे के नीचे है। ना किसी को रोजगार मिला, ना मैन्युफैक्चरिंग से कोई उत्पादन बढ़ पाया। औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ा है। एमएसएमई बर्बाद हो गये। सारे के सारे चरमरा गये। जॉब क्रिएशन बंद हो गया।

इंडियन मॉनिटरी फंड ने भारत सरकार को यह चेतावनी दी है कि तुम्हारी जीडीपी कर्ज के बराबर हो गयी है। अब अगर कर्जा लिया तो पाकिस्तान और लंका के जैसी हालत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री छोट्टसिंह। विराजें। आप बहुत पुराने हैं। टाइम के पंचकुअल हैं। विराजें। हो गया, 12 मिनट हो गये। 3.10 पर आपने शुरू किया था। 3.22 हो रहे हैं। मुझे सभी सदस्यों को बुलवाना है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी तो मैंने चालू किया है। अभी तो चालू किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय छोट्टसिंह।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी तो चालू किया है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। 10 मिनट दिये थे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): यह क्या बवाल है?

श्री अध्यक्ष: 10 के 12 मिनट हो गये माननीय सदस्य।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में माननीय सदस्यों ने अपना-अपना मत व्यक्त किया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलो। इनका अंकित नहीं हो ...(व्यवधान)...

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में देश की जनता से कई वायदे किये।

श्री अध्यक्ष: माननीय छोट्टसिंह जी का अंकित होगा। इनका अंकित नहीं होगा। आपका समय 5 मिनट है।

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): यह वादे वर्तमान हालात में क्या हैं, यह माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से पता होगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया। आपका हो गया। आप बैठिये। आपका अंकित नहीं होगा। आप बैठिये।

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष जी, यह डबल इंजन की सरकार है। सुशासन देकर राजस्थान का निर्माण करेगी ...(व्यवधान)... विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगी ...(व्यवधान)...

हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। सबका विश्वास और सबका प्रयास। राज्य की स्वाभिमानी जनता ने माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताकर वर्तमान सरकार को शासन की बागडोर दी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विगत सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण राजस्थान सबसे ज्यादा कर्जदार राज्यों की श्रेणी में आ गया है। पूर्व में माननीय मैं भी यहां एमएलए था। उस समय राज्य का कर्जा केवल 40,300 करोड़ था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजें। मैं नाम काट दूंगा। आगे से बोलने नहीं दूंगा। मैं आपको कभी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। इस तरह से करोगे तो, आप बैठो। चुप रहिये। शांति रखिये। नाम शांति है और अशांति कर रहे हो।

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): आप कर्जे के बारे में ऐसी बातें करते हो। आदरणीय, यह कर्जा कैसे हुआ? विगत 5 वर्षों में राजस्थान के विद्युत विभाग की लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार के कारण आम जन झेलने को मजबूर हुआ है।

पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय डिस्कॉम को जो आर्थिक संबल देने की योजना 62400 करोड़ का ऋण माफ किया था। पूर्ववर्ती सरकार के जो विराजमान सदस्य हैं, उनके कुप्रबंध के कारण आज वह फिर से बढ़कर 88700 करोड़ हुआ है। यह सोचने का विषय है कि यह इतना कैसे हो गया?

साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की आपसी मतभेदों से अलग-अलग सत्ता के केन्द्र थे। यहां तक कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में सूर्यगढ़ होटल में आपकी मीटिंग होती थी। आपके मतभेद से आपने सबसे सीमांत का जिला देखा। जहां किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होगा और कांग्रेस के सभी विधायक वहां चर्चा करेंगे। जनता के बारे में नहीं सोचा। यदि जनता के बारे में सोचते तो आज आपको नारा लगाने की जरूरत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, फिर इधर से भी बोलेंगे तो कैसे होगा ... (व्यवधान)...

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): आज बहुत सोच का विषय है कि डिस्कॉम में जो डिमांड भरवाये गये, परंतु कौनसी सुपर इलेक्ट्रिक लाये हो जिससे सीधा कनेक्शन होता है। एक आपने स्पेशल, चलो चल रही थी, वह लाये। सामान्य लाये। आपने 2022 तक दुनिया भर के कनेक्शन कर दिये। यह मेरे जैसलमेर की स्थिति की बात कर रहा हूं। आपने उन कनेक्शनों में आपने यह नहीं सोचा कि बिजली किधर से लायेंगे।

श्री अध्यक्ष: समअप करें।

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): जीएसएस तैयार नहीं हैं और केवल 2022 के सभी कनेक्शन कर दिये। यह पूरे प्रदेश के जिलों के लोगों को पता है। यदि आप वोट मांगने गये होंगे तो आपके सामने यह समस्या रखी होगी। वह आप सुनो, किसी का यदि ट्रांसफार्मर खराब होता है तो कंपनी से बात करता है। सरकार से बात करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: समअप करिये।

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के इन 3 तरीके की विफलताओं को आप देखें और जल्दी से जीएसएस का निर्माण करायें और आम किसान को राहत दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: समअप करें। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। समअप करिये, टाइम हो गया। श्री राजकुमार रोत।

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): टाइम इतना जल्दी खत्म हो गया?

श्री अध्यक्ष: सबका कम कर रहा हूं। सबका कम कर रहा हूं।

श्री छोट्टसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। एक मिनट दो। सबसे बड़ी समस्या मैं बता रहा हूं। एक मिनट, यह जो बिजली पैदा होती है, यह पूरे राजस्थान में

जैसलमेर में पैदा होती है। यदि सबसे ज्यादा पीड़ित किसान हैं तो जैसलमेर का किसान है। कारण है कि जो हमारी जमीनें थी, जो पूर्वजों ने रखवा रखी थीं। उन सभी जमीनों को पूर्ववर्ती सरकार ने नोटिफिकेशन कराकर कम्पनियों को दे दिया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजें। हो गया ...(व्यवधान)...

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): कम्पनियों ने खेजड़ी काट ली। सेवण घास काट ली।

श्री राजकुमार रोट (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का जो मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। आज मेरी जो पार्टी है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजें। अंकित नहीं हो। यह मेरा काम है। आप बैठें। आप बैठें। सदन को तमाशा बनाओगे। हां बोलिये, आप शुरू करें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप शुरू करिये। आप शुरू कर दो। अंकित नहीं होगा।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्री राजकुमार रोट (चौरासी): राजस्थान की जनता देख रही है कि सदन में क्या हो रहा है। पक्ष क्या बात रख रहा है। विपक्ष क्या बात रख रहा है। यह जो स्थिति बन रही है, यह जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए हैं, पूरे अभिभाषण पर एक ही बात बोले हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया। पिछली सरकार ने क्या किया। इसीलिए राजस्थान की जनता ने आपको अवसर दिया है। आप यह बात करो कि हम क्या करेंगे राजस्थान के लिए। हम क्या करेंगे दलित के लिए, आदिवासी के लिए। राजस्थान के उस कोने, दक्षिणी राजस्थान के कोने में, जंगलों में जो बैठा हुआ है आदमी, आज भी बिजली से, पानी से वंचित है। उसके लिए क्या करेंगे? इस पर आपको बात करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी बात बतायी थी कि यह जो अभिभाषण की कॉपी है, उसमें मैंने भी पढ़ा है कि राजस्थान के अन्दर 13 प्रतिशत आदिवासी रहता है। लेकिन इस कॉपी में आदिवासियों के लिए एक लाइन नहीं लिखी हुई है। इससे यह साबित होता है कि यह डबल इंजन की सरकार आदिवासी विरोधी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का युवा दर-दर भटक रहा है। इस अभिभाषण में मैंने देखा कि युवाओं के लिए क्या है? देश के अन्दर जो हो रहा है, वह ठीक नहीं हो रहा है। देश के अन्दर युवाओं को रोजगार चाहिए। गरीब है उसको दो टाइम की रोटी चाहिए। उसको मकान चाहिए। लेकिन आज धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। वह देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक दुःखद बात है। हम सब जो सदन में हैं, जो लोक सभा में लोग हैं, वह सब जिम्मेदार रहेंगे अगर देश आने वाले समय में गर्त में जाता है तो।

आज युवाओं की बात करें, युवाओं को मन्दिर का घंटा समझ रखा है। यह सरकार आती

है तो यह बजाती है। युवा आंदोलन करता है। अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। आज रीट की भर्ती में लेवल-वन की नियुक्ति बाकी है। नर्सिंग भर्ती की नियुक्ति बाकी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको नियुक्ति दे।

Jyg/rtm/30.01.24/15.30/2m

आज बजुर्गो को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य, हॉस्पिटल में तरस रहे हैं लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक केस आया मेरे पास, 22 जनवरी 2024 को हॉस्पिटल में जाता है व्यक्ति सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर लिखता है, सोनोग्राफी वाले उसको लिखकर देते हैं कि आपका 23 फरवरी 2024 को सोनोग्राफी का नम्बर आएगा। एक महीने बाद नम्बर आने की बात हो रही है सोनोग्राफी के लिए, तब तक आदमी मर भी जाएगा और उसका क्रिया कर्म भी हो जाएगा, यह स्थिति बनी हुई है हमारे देश की, उस पर बात नहीं होती है। आज जो स्थिति बन रही है, तीन साल हो गए हैं बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में चार-चार क्लास के बच्चे एक-एक रूम में बैठ रहे हैं। वहां पर सीनियर स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन एक व्याख्याता भी नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से मैंने इस सदन में देखा, मोदीजी पर भाषण, राम मन्दिर पर भाषण, उधर राहुलजी पर भाषण, यह सदन मोदीजी, राहुलजी और राम मन्दिर के लिए नहीं है, यह सदन राजस्थान की जनता के लिए है। इस सदन से राजस्थान का भविष्य तय होता है। आज जो यहां स्थिति बना रखी है, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि राम मन्दिर का उद्घाटन हुआ वो अच्छी बात है पर उसके आयोजक कौन थे? क्या इसके आयोजक मोदीजी थे? या वहां के शंकराचार्य थे? देश के अन्दर जो स्थिति बनी है, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों को हटा दिया गया। आज हमारे इलाके में एक माहौल बना दिया गया है, आप राजस्थान का इतिहास उठा कर देख लो, आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बलिदान दिया है तो आदिवासी समाज ने दिया है। 1913 के अन्दर मानगढ़ में 1500 आदिवासी मारे गए। माही डैम बना, कडना डैम बना, आदिवासी विस्थापित हुआ। वहां जो टापू हैं उन सारे टापुओं का रामायण के पात्रों पर नामकरण किया जाएगा, यह काम कर रही है, सरकार। वहां शहीद हुए उनके नाम नहीं ले रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी के धर्म पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। आज बिजली की बात कर रहे हैं। हम बिजली उपलब्ध कराएंगे, कहां से कराएंगे? हसदेव अभयारण्य को बर्बाद करके, एक तरफ कह रहे हैं कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, एक तरफ पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, यह गम्भीर बात है, मैं राजस्थान विधान सभा से हूँ लेकिन जो राजस्थान में बिजली ला रहे हैं वो हसदेव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ से लोगों को हटाकर और हजारों हेक्टेयर भूमि को बर्बाद करके, कहीं न कहीं आदिवासियों को बर्बाद करके जनता को अगर एसी में सुलाने का काम किया जा रहा है

तो यह गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, यहां पर आप अपना स्रोत तैयार करें, चाहे वो सोलर से करो या अन्य किसी से करो, यहां उत्पादन करो और जनता को दो तो हमें अच्छा लगेगा।

श्री अध्यक्ष: आपका समय खत्म हो गया।

श्री राजकुमार रोट (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह देश संविधान से चलता है। यह दुःखद बात है कि राजस्थान में 26 जनवरी पर कई जगह देखने को मिला कि भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को वहां स्कूल से हटा दिया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के चिखली-सीमाड़ा ब्लॉक के अन्दर भीमराव अम्बेडकरजी की तस्वीर लगी हुई है, अधिकारी इतने डरे हुए हैं कि उस तस्वीर को अन्दर रखवा दिया गया। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया, उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय हो गया।

श्री राजकुमार रोट (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि युवाओं को रोजगार मिले, देश के युवाओं का भविष्य सुधारना है तो धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवरलाल। (अनुपस्थित)

सुश्री नौक्षम। आप पहली बार हैं, आप बोलिए।

सुश्री नौक्षम (कामां):

ए वक्त जरा अदब से पेश आ,

ए वक्त जरा अदब से पेश आ,

वक्त नहीं लगता, वक्त बदलने में।

वक्त को थोड़ा वक्त दे दीजिए,

वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य रखने का अवसर प्रदान किया। आपका पुनः शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेवात की एक बेटी को यहां पर पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कामां विधान सभा क्षेत्र से आती हूँ। अपनी अवाम का, अपनी जनता का, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मेवात की बेटी पर अपना भरोसा जताया और राजस्थान की इस सर्वोच्च पंचायत में मुझे अपनी आवाज बुलंद करने का मौका दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से तरह-तरह का वाद-विवाद सुन रहे हैं। एक बात हर बार सुनने में आती है कि यह अभिभाषण से हमारे विपक्ष के यहां मौजूद साथीगण संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पांच साल दिए गए, अवाम की और जनता की सेवा करने के लिए जिनको आपने बेमिसाल पांच साल के नाम से इशतिहार छाप दिए और

एक-एक वर्ग के साथ धोखा अफजाई कर दी। ऐसा कोई वर्ग राजस्थान का ऐसा नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी न की हो। काश्तकार हो, युवा साथी हो, दलित हो, महिलाएं हों, ऐसा कोई एक भी वर्ग नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी न की हो। आप असंतुष्ट रहे, मुतमईन रहे, किसी को कोई नहीं है, जो करारा जवाब देना था वो तीन दिसम्बर को आपको मिल चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार और सुनने में आती है, इनको एक शब्द और पसन्द नहीं है 'डबल इंजन की सरकार', आपका तो तालमेल नहीं बन पाया पांच साल, आप तो एक दूसरे के विरोधी बने रहे, हमें और पूरे देश को तो यह नहीं समझ आ रहा था कि आपका तालमेल बनेगा तो जनता का कुछ भला होगा। आप तो अपनी सरकार का तालमेल स्थापित नहीं कर पाए तो आप डबल इंजन सरकार को क्या समझेंगे। जो केन्द्र ने जन कल्याण योजनाएं शुरू की थी, आपके मुख्य मंत्रीजी ने उनको प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचने दिया, इसलिए नहीं पहुंचने दिया गया कि अगर पहुंचने देते तो जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उस तरीके से राजस्थान प्रदेश भी आगे बढ़ जाता। पर नहीं, आप लोगों ने यह सोचा कि भ्रष्टाचार करेंगे, बड़ी चर्चा में रही आपकी सरकार, किसलिए? भ्रष्टाचार के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिलाओं के साथ अत्याचार के लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेवात क्षेत्र से आती हूं। ब्रज-कामां क्षेत्र ऐसा है जिसकी अपनी एक संस्कृति है, जिसकी एक तहजीब है, अपना उसका एक ऐसा कल्चर है जो सब जगह से, सब रूपों से मिलकर बनता है। जहां पर राजा सूरजमल की गौरव गाथाएं हैं, शहीद हसन खां मेवाती की शहीदी को सलामी देती हूं, श्रीकृष्ण की लीला स्थल को, ब्रज स्थल को नमन करती हूं जहां गलियों में राधे-राधे के जयकारे हैं, जहां पर गिरिराज धाम की गूंज उठती है, ऐसा एक पाक, ऐसा एक पवित्र, एक ऐसे जिले और एक ऐसी धरती से आती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से जो वहां पर तालीम मंत्री थीं, कांग्रेस के यहां से शिक्षा मंत्रालय देख रही थीं, उन्होंने शिक्षा का स्तर मेवात के उस इलाके में इस तरीके से खत्म कर दिया कि जहां पर अध्यापकों को पहली बार सुना था, कहते हैं कि तबादले के लिए पैसे लेते थे, कामां में तो तबादला रूकवाने के लिए पैसे लिए जाते थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समय की सीमा है। चार बजे तक यह पूरा खत्म करना है। अभी बोलने वाले बहुत हैं। आप ज्यादा बोलेंगी तो दूसरे का नाम कट जाएगा।

सुश्री नौक्षम (कामां): यह ब्रज मेवात का वो क्षेत्र है जहां पर आपने संगीन गुनाह जैसे कि गोकशी, सेक्सटॉर्शन, गो तस्करी, साइबर क्राइम जैसे इतने संगीन क्राइम्स को आपने बढ़ावा दे दिया। आपकी सरकार में भरतपुर संभाग से छह मंत्री थे और छह के छह भ्रष्टाचार में डूब गए थे। यह एक ऐसा जिला बनाया है हमने जो कांग्रेस मुक्त कर दिया है। कांग्रेस मुक्त उस संभाग से हम लोग आते हैं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

शुश्री नौक्षम (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग यहां पर बात करेंगे राम मन्दिर की, हमारे कण-कण में राम है। हर मजहब और धर्म में राम का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। आपने जिस तरीके से श्रीराम मंदिर का न्योता अस्वीकार कर दिया, आप अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा उसी तरीके से नाकबूल करते हैं, इसी सदन में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। अगली बार आपको ज्यादा टाइम देंगे, विराजें।

श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): वक्त पर शेर कहने वाले वक्त का ही उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिए। पांच मिनट में समाप्त करें, सात-आठ लोग और हैं।
...(व्यवधान)... ।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पूरे 83 पैरों में 50 पैरों के अन्दर सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है।

MLS/RTM/30.01.2024/15:40/2n

कोई रोडमैप नहीं है कि क्या राजस्थान में करना चाहते हैं, क्या राजस्थान के लिए आगे मंशा रखते हैं, किस तरीके से डवलपमेंट करेंगे। जनता ने आपकी सरकार बना दी, आपको चुन लिया, आपकी सरकार बन गयी, अच्छा होता कि आप राजस्थान के लिए रोडमैप बनाते, आप समाज के हर वर्ग की बात करते, लेकिन आपने सिवाय हम पर अंगुली उठाने के कोई काम नहीं किया। अभी मुझसे पहले जो विधायक बोल रही थीं, उन्होंने एक शेर कहा, एक शेर में भी कह देता हूं,

“उंगलियां यूं न हम पर उठायो करो,

उंगलियां यूं न हम पर उठायो करो,

कुछ कहने से पहले कुछ करके दिखाया करो, मेरे साथियों।।”

कुछ करा तो करो, फिर अंगुलियां उठायो करो। राजस्थान का रोडमैप बनाते, राजस्थान को दिशा देते। अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस अभिभाषण को देखता हूं तो यह पाता हूं कि आपने इसमें सम्पूर्ण समावेश लिया ही नहीं। इसमें गरीब का, दलित का, आदिवासी का, ओबीसी का नाम नहीं है। माइनोंरिटी के नाम से तो आप इतनी नफरत करने लगे हैं कि अभी आपकी माननीय सदस्या ने जैसे ही हसन खां मेवाती का नाम लिया, कोई ताली नहीं बजी और बाकी पर ताली बजा रहे हैं। आपका डायलॉग है, ‘सबका साथ, सबका विकास’, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि युवाओं के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। क्या दिशा देंगे? राजस्थान में बेरोजगारी चरम सीमा पर है।

पूर्व सरकार और पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के युवाओं को बाहर एजुकेशन देने का सपना दिखाया। हर साल राजस्थान के 500 स्टूडेंट्स विदेश गये, चाहे फीस 30 लाख सालाना हो, चाहे फीस 40 लाख सालाना हो, चाहे 50 लाख सालाना हो, मुख्य मंत्री

अशोक गहलोत ने कहा कि हम उन स्टूडेंट्स की फीस देंगे, जिनके पास योग्यता है, काबिलियत है, लेकिन पैसा नहीं है, हम उनके पैसे देंगे। आपने इसके बारे में कोई बात नहीं की। आज युवा भटक रहा है, वह पूछ रहा है, यह राजीव गांधी स्कॉलरशिप चलेगी या नहीं, आगे बनेगी या नहीं बनेगी, नाम परिवर्तन में मास्टर लोगों, इसकी हिम्मत मत कर देना, नाम भले ही परिवर्तित कर देना, पर स्कीम को चालू रखना, ताकि राजस्थान का युवा, राजस्थान की अवाम, जो गरीब आदमी आज अपनी प्रतिभा के दम पर नामी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेता है, उसकी फीस राजस्थान सरकार दे दे और उसका भविष्य बनाने का काम करे।

जब मैं इस अभिभाषण को देखता हूँ, एक भी जगह आप इसमें अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते हैं। पूरे 53 पैराज लिख देते हैं और बात करते हैं 'सबका साथ, सबका विकास' की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब राजस्थान में इलेक्शंस होते हैं, आप कोई शेयर नहीं देते। माइनोंरिटी के आदमी को एक जगह नहीं देते हैं। एक आदमी था आपके पास, बहुत नायाब हीरे की तरह। आपने सिर्फ उसका टिकट इसलिए काट दिया कि वह जाति से मुसलमान है। यहां सामने दलित बैठे हैं, किरोड़ी लाल जी यहां बैठे हैं, आप यह सोचें कि उनका टिकट मीणा होने के नाम पर और इनका टिकट दलित होने के नाम पर कट जाये तो आपको कैसा लगेगा।

इन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला कि आप लोगों ने टिकट दिया। इन्हें टिकट इसलिए मिला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन की नींव रखी, अदरवाइज आपका बस चलता तो इन्हें भी सदन से बाहर कर देते। ऐसी प्रतिभा को आपने बाहर रखा। आज कैसे दहाड़ रहे थे इस्टर्न कैनाल के नाम पर। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: समय हो गया है माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी तो शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट का समय था, पांच मिनट हो गये हैं। मुझे अभी तीन सदस्यों को भी बुलवाना है 4 बजे से पहले।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक बात के लिए तो मैं आपकी पर्ची सरकार को धन्यवाद दूंगा। पर्ची खुली जयपुर के विधायक की। जयपुर का विधायक मुख्य मंत्री बना तो मैंने सोचा कि जयपुर से ही दो-दो उप-मुख्य मंत्री होंगे तो शायद कोटा से ही सबक ले लें, शायद शान्ती धारीवाल से ही सबक ले लें। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम भी, मैं भी, रोहित जी भी राजेन्द्र राठौड़ जी से बात करते थे, ज्ञान लेते थे। इतिहास रहा है, अशोक गहलोत जी से ज्ञान लेते थे। आप भी ज्ञान लें और अपने मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्रियों से बोलें कि कोटा से सीखें और जयपुर को कोटा की तर्ज पर डवलप करने की कोशिश करें। जब बात शायरी की हो रही है तो मैं दो लाइन मुख्य मंत्री जी के लिए कह देता हूँ,

‘तेरी यह दीवानगी तक चाहने वाले तेरे ये सबब तेरे नहीं,
ऐ मेरे शहर के तेरे लोग तेरे नहीं,

मैंने एक और महफिल में भी इन्हें देखा है,
मैंने एक और महफिल में भी इन्हें देखा है,
ये जो सब तेरे नजर आते हैं, तेरे नहीं।।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज मीना।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सिर्फ एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपको शायरी करनी थी, शायरी हो गयी। मुझे अभी 4 बजे से पहले तीन लोगों को बुलवाना है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): राज्यपाल के अभिभाषण में प्रधान मंत्री जी का जिक्र, बार-बार प्रधान मंत्री का उल्लेख। उल्लेख ज्यादा होने से इतना फर्क पड़ा कि इनके उप-मुख्य मंत्री और इनके कुछ विधायक नरेन्द्र मोदी जी को राजस्थान का मुख्य मंत्री बता गये। राजस्थान की विधान सभा में इतना जिक्र करेंगे तो इसी तरह की गलतियां होंगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) पेट्रोल-डीजल पर पांच साल आप बहुत चिल्लाये। क्यों नहीं इस अभिभाषण में जिक्र कर देते, कह देते कि हम जो टैक्स राजस्थान में ले रहे हैं, वह नहीं लेंगे? आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज मीना। पांच मिनट में।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 16वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का जो अवसर मिला है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सपोटरा की देवतुल्य जनता का, जिसने अपनी आवाज रखने के लिए राजस्थान की इस सबसे बड़ी महापंचायत में मुझे भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा होने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। यह कितनी बड़ी बात है कि इस ऐतिहासिक पल को हम सभी ने जीया है, सभी ने साक्षात् घटित होते देखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर यह डबल इंजन की सरकार बनायी। सत्र के विगत दिनों में इस डबल इंजन की सरकार को लेकर बहुत चर्चाएं हुईं। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने डबल इंजन की बड़ी हास्यास्पद व्याख्याएं कीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार का मतलब विकास की डबल स्पीड, डबल लाभ, डबल प्रयास और डबल परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिद्ध होता है माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 24 से।

गत चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए इस प्रदेश के मतदाताओं से जिस तरह के लोक-लुभावन वादे किये, इस प्रदेश के अन्नदाताओं से जिस तरह से सम्पूर्ण कर्जमाफी का वादा किया, लेकिन पांच साल गुजर जाने के बाद भी किसान कर्जमाफी के लिए तरसते रहे। मैं हमारे सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधान

मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दुगुना किया और अब प्रदेश के किसान भाइयों को 6 नहीं, बल्कि 12 हजार रुपये आने वाले समय में मिलेंगे। यह है डबल इंजन की सरकार का डबल लाभ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार का डबल प्रयास। यह अभिभाषण के बिन्दु संख्या 29 और 30 से सिद्ध होता है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता और क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने ईआरसीपी की डीपीआर तैयार की थी, लेकिन गत कांग्रेस सरकार ने इस योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करने और वोटों की फसल काटने का काम किया। हमारी सरकार ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इसे मूर्त रूप देने के लिए कल ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने एमओयू साइन किया है। इस प्रोजेक्ट का सारा रास्ता साफ हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश और देश के लोग माननीय मोदी जी के लिए बोलते हैं,

**“सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं,
तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं।”**

और यह प्रमाण सिद्ध होता है ईआरसीपी की योजना को जमीनी रूप देने के रूप में।

Mkd/Rtm/30.01.2024/15.50/2o

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गत सरकार सत्ता में आई और इस प्रदेश के युवाओं से वादा किया। प्रदेश के युवा दिन-रात मेहनत करके और मेहनत करने के बाद, एक कठिन तैयारी के बाद जब परीक्षा देने के लिए जाता था और परीक्षा देकर वापस लौटता था तो उसे विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से पता चलता था कि जिस परीक्षा को देकर वह आया है, उसका पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझा और पेपरलीक मामलों की कड़ी जांच हेतु एसआईटी का गठन किया। (समय समाप्ति सूचक घंटी) साथ ही, भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव एवं डीजीपी लेवल के अधिकारियों से करवाने का फैसला लिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के पैरा नम्बर 42 के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अभिभाषण में कहा कि एससी और एसटी के सभी आरक्षित सरकारी पदों को प्राथमिकता के साथ भरेगी और हम प्रदेश के सभी एससी, एसटी के भाइयों को विश्वास दिलाते हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात हुई। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में

पंचायत समिति सपोटरा के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की प्रधान को पद पर कार्य न करने का आरोप लगाकर निलम्बित किया जाता है और निलम्बित करने के दो दिन बाद 27 मार्च, 2023 को बड़ी संख्या में नरेगा के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। वित्तीय स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के दो दिवस बाद ही दिनांक 30 मार्च, 2023 को सभी कार्यों को सामग्री मद के बिना कार्य कराये, तत्कालीन बीडीओ द्वारा अपनी आईडी से 6 करोड़ रुपये के बिल फीड करवाना संदिग्ध है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। डॉ. सुभाष गर्ग। आपका हो गया।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महादेय, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। जिस तरह से वहां कार्य किया गया और तत्कालीन पंचायती राज मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा):000

श्री अध्यक्ष: ये लास्ट हैं। इसके बाद एक और है। मुझे 8 मिनट में चार-चार को अवसर देना है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया, बहुत तालियां इस पक्ष से बजाई गईं और बार-बार कहा गया कि डबल इंजन की सरकार डबल प्रगति के साथ आपणो अग्रणी राजस्थान बनाने का काम करेगी। इस पूरे अभिभाषण को देखने पर, यदि विभिन्न पैरामीटर्स की बात करें, इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, डबल डिजीट में ग्रोथ रेट डवलप करने के लिए अगर कोई पॉलिसी पर्सपेक्टिव इसमें होना चाहिए, वह कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कोई विजन नहीं है।

केवल संकल्प पत्र को लिया, उसको रि-टाइप करके प्रस्तुत कर दिया गया। इसमें एक ही काम किया गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया। भाई, पूर्ववर्ती सरकार ने किया तभी तो इधर आ गये। अब बार-बार इस पूर्ववर्ती सरकार को कब तक कोसोगे? आप अपना विजन रखिये, आप क्या करना चाहते हैं।

आपने कहा पैरा नम्बर 5 में, राजस्थान को हम अग्रणी राजस्थान बनायेंगे। नया राजस्थान और एक नये राष्ट्र का निर्माण करेंगे। नये राजस्थान का निर्माण कैसे होगा? पूरे अभिभाषण में कहीं पर भी रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, जो रूरल इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं, डेयरी इंडस्ट्री है, पशुपालन है, एग्रिकल्चर रिफॉर्मर्स हैं, एग्रिकल्चर कंसेशनल्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न है, इसके ऊपर कहीं कोई पॉलिसी प्लान ही नहीं है।

अभिभाषण होता है, सरकार की पांच साल की रूप-रेखा होती है। उन पांच सालों में हम क्या-क्या करेंगे। उन चीजों को लेकर चर्चा की जाती है लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल ने भी इसको पास किया है, मंत्रिमंडल के किसी भी माननीय मंत्री जी ने, मैंने कहीं अखबार

में नहीं पढा कि अपना ये पक्ष रखा हो कि इस अभिभाषण में यह भी जोड़ा जाना चाहिए।

मुझे अफसोस होता है, फिर बात करते हैं, इन्होंने राजस्थान में परिवर्तन संकल्प एक शब्द का यून किया है, पैरा नम्बर 7 में। परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन-आक्रोश यात्रा, नहीं सहेगा राजस्थान, बिलकुल नहीं सहेगा। अभी 28 तारीख को ईआरसीपी का समझौता हुआ, उसे राजस्थान कभी नहीं सहेगा। मेरे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि ईआरसीपी 100 दिन की कार्य योजना में ऐसी सौगात दी है। यह सौगात नहीं दी, राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट हैं।

ये भरतपुर की जनता, धौलपुर की जनता, करौली की जनता, सवाई माधोपुर की जनता, दौसा की जनता, अलवर की जनता और माननीय अध्यक्ष महोदय आपका भी जिला है, अजमेर, टोंक, जयपुर, बारां, झालावाड़, कोटा- इस पर आप बहस करवाइये। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप इस पर पूरा एक दिन विधान सभा में डिस्क्शन करवायें।

मैं कह रहा हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। यह तो पहले ही हो चुका होता। यदि 2400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लेना था तो फिर इतना करने की जरूरत क्या थी? पांच साल इसको रोकने की जरूरत क्या थी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, ईआरसीपी का जो समझौता किया गया है। राजस्थान के हितों के साथ, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात है।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): एक बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल समाप्त कर रहा हूँ।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का बड़ा नाम लेते हैं। मैं भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी का नाम ले रहा हूँ। स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई थी। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा चार सम्भागीय जिले लिये गये थे और तीन छोड़ दिये गये थे, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर। जब हमारी सरकार थी, इन तीनों को स्टेट की स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी। आपके इस प्लान में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है कि उन स्मार्ट सिटीज को डवलप किया जायेगा या नहीं किया जायेगा। इसमें भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर भी आता है। (समय समाप्त सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आप चिरंजीवी योजना के बारे में बात कर रहे थे। जिस चिरंजीवी योजना को देश और दुनिया ने सराहा, आज उस चिरंजीवी योजना के लिए लोग भटक रहे हैं। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बिलकुल शांत बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस चिरंजीवी योजना का दायरा और बढ़ाया जाये। इसके तहत जो रूकावट आई है, इसी तरह से विकास कार्य के साथ रूकावट, एक ही कर दिया है कि नये कार्य शुरू नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे राजस्थान की ग्रोथ रेट रूक गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री देवीसिंह शेखावत।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि

राजस्थान की वर्तमान सरकार ने बिना कोई रोड मैप लिये हुए अभिभाषण को प्रस्तुत किया है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री देवीसिंह शेखावत।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विधान सभा में प्रथम बार चुनकर आया हूं और मुझे हमारे सभी विद्वान साथियों का दर्शन करने का मौका मिला और सहयोग भी मिलेगा। इस अवसर पर मैं सभी साथियों का अभिवादन भी करता हूं।

मैं सबसे ज्यादा बानसूर विधान सभा क्षेत्र की 36 कौम, जिन्होंने मुझमें विश्वास रखा कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के हितों को सबसे आगे रखकर इस राजस्थान की पंचायत में रखूंगा, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान में बानसूर आता है और पूरे पूर्वी राजस्थान के लिए आज सोने का सूर्य उगने जैसा दिवस है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार द्वारा लटकाई गई ईआरसीपी योजना, उसका मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से मिलकर हमारे राजस्थान के भागीरथ भजन लाल जी, मुख्य मंत्री और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह जी के प्रयास से इस लटकाई हुई योजना को मूर्त रूप दिया गया।

राजस्थान की 40 प्रतिशत आबादी 13 जिले और 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर भूमि को जल मिलेगा, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ग्रामीण परिवेश में ज्यादा लोग रहते हैं। खेती और पशुपालन पर उनका जीवन चलता है और यह बगैर इसके सम्भव नहीं था। जिस तरह कांग्रेस सरकार ने इसमें गतिरोध पैदा किया, जो हमारी क्षमता थी, जो कानून में हमें अधिकार थे, जितना जल हमको मिल सकता है, उससे ज्यादा मांगकर इस योजना को इस तरह से लटका दिया गया कि या तो उनको करना नहीं पड़े, क्योंकि वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण उनके पास इस योजना में देने के लिए पैसा नहीं था। एक ऐसी योजना बना दी गई, जिसमें 15 हजार करोड़ में केवल 500 मिलियन क्यूबिक पानी राजस्थान को मिलता।

Bhs/rtm/30.1.24/16.00/2p

आज हमारे भजन लाल जी, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और एमपी के हमारे मोहन जी यादव के संयुक्त प्रयास से मोदी जी के नेतृत्व में 2500 एमसीएम वाटर पूरे पूर्वी राजस्थान को मिलेगा इसमें हमारे राजस्थान पर वित्तीय भार केवल 2 हजार करोड़ आयेगा तो यह बहुत अच्छी बात है और यह जो पहले इन्होंने योजना बनायी वह बहुत गलत थी और कांग्रेस की कभी भी, जिस तरह से राम मन्दिर को लटकाया जिस तरह से 370 को लटकाया एक देश में दो विधान करके इस पूरे भारत की भूमि को हमेशा के लिए हमेशा हमारे जो भारत के 140 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकारमय बना दिया गया लेकिन 370 आज हट गया एक देश एक विधान हो गया। कांग्रेस को लगता था वहां खून की नदियां बहेंगी आज एक मच्छर

भी वहां नहीं मरा। मन्दिर का निर्माण हो गया जिसके लिए कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिये और अभी जो हमारे वेल में जो साथी थे, मुझे तो यह लग रहा था कि यह इनका अपराध बोध इनको वेल पर खींच कर लाया है क्योंकि इन्होंने इस दिशा में कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार कांग्रेस की सरकार आते ही, अब यह बार-बार कहा जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में हां पक्ष की लॉबी के द्वारा केवल कांग्रेस को कोसने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन यह इसलिये जरूरी है थानागाजी में अनुसूचित बालिका के साथ बलात्कार हुआ, मूक-बधिर बालिका के साथ अलवर में बलात्कार हुआ उसकी लीपापोती की गयी। भूपसेड़ा मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महिला का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हो गयी। एक मेणपुर में बालक का नरकंकाल मिला। सारे मामलों में लीपापोती हुई। अवैध हत्यारों का चलन बढ़ गया। भ्रष्टाचार इस क्रम बढ़ा कि तबादला एक उद्योग हो गया और ऐसे सभी मामलों में लीपापोती की गयी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आदरणीय टीकाराम जी जूली बैठे हैं और हसन खां मेवाती पेनोरमा हमने बनाया अपने कार्यकाल में 2013 से 2018 में। मैं वहां यूआईटी का चैयरमेन था। भारतीय जनता पार्टी के समय हसन खां मेवाती पेनोरमा हमने बनाया, भर्तृहरि महाराज का बनाया, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया और आपने एक की भी सार सम्भाल नहीं की और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप सरकार में जब आये तो एक अयोग्य उत्तराधिकारी की तरह रहे। इसका आपको पश्चाताप करना चाहिये और जिस तरह आज आप वेल में आये हैं मुझे तो यह लगता है कि आप सही चीजों का भी इस तरह से विरोध करते हैं तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपका विपक्ष का भी तमगा छिन गया, बिहार में छिन गया ऐसा नहीं हो कि इस राजस्थान की विधान सभा में आपको विपक्ष में बैठने का भी मौका नहीं मिले क्योंकि हमारे ग्रन्थों में कहा है...।

श्री अध्यक्ष: सम अप करिये।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): हमारी रामायण में लिखा है, 'जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकी मति पहले हर लेही।' आपकी बुद्धि भ्रमित है और आप सारे उलटे काम करने में प्रवृत्त हैं। आपको और हम सबको मिल कर इस राजस्थान को आगे बढ़ाना है। ग्रामीणों की बहुत सी समस्याएं हैं उनको आगे रखना है। ग्रामीण जीवन सुधारे बगैर हिन्दुस्तान का विकास नहीं होगा। महिलाओं के लिए मोदी जी ने 33 प्रतिशत आरक्षण जो देश की हमारी लोक सभा और विधान सभा में किया है, किसी भी देश का विकास तब होगा जब प्राइवेट सेक्टर में जाना सरकारी सेक्टर से ज्यादा लोग पसन्द करेंगे और जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा जनसहभागिता में दिखेगा तभी भारत विकास करेगा।

मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी साथियों का बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय विपक्ष के नेता, टीका राम जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हे राम। मैं आज की शुरुआत उस महान पुरुष से करना

चाहूंगा जिनकी तस्वीर आपके पीछे लगी है। 'सत्यमेव जयते' उसके ऊपर लिखा है और आज ही के दिन 5 बज कर 27 मिनट पर उनकी हत्या कर दी गई और गांधी जी जब जमीन पर गिरे तब उनके मुख से अन्तिम शब्द थे, हे राम। गांधी जी ने अपने जीवन में यह कहा था कि मैं राम का सच्चा उपासक हूँ तो जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन मेरे मुख से अन्तिम समय राम शब्द निकले तो मान लेना कि मैं राम को मानने वाला हूँ राम मेरे हृदय के अन्दर हैं। आज की स्थिति नहीं है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। यह स्थिति गांधी जी के अन्दर नहीं थी।

आज मुझे विपक्ष के नेता के रूप में बोलना है और आज मेरा एक-एक शब्द पूज्य बापू को समर्पित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक ऐसी विचारधारा के लोग जिन्होंने गांधी जी को मार दिया लेकिन विचारधारा को नहीं मार सके। आज भी चौबीस घंटे उनके दिमाग में यह रहता है कि गांधी जी की विचारधारा को कैसे मारा जाये और मुझे बड़ा दुख है कि वो लोग, आज भी कुछ लोग उनको पूजते हैं जो गांधी जी के हत्यारे थे। एक तरफ हम गांधी जी की चर्चा करते हैं, गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलायी उनकी तारीफ करते हैं उनकी जयंती मनाते हैं यह मैं कहना चाहता हूँ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आजकल साहब को विदेश जाने का बड़ा शौक है। विदेश जब जाते हैं तो दस लाख का सूट काम नहीं आता वो एक लँगोटी वाला गांधी काम आता है गांधी के नाम से उसकी पहचान है विदेश के अन्दर। सतर के दशक में अजहर हाशमी ने एक गीत लिखा था कि मुझको राम वाला हिन्दुस्तान चाहिये, मुझको गांधी वाला हिन्दुस्तान चाहिये, परन्तु आज छल-कपट आ गया है जबकि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम को निष्कपट लोग ही पसन्द हैं लेकिन आज रामचरित मानस में कहा गया था कि 'निर्मल मन जो सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा' अर्थात् जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है और जो कपटी लोग हैं वो मुझे नहीं सुहाते हैं यह भगवान राम ने कहा है इस बात का भी ध्यान रखना। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कहना चाहूंगा मेरा सवाल और चिन्ता है कि आज जो लोग सत्ता के अन्दर बैठे हैं वो लोग जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं उनको गिराने का काम कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं उनके खिलाफ। येन केन प्रकारेण ईवीएम के कारण सत्ता तो प्राप्त कर लेंगे लेकिन भगवान श्री राम को वो कभी नहीं पा सकते यह मैं कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अभिभाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे यहां चुन कर भेजा। मैं धन्यवाद देता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को कि जिनके बनाये हुए मजबूत संविधान की वजह से टीकाराम जूली आज इस सदन में नेता, प्रतिपक्ष के रूप में उपस्थित है और हमारी पार्टी ... (व्यवधान)...

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): डॉ. अम्बेडकर को पण्डित नेहरू जी ने ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ...बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी है। डॉ. साहब आप ही क्या पूरी बीजेपी को बाबा साहब के नाम चिढ़ है। जहां कहीं भी...।

श्री अध्यक्ष: दोनों की दोस्ती है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, हमारी तो है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप सदन में नहीं थी, यह तय हुआ है कि आप नहीं बोलेंगे न इधर के लोग बोलेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी तो दोस्ती है क्योंकि दलित आदिवासी हम तो भाई-भाई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी का...

Kas/rtm/30.01.2024/16.10/2q

हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने इस सदन में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बैठाया। मुझे बड़ा दुःख हुआ, जब महामहिम से यहां असत्य वाचन करवाया गया। महाभारत में दुर्योधन कहते हैं कि जानामि धर्म न च में प्रवृत्ति, जानाम्यधर्म न च में निवृत्ति:, यानी मुझे पता है धर्म क्या है और मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति तो अधर्म के साथ है। इसलिए राज्यपाल महोदय सब जानते हैं कि उनसे असत्य पढ़वाया जा रहा है, क्योंकि 6 माह पहले राज्यपाल महोदय ने इसी सरकार की, इसी जगह पर तारीफ की थी। लेकिन जिस प्रकार से अभिभाषण तैयार हुआ, यहाँ विभागों से पहले अभिभाषण मांगा जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल उसको तैयार करके भेजता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्ची दिल्ली से आई थी, ऐसे ही दिल्ली से ही अभिभाषण आ गया और हम लोगों ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाकर पास कर दिया। अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडंबना है कि 100 दिन की कार्य योजना हम बना रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है और वह भी इस अभिभाषण के लिये। 100 दिन में आप राजस्थान की जनता को क्या देंगे, यह भी जरा आप देख लेना।

अभिभाषण के पैरा नंबर 3 में प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया गया है, भारी मतदान की बात कही गई है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जनता का जो जनादेश आया, क्या उसका हम लोगों ने पालन किया? मुझे पता चला कि विधायकों से राय शुमारी करने के लिये दिल्ली से पर्यवेक्षक यहां आये थे, पर राय शुमारी न करके एक पर्ची पकड़ा दी। हमारे बहुत सीनियर-सीनियर सदस्य यहां पर मौजूद हैं(व्यवधान).... आपको कोई एतराज है तो बता दो।(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बैठे, बैठे नहीं बोलें।(व्यवधान).... माननीय सदस्य, बैठिए, यह काम मेरा है, आपका नहीं है। अपना वादा हुआ था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे और न इधर के बोलेंगे। आप चुप रहिए, आपके नेता को डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हमारे यहां बाकायदा मीटिंग हुई है, प्रस्ताव लिया गया है, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है, चाहे आप इनसे पूछ लो, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है और आपके तो जिनको पर्ची दी गई, वह यह सोच रहे थे कि इसमें मेरा ही नाम है, लेकिन जब पर्ची खुली उसके बाद की स्थिति में बताता हूं।

सुना है, सुना है जलजला आपका खूब है,
देखा है, देखा है पर्ची से ही आपका वजूद है,
देखा है, देखा है हाकिम की मर्जी से आपका वजूद है।
सुना है, सुना है सोच-समझकर पर्ची से ही आपको चुना है।
एमपी. हरियाणा, गुजरात में भी यही खेल सुना है।

सुना है, सुना है यह किरदार उसके लिये बुना है जो 2014 के बाद में सेठ 100 गुना बना है।

....(व्यवधान).... अभिभाषण पर आऊं?....(व्यवधान).... जमेगा। पहले तो मैं हमारे पूरे सदन की तरफ से माननीय उप मुख्य मंत्री जी को जन्म दिन की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

दो लाइनों के साथ कहना चाहूंगा-

अगर हम भी खामोश रहे तो लब खोलेगा कौन,
इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलेगा कौन

यहां मजलूमों को सताया जाता है, सत्ता के लालच में बेकसुरों के घरों को जलाया जाता है।

यह तो आपको जमा होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद जीत की खुशी भी होती है और लोग खुशी मनाते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को जीत की खुमारी हो जाती है। यहां हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य जैसे ही चुनाव जीते, बाजारों में गदा लेकर चल पड़े। ऐसे चल दिये जैसे राम लीला में कोई रोल करना हो। फिर अगले दिन आपके यहां से कोई घुड़की लगी, माफी मांग लेते हैं। आपके सहाड़ा से आने वाले विधायक हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचकर डाक्टर को धमकाते हैं। कहते हैं कि भगवान से डरो, शर्म करो, तुम्हारे लूली-लंगडी औलाद पैदा होगी। भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाये, हद है। आप बाबा जी बन गये क्या जो श्राप देने लग गये। आपका चुनाव जनता ने उनकी बात को इस सदन में उठाने के लिये किया है। यही नहीं, हमारे शाहपुरा से आने वाले बीजेपी के विधायक ने तो हद ही कर दी। वहां आम जनता के सामने एक नई महिला अधिकारी को किस प्रकार से धमकाते हैं, उसकी नौकरी खा जाने की बात करते हैं, यह आपका चरित्र है? एक नई महिला अफसर को आप जनता के बीच जलील करना चाहते हैं, यह आपकी मानसिकता दर्शाती है। यही नहीं, आपके शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो भरे-पूरे समारोह में अधिकारियों को धमकाते हैं। क्यों, ऐसा कौनसा परमिट आपने ले लिया? आपके मांडल से आने वाले माननीय सदस्य तो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का सीधा

एनकाउंटर करो, यह आपकी कानून व्यवस्था है। आपके मंत्री, यहां तो गांधी जी को नमन कर रहे हैं और यहां अपने चेम्बर में गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को हटा रहे हैं। शर्म आती है ऐसी सोच पर।(व्यवधान).... प्रतिमा जो दफ्तर में लगी हुई है, वह। यही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि यह तो जो आपके सदस्य जीत कर आये हैं, उनकी बता रहा हूं और जिनको जनता ने दुत्कार दिया, जो यहां जितने लोग बैठे हैं, यह जिनको निपटा कर आये हैं, उन्होंने भी खेल शुरू कर दिया है, वह भी अपने आपको विधायक ही मान रहे हैं। उन पर भी आप ध्यान रखना, क्योंकि वह सारा आपका नुकसान करेंगे, हमारा कुछ नहीं है।

यही नहीं, आपकी कानून व्यवस्था में आपका लगातार एक्शन मोड चल रहा है। सरकार एक्शन मोड में, 10 हजार गिरफ्तारियां। माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बताया होगा कि 10 हजार गिरफ्तारियां हमने कर लीं। आपको यह नहीं बताया होगा कि 10 हजार में से 7718 लोगों को शांति भंग की धारा 151 में पकड़ कर उसी दिन छोड़ दिये थे। यह वह लोग हैं जो कहीं चौराहे पर बैठे थे, कहीं गांव में ताश खेल लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं, उन लोगों को लाकर आपने ठोक दिया और बता दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। हो गई ना कानून व्यवस्था दुरुस्त? यही नहीं, तीन दिन में सिर्फ 116 नये मुकदमें दर्ज हुए हैं। जो भू-माफिया, शराब माफिया, अपराध, पता नहीं कितने-कितने केस आप बता रहे थे, उनमें मात्र 259 लोग आपने गिरफ्तार किये हैं, यह आपकी कानून व्यवस्था है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा।

Msk/rtm/30.01.2024/1620/3a

यही नहीं, आपने तो राजस्थान को रेपिस्तान बता दिया था। बताया था ना, सही बताया था ना। अब आप सुनिये, चलती बस में युवती से गैंगरेप, जयपुर। आठवीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, दौसा। जोधपुर में गहनों के लिए मां-बेटी और भतीजी की गला रेत कर हत्या। सिकन्दरा में दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, दौसा। राजस्थान रोडवेज की अनुबंधित बस के महिला यात्री से दरिन्दगी, यह कहां की खबर है, भरतपुर। माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश की तो कानून व्यवस्था जब ठीक करेंगे, पहले भरतपुर की तो हो जाये। 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने जहर खाकर आत्महत्या की, चित्तौड़। पाली, बाड़मेर और यही नहीं महिला अपराध में आप जो बार-बार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर आपकी सरकार है। उत्तर प्रदेश नम्बर वन पर है, जहां आपकी सरकार है। महाराष्ट्र नम्बर 2 पर है, वहां पर भी आपकी सरकार है। यह मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। बीच में न बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग उतना ही बोलेंगे, जितनी इनके अन्दर इस सदन की गरिमा रखने की शिद्दत है।

श्री अध्यक्ष: मैं दोनों पक्षों को कह रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दोनों सही हैं। हमारे वाले कोई नहीं बोल रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का रवैया इन माननीयों का है, इनको पहले ट्रेनिंग दे दें, यह राजस्थान की विधान सभा कोई चौपड़ नहीं है, जिस प्रकार से जो मर्जी हो वह बोलता है। आप बैठ जाओ, अब आपके बोलने का काम नहीं। आप बैठिये। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठें ... (व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सुनने का माद्दा रखिए। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आपके खुद के सदस्य खड़े हो रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई सदस्य खड़े नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके लिए आप नहीं हैं। इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आप बैठिये। मेरा का आप मुझे करने दीजिये। आप बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इन सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इनको यह बात भी बतानी पड़ेगी कि कोई माननीय मंत्री ऐसा करे तो यह और भी गलत बात है। यह तो और भी गलत बात है। आप ज्यादा मत बोलिये, सात दिन पहले अलवर में भी 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया है। यह भी मैं आपको कहना चाहूँगा। आप सुन लीजिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): ... (व्यवधान) ... आपने मूक बधिर बच्ची के रेप के मामले में एफआर लगाने का काम किया ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बैठिये। ... (व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत बात है। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप खड़े मत हो। यहां एक खड़ा हो रहा है, आप पांच खड़े हो रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। बैठिये, आपके नेता बोल रहे हैं। ... (व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष: उसके लिए मैं हूँ। आप नहीं है। उनको बैठाने की मेरी ड्यूटी है, आपकी नहीं है। आप शान्त रहिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूरे प्रदेश और देश की जनता यू-ट्यूब के माध्यम से आप लोगों का आचरण देख रही है। आप सब का आचरण देख रही है कि किस प्रकार का आपका बर्ताव सदन के अन्दर है। यह आप मेरे साथ ही नहीं कर रहे हैं। आप पिछले तीन दिनों से, क्योंकि आपकी परिपाटी पुरानी रही है। पहले जब आप कहीं पर फंस जाते थे तो भारत माता की जय लगाते थे। अब विधान सभा में जब जवाब देने में फंसते हो तो जय श्रीराम का नारा लगाते हो, इससे काम नहीं चलेगा। भाई, जय श्रीराम तो हम भी मानने वाले हैं। मेरे तो नाम में ही राम है। बीजेपी पैदा कब हुई है, बीजेपी से पहले श्रीराम हैं। आप तो ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि आप लेकर आये हैं। अलवर शहर से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने मूक बधिर बच्ची की बात की। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में ताकत है

और सही मायने में अगर इस देश के संविधान को मानते हो और सही मायने में आपने जो जनता से वादे किये हैं तो उस मामले की आप जांच कराकर दिखा देना। उस मामले की आप जांच करा देना।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे, सक्षम हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां नम्बर बनाने का चक्कर है। मुख्य मंत्री जी सब जानते हैं। मुख्य मंत्री जी, आप तो ओटीएस में रहते हैं, मैं सिविल लाईस में रहता हूं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन-कौन आदमी रात को सिविल लाईस में जा रहा है। ये आपको भी निपटाने के चक्कर में हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेरे को इनका एक-एक का सब पता है कि कौन रात को कहां जा रहा है? ये यहां आपके सामने कुछ कहते हैं और पीछे से कुछ कहते हैं, मेरे को सब पता है, क्योंकि मैं रात को टहलता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप जिस थाने का निरीक्षण करने गये तो आपके प्रोटोकॉल में कोई अधिकारी नहीं पहुंचे और थाने के निरीक्षण में आप हाजिरी भर रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। राजस्थान की जनता ने आपको ताकत दी है कि आप इन लोगों से हाजिरी भरवाओ, ये बैठे हैं, ये हाजिरी भरेंगे। आपको भरने की कहां जरूरत है? हम और आप ही हाजिरी भरने लग गये और थानेदार की कुर्सी बैठ गये। लोग कह रहे थे कि साहब हमने मुख्य मंत्री बनाया कि थानेदार, पता ही नहीं चल रहा। आपके ही पक्ष के लोग नहीं चाहते कि आप जैसा सज्जन व्यक्ति, सरल, सौम्य, हमेशा हंसते रहने वाला मुख्य मंत्री ज्यादा समय चले। ये ज्यादातर नहीं चाहते। आपकी जो फ्रंट-रॉ, दो रॉ छोड़ दो, बाकी पीछे यही मामला है।

श्री अध्यक्ष: यही सभी ओर है, आपकी और भी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यही लोग लगातार इस सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इस सरकार की गरिमा को गिराने में लगे हुए हैं, यह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरी सरकार के अन्दर एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। पहले तो बहुत दिन तक सीएम का कन्फ्यूजन रहा, फिर मंत्रियों का रहा, फिर मंत्रियों के डिपार्टमेंट का रहा और इसी में लगभग एक-डेढ़ महीना निकल गया। उसके बाद किराये पर तो सीएस है, किराये पर डीजी है, डबल एजी के लिए इनके रोज हाई कोर्ट डांट लगा रहा है। आई.ए.एस. की सूची सुबह आती है, शाम को उसमें संशोधन आ जाता है। 22 तारीख को ओपीएस के ऑर्डर जारी होते हैं, 24 तारीख को फिर एनपीएस के ऑर्डर आ जाते हैं। यहां पर जो हमारे मंत्री हैं, वे एसए का इन्तजार कर रहे हैं। इनके पीएस लगे, इनका स्टॉफ लगे, इसका इन्तजार कर रहे हैं। ज्यादातर अधिकारियों को एपीओ कर रखा है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था, एक अखबार ने छापा, 50 से अधिक आई.ए.एस. आफिसर हैं, उनके पास एडिशनल चार्ज है। यह असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है? जो 100 दिन की कार्य योजना बनी है, उसको आप कब पूरा करेंगे? यह मेरा आप लोगों से आग्रह है।

आपने कांग्रेस की जमकर आलोचना की। हमने सुनी, अब मैं जो कह रहा हूँ, वह आप सुने। राजस्थान ने पूरे देश के अन्दर जो रैंकिंग हासिल की है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में पूरे देश के अन्दर राजस्थान नम्बर वन, 25 लाख इंश्योरेंस देने में पूरे देश में नम्बर वन, सबसे ज्यादा सब-सेक्टर खोलने में राजस्थान नम्बर वन, सबसे अधिक पीएचसी खोलने में राजस्थान नम्बर वन, सबसे अधिक सीएचसी खोलने में राजस्थान नम्बर वन, सबसे ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने में राजस्थान नम्बर वन। आप जो इसमें कह रहे हैं कि हम सब जगह मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो अब आप 50 की बात करना है। 33 में तो पहले ही खुल चुके हैं। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टॉवर राजस्थान में। सबसे अधिक यूनिवर्सिटी राजस्थान में। सबसे अधिक नये कॉलेज खोलने में राजस्थान नम्बर वन। नये सिविल सर्विसेज अधिकारी देने में, राजस्थान नम्बर वन। सरकारी नौकरी देने में, राजस्थान नम्बर वन। ओपीएस स्कीम देने में, राजस्थान नम्बर वन।

MDP/Rtm/30.01.24/1630/3b

शांति एवं अहिंसा विभाग शुरू करने में राजस्थान नंबर वन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में राजस्थान नंबर वन, देश में सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के अन्दर, दूध उत्पादन में नंबर वन, फोन उत्पादन में नंबर वन, रिन्यूबल एनर्जी में नंबर वन, अनाज, तिलहन, दलहन और चना उत्पादन में नंबर वन, बाजरा और सरसों उत्पादन में नंबर वन, मनरेगा के अन्दर काम देने में नंबर वन, 125 दिन की मनरेगा देने में नंबर वन, शहरों के अन्दर मनरेगा शुरू करने में नंबर वन, स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर वन, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग में नंबर वन, इंसपायर अवार्ड योजना में नंबर वन, जनन समस्या निराकरण में नंबर वन और आर्थिक विकास दर में पूरे देश में सेकेण्ड नंबर पर राजस्थान रहा है, यह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... सुन लीजिए, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। आप बैठिए पहले। मिस्टर बौहरा, मैं तीन-चार दिन से देख रहा हूँ। ...(व्यवधान)... शांति से सुनिए। मंत्री जी, बैठिए। माननीय कटूमर के विधायक जी बैठिए आप। आप कंटीन्यू रखिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): किसी और को नंबर बनाने हैं तो खड़े हो जाइए भाई। मैं देख रहा हूँ अलवर वालों के ही ज्यादा स्पिंग लग रही है।

श्री अध्यक्ष: सक्षम है, वे ही उत्तर दे देंगे। माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे यह बता रहे हैं कि खींची जी डेपुटेशन पर गये हैं। खींची जी यहां से ही गये हैं कुछ समय के लिए, वापस आ जायेगे, कई लोग ऐसे हैं, इधर नहीं है। इधर वालों ने उधर जाकर बनायी है। ज्यादातर इधर के ही हैं।

आपने कल ई.आर.सी.पी. पर बड़ी बधाइयां ले ली। बड़ा स्वागत हुआ है, सुना है एयरपोर्ट के ऊपर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, माननीय नेता सदन, जब आप जवाब दें तब आप एक

चीज का जवाब दे देना कि जो पुराना एम.ओ.यू. है, पुराना जो समझौता है, उसके अन्दर जो राजस्थान को पानी मिल रहा था, उतना पानी अब राजस्थान को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह आप मेरा जवाब दे देना। आप यह भी बता देना जो नये बांध जुड़ने हैं, वे जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। ऐसी क्या जल्दी आ गयी, क्या नौबत आ गयी कि आपने एम.ओ.यू. को बिना पढ़े ही साइन कर दिया। हमारे मंत्री जी तक को भी नहीं पता और एम.ओ.यू. साइन हो गया।

मैं एक बात प्रदेश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूँ। ई.आर.सी.पी. जो प्रोजेक्ट है, 13 जिलों की लाइफ लाइन है। हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। आपने भी लड़ाई लड़ी, हम तो कहते हैं कि पूर्ववर्ती वसुन्धरा राजे सरकार ने एक शुरुआत की थी। लेकिन आपके 25 सांसद यहां से दो बार जीतकर गये और पिछली बार तो हमारे यहां के जल शक्ति मंत्री थे ... (व्यवधान)... है, और उसके बावजूद आप भी अपने गिरेबां में झांकना कि 15-20 दिन बचे हैं, भारत सरकार को नोटिफिकेशन, आचार संहिता लगने वाली है और उससे पहले आप कह रहे हैं कि ई.आर.सी.पी. कर दी। प्रदेश की जनता के साथ छलावा करना चाहते हैं। दस साल से कहां थे आप लोग? दस साल से जो किसान मरा है, उसका जवाब कौन देगा? हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कितना संघर्ष इसके लिए किया है, उसका जवाब कौन देगा? आज आप जवाब दे रहे थे, इनका लहजा, इनकी टोन वह नहीं थी जो पहले बोलते थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बोझ इनके ऊपर है, कोई मजबूरी है जो पढ़कर इनसे बुलवाया जा रहा है, वह इनकी मजबूरी थी। ई.आर.सी.पी. को आप क्लियर करें कि दस साल क्यों रोकी? राजस्थान का पानी कम हुआ या नहीं हुआ और इसका एम.ओ.यू. पढ़ा या नहीं पढ़ा, सदन में तो रखा नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी जैसे तो यह आपकी व्यवस्था है, लेकिन किसी विषय पर सदन के अन्दर चर्चा हो और वह डाक्यूमेंट सदन में उपलब्ध नहीं हो। यह तो हमारे बेचारे सीधे सदस्य हैं, बिना डाक्यूमेंट के बोल लिए क्योंकि ई.आर.सी.पी. महत्वपूर्ण है। नहीं तो पहले वह डाक्यूमेंट सदन की मेज पर रखा जाता, फिर उसको हम देखते तब हम बोलते, तब उसका कोई जवाब आता। माननीय मुख्य मंत्री जी, एक उस एम.ओ.यू. की कॉपी माननीय सभी सदस्यों को, हमारे भी और आपके भी, 83 सदस्य तो ई.आर.सी.पी. के अन्दर आते हैं, उनको भी उपलब्ध करा देना। मुख्य मंत्री जी के पास भी है या नहीं है, यह तो ये ही बता पाएंगे। बोलेंगे तब बता देंगे।

आपने अभिभाषण के पैरा 13 व 14 में राजस्थान को बीमारु राज्य कहा। अपने स्टेट का इस प्रकार से आपके द्वारा ही यह कथन, जैसे तो हमने गांवों में सुना है कि अपनी मां को डाकन कोई ना बतावे। हम अपने स्टेट को किन शब्दों के अन्दर यहां सदन में रख रहे हैं। ऐसे शब्द का मैं घोर प्रतिवाद करता हूँ। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस राजस्थान को आप बीमारु राज्य बता रहे हैं, उसमें 2008 से 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने 1.29 लाख करोड़ का कर्जा प्रदेश पर छोड़ा था। जिसे 2013 से 2018 के बीच में जब आपकी

सरकार आयी तो ये जो आंकड़ा है बढ़कर 3.11 लाख करोड़ हो गया। यानी की लगभग ढाई गुना कर्जा आपने राजस्थान पर छोड़ा। पुनः जब हमारी सरकार आयी तब हमने जो कर्जा छोड़ा है, वह 5.80 लाख करोड़ हमने छोड़ा है। यानी की आपका ढाई गुना, हमारा डेढ़ गुना। आप मैथ में कमजोर है। हमारा डेढ़ गुना है, आपका ढाई गुना है। ये आप थोड़ा-सा, माननीय संसदीय मंत्री महोदय, आप इसको देखना, जबकि हालत ये थी कि दो साल इस प्रदेश के अन्दर, प्रदेश तो क्या, देश और दुनिया के अन्दर कोरोना रहा। कारोना की महामारी के दौरान भी हमने कोई कमी इस प्रदेश के अन्दर नहीं छोड़ी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तब राज्य में कुल जो निर्यात 46 लाख 47 हजार 692 करोड़ का हुआ था। जब 2022-23 में हमारी कांग्रेस सरकार आयी तब वह बढ़कर 77 करोड़ 77 हजार 137 करोड़ रुपये पहुंच गया। आपसे ज्यादा निर्यात हमने राजस्थान से किया है। यह बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी की 31 हजार करोड़ रुपये हमारे समय में बढ़े है। आपने देखा होगा कि हमने कितने औद्योगिक क्षेत्र नये खोले। आपके इधर से आने वाले सदस्यों की भी खूब डिमांड थी, उनके आधार पर भी हमने खाले। मैं ये और कहना चाहूंगा कि 31 मार्च, 2014 को जब दिल्ली के अन्दर हमारी सरकार थी तो भारत सरकार ने जो कर्जा छोड़ा था, वह 55 लाख 87 हजार करोड़ रुपये का था। आजादी से लेकर 2014 तक का कर्जा था 55 लाख 87 हजार करोड़ रुपये। अभी आपकी वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत सरकार का कर्ज 31 मार्च को बढ़कर 152 लाख 61 हजार करोड़, यानी की तीन गुना कर्ज बढ़ गया, तीन गुना। 65 साल का जो कर्जा था, उससे तिगुना कर्जा आपने दस साल के अन्दर भारत सरकार पर चढा दिया। यही नहीं, आपने तो जो युद्ध या ऐसी कोई विपदा के समय रिजर्व बैंक का पैसा रखा था, वह भी आप लोगों ने निकाल लिया। यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा।

Ans/rtm 16.40 3c 30.01.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल महोदय ने पिछली सरकार पर आरोप लगाए। आप तो बहुत मोदी-मोदी कर रहे थे, मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्हीं मोदी जी ने, कोरोना के अन्दर जो काम हुआ, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री की कोरोना प्रबंधन के लिए तारीफ की थी, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं।

जिस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, जिस पवित्र गंगा माता की आप बात कर रहे थे, उसी पवित्र गंगा के अन्दर कोरोना में जो लोग मरे उनकी लाशों को बहा दिया गया, आपकी बीजेपी की यूपी में सरकार है, यह उसका प्रबंधन था। कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा दिया और प्रदेश के अन्दर सभी लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनके राजस्थान रोडवेज ने स्पेशल बसें लगाकर उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। आपने क्या किया पता है, मोदी सरकार ने रोक लगा दी कि हमारे यहां से कोई भी बसें मजदूरों को वहां नहीं ले जाएगी। आपने उन बसों का किराया देने

के लिए मना कर दिया। राजस्थान रोडवेज की बसों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूरे देश में कहीं का भी मजदूर यहां फंसा हुआ था, उसको यहां छोड़ने का काम किया। हर व्यक्ति को, 33 लाख परिवारों को 5500-5500 रुपये हमारी सरकार ने उस समय उनके खाते में डाले। भारत सरकार के लॉकडाउन लगाने से पहले, देश में सबसे पहले राजस्थान ने लॉकडाउन लगाया था। आप हमारी सोच को पा भी नहीं सकते, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए अग्निवीर एक योजना चलाई है, 17 में भर्ती और 21 में रिटायर, यानी चार साल में ही। आप मैं से कह दो ना चार साल में रिटायर हो जाएंगे, यहां मैं देख रहा हूं 80-90 साल के भी इस सदन के अन्दर दुबारा जीतकर आना चाहते हैं। उन युवाओं ने क्या बिगाड़ दिया कि आप उनको चार साल में ही रिटायर करना चाहते हैं? खुद की नहीं देखते हैं। उन युवाओं के बारे में देखते हैं। किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, जो सेना में भर्ती होता था जज़्बे के साथ, अगर देश के लिए उसको जान भी देनी पड़ती थी तो जान दे देता था। अभी पिछलों दिनों एक अग्नि वीर सैनिक की पंजाब में मृत्यु हो गई, घर वाले देख रहे थे कि उसको सलामी दी जाएगी, उसको तिरंगा नसीब होगा, उसके बच्चों को, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो यह बात चली कि क्या हुआ, तो पता चला कि यह तो अग्निवीर था, मुझे बड़ा दुख हुआ। आप उसकी तालियां बजाते हैं। राजस्थान सरकार वह पैटर्न राजस्थान में लागू कर रही है। कर रही है ना? आपने अग्निवीर की जगह राजस्थान में मंत्री वीर योजना शुरू कर दी। मंत्री वीर ही शुरू कर दी। आचार संहिता में ऐसा मंत्री बनाया जिसने ना तो चार्ज लिया, ना कमरा देखा, ना तनख्वाह मिली, ना पेंशन मिली और अग्निवीर बनाकर आपने भेज दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वास्तव में यह तो बहुत ही बुरा हुआ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लोग कहते हैं सीटी बज गई, मोरियो बोलग्यो, पता नहीं क्या-क्या। इस प्रकार के निर्णय आप लोग भी लेना माननीय मुख्य मंत्री जी, तो कम से लोगों से सलाह करके। मैं फिर कह रहा हूं, यह लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, इनको ऐसा भला आदमी पसंद नहीं है जो इस सीट पर बैठे। यह लोग आपको निपटाने में लगे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सदस्य, सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य बैठे हैं। जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो बच्चियां तिलक निकालती हैं, ढोल वाले आते हैं, उनको हम 50-100 रुपये देते हुए भी डरते हैं कि कहीं आचार संहिता में नहीं फंस जाए कि यहां 100 रुपये दे दिए। आपने तो मंत्री ही बना दिया, आचार संहिता का पूरा उल्लंघन। ना खाता ना बही, जो वह कह दे वही सही। ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्यादाओं का ध्यान रखो, संविधान का ध्यान रखो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस पवित्र सदन में पहुँचे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश के अन्दर हम ऐसा मैसेज दे कि सरकार सही काम कर रही है, सही निर्णय ले रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा, सदन की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, माननीय अध्यक्ष जी के सामने पहले ही दिन यह कहा था कि हमारा पूरा सहयोग सरकार के

साथ रहेगा। आप अच्छे निर्णय लेंगे तो हम मेज़ थप थपाएंगे लेकिन गलत निर्णय लेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे जो प्रदेश की जनता के खिलाफ है तो फिर हम सड़कों पर भी आएंगे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन राजीव गांधी युवा मित्रों का क्या दोष है। पांच हजार युवा मित्र, उनके परिवार पांच हजार परिवार, पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी भयंकर ठण्ड में अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, बड़ा दिल रखिए। आपको राजीव गांधी नाम पसंद नहीं है, मैं प्रस्ताव करता हूँ, हमारे साथी प्रस्ताव करेंगे, आप तो उनको अटल युवा मित्र बना दो, हम तैयार हैं, पर आप उनका रोजगार मत छीनो। उन गरीबों के पेट पर लात मत मारो। भगवान राम भी यही कहते थे कि मैं उसको चाहता हूँ जो गरीब को चाहता है। आप उनका ध्यान रखिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नर्सिंग के बच्चे लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। बच्चियों की हालत खराब हो रही है। भर्ती पूरी हो चुकी है, सिर्फ उनको नियुक्ति देनी है, लेकिन हम उनको नियुक्ति नहीं दे रहे। आगे आचार संहिता फिर लग जाएगी, वह 6-8 महीने फिर लेट हो जाएंगे। आप उनको नियुक्ति दीजिए, आप बड़े बनेंगे। सरकारें बदलती रहती है। वह व्यक्ति जिसने सारे पेपर पास कर लिए, आज यहां तक पहुंच गए, वह बेचारे परेशान हैं, वह बच्चे परेशान हैं, उनका परिवार परेशान है। हम खुद पर यह बात सोचकर देखे। मैं फिर बार-बार इनका नाम ले रहा हूँ, माननीय सवाईमाधोपुर से आने वाले सदस्य ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कालीचरण जी तो शहीद वाली में आ गए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह वह मंत्री वीर बन गए जो मंत्री बिना बनाए हो गए। यह तीसरी कैटेगिरी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने ऐसे लोगों के लिए खूब संघर्ष किया है और अब आरएएस की भर्ती तारीख भी आपने आगे सरकवाई है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप इन बच्चों पर अपना हाथ रखे, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, इनको नौकरी दीजिए। वह ठण्ड में मर रहे हैं, लाइट काट दी जाती है, पानी के टैंकर रोक लिए जाते हैं, टॉयलेट्स हटा दिए जाते हैं, किन परिस्थितियों के अन्दर वह लोग रह रहे हैं। ठेकाकर्मी, संविदाकर्मी, पशुमित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, यह सारे लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, संविधान ने हमें वह ताकत दी है और संविधान ने उन्हें प्रदर्शन करने की ताकत दी है। आज उनकी बात पर हमें गहराई से विचार करते हुए, उनके जीवन में जो बदलाव आ सकता है, वह लाने का हमें काम करना चाहिए, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा। ...(व्यवधान).... चिंता मत करो मैं 5 बजकर, 4 मिनट पर छोड़ दूंगा, 4 बजकर, 4 मिनट पर बुलवाया था।

श्री अध्यक्ष: बोलिए, बोलिए।

(सदन की कार्यवाही)

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाता है।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चल रही है। सबसे पहले इसका इंदिरा गांधी पेंशन योजना था। हमारी सरकार आई, गहलोत साहब आए तो उन्होंने इसको पिछली बार 500 रुपये किया और इसका क्राइट एरिया था वह बढ़ाया, ताकि इसके अन्दर ज्यादा लोगों को पेंशन मिल सके। हमने उसके बाद इसको 750 किया, उसके बाद 1000 किया। अब की बार हमने यह कानून बनाया कि हर साल यह पेंशन 15 परसेंट बढ़ेगी।

VPS-RTM-30.01.2024-16.50-3d

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं पिछली बार 50 लाख पेंशनधारी थे, इन पांच सालों के अन्दर 50 लाख से 94 लाख लोगों को पेंशन देने का हमने काम किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं यह बताना चाहता हूँ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिलिकोसिस के लिए 1500 रुपये की पेंशन राजस्थान में हमने दी। सिलिकोसिस नीति, आज सुबह क्वेश्चन लगा था, माननीय मंत्रीजी उसका जवाब दे रहे थे। सिलिकोसिस की नीति हमने बनाई पहली बार आजादी के बाद मैं और मैं आपसे भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस नीति के अन्दर हमें यह प्रयास करने चाहिए कि यह जो बीमारी है यह आगे नहीं फैले। यह एक ऐसी बीमारी है, कैंसर में भी आदमी बच सकता है लेकिन सिलिकोसिस से व्यक्ति बच नहीं सकता, उसको सामने रहता है कि मेरी मौत आयेगी। इसमें हमने पहली बार इसके लिए नीति बनाई।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, पालनहार योजना में हमने लगभग 7 लाख बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया। हमने 56 हजार लाभार्थियों को मुख्य मंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिया और पहली बार पूरे देश के अन्दर राजस्थान एक ऐसा राज्य बना जिसने कोविड के अन्दर जिनके माता-पिता चले गये, जो अनाथ हो गये उनको नौकरी देने का काम किया, वह भी हमारी सरकार ने ही किया था, यह एक बहुत बड़ा निर्णय पूरे देश के अन्दर था।

यहां एस.सी., एस.टी. के लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए एस.सी., एस.टी. उद्यमी प्रोत्साहन योजना हम लेकर आये ताकि दलितों का उद्धार हो सके, वे लोग इस योजना के

अन्दर भाग ले क्योंकि आज भी चाहे कोई कितना ही कह ले लेकिन आज भी आप इंडस्ट्री के अन्दर अगर नजर उठाकर देखेंगे तो आपको एस.सी., एस.टी. के लोग इंडस्ट्री के अन्दर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। उनकी संख्या मात्र पाइंट जीरो-जीरो में होगी तो इसको बढ़ाने का काम हमने किया था, यह आप बढ़ाएंगे।

हमने 12 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी दी थी। मैं यह चाहूंगा कि आप इस योजना को और आगे जारी रखें। हमने पहली बार दिव्यांगजनों के लिए दो यूनिवर्सिटी जयपुर के अन्दर और जोधपुर के अन्दर खोली जो कि 75 वर्ष के इतिहास में राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है।

मैं यही कहना चाहूंगा कि आज केन्द्र की जो सरकार है, वह कई बार यह चर्चा करती है कि हम एस.सी., एस.टी. के लोगों को आगे लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी यू.जी.सी. के अन्दर जो आपके केन्द्रीय विद्यालयों की भर्ती होनी है 7 हजार पदों पर, आरक्षित पदों में से 3 हजार पद जो रिक्त हैं, उनमें से सिर्फ 7.1 परसेंट दलित, 1.6 परसेंट आदिवासी और 4.5 परसेंट पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं और अब भारत सरकार यह चाहती है कि यह जो वेकेंसी है, यह जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की है, इनको जनरल से भर दिया जाये, यह मैं कहना चाहूंगा, यह आपका चेहरा है जो आपकी केन्द्र सरकार है, जो देश के अन्दर नया ड्राफ्ट लेकर आना चाह रही है।

आपने महिलाओं की बड़ी-बड़ी बात की है तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि उड़ान योजना हमने शुरू की। पहली बार हमारी महिलाओं को, बच्चियों को सेनेटरी पैड इस सरकार ने दिये। हमने पी.जी. तक की जो शिक्षा है, वह हमने फ्री की सभी सरकारी संस्थानों में। काली बाई भील योजना के तहत 30 हजार बच्चियों को हमने स्कूटी दी। महिलाओं को रोडवेज में 50 परसेंट छूट और पास बनवाने पर 90 परसेंट की छूट दी। हमने एकल नारी पेंशन में 40 लाख महिलाओं को एक हजार रुपये दिये। आपने यह कहा है कि राजस्थान में क्या हुआ पांच साल में? तो मैं यह बता रहा हूँ कि एक गरीब का काम किस प्रकार से चले, यह व्यवस्था हमने दी। हमने एक हजार करोड़ रुपये का महिलाओं के लिए महिला इंदिरा शक्ति फंड बनाया और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनमें भी कम्प्लेसरी एफ.आई.आर. दर्ज हो, यह नियम भी राजस्थान के अन्दर हमने बनाया।

मैं किसान की बात करना चाहूंगा क्योंकि किसान की बात आपने भी की थी, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात आप लोगों ने की थी लेकिन दुगनी की तो बात छोड़िये आधी भी आप लोगों ने उसकी आमदनी नहीं छोड़ी है। हमने बजट दुगना करके किसान का अलग से कृषि बजट पेश किया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अन्दर दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी हम लोगों ने दी। 51 एग्रीकल्चर कॉलेज पिछले पांच साल के अन्दर हमने किसानों को दिये। किसान को हर महीने दो हजार यूनिट बिजली हमने फ्री दी, 21 लाख किसानों का 15 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हमने माफ किया। हमने कर्ज राहत आयोग बनाया जिससे कि किसान की जमीन नीलाम नहीं हो।

सरस डेयरी के अन्दर 5 रुपये की किसान को सब्सिडी हमने दी। बुजुर्ग किसानों को हजार रुपये पेंशन दी और 18 जिलों के जो किसान हैं, उनको दिन के अन्दर बिजली देने की व्यवस्था कर दी और बाकी 32 जिलों के अन्दर भी दिन के अन्दर बिजली दी जाये, इसका कार्य जारी था, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा और पांच वर्षों में साढ़े चार लाख कृषि कनेक्शन हमने किसानों के लिए जारी किये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि युवाओं के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना, विदेश में पढ़ने के लिए 500 बच्चों को विदेश में पढ़ाने की व्यवस्था इस हमारी कांग्रेस सरकार ने की थी कि गरीब का बच्चा भी विदेश जाकर पढ़े, यह व्यवस्था सिर्फ राजस्थान सरकार ने की थी। तीन लाख नौकरी हमने युवाओं को दी। एम.बी.सी. का आरक्षण एक परसेंट से बढ़ाकर पांच परसेंट हमने किया। ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण में अचल सम्पत्ति की शर्त को हटाया। राजस्थान पहला प्रदेश बना जो ई.डब्ल्यू.एस. के अन्दर सवर्ण वर्ग को भी बहुत बड़ी राहत हम लोगों ने दी। प्रत्येक जिले के अन्दर 75 करोड़ रुपये की लागत से 100 आवासीय क्षमता वाले विवेकानंद हॉस्टल हम लोगों ने बनाये और सरकारी भर्तियों के अन्दर सामान्य वर्ग से 600 और आरक्षित वर्ग से 400, एक बार रजिस्ट्रेशन, बार बार कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो, यह बात सही है कि युवा परेशान होते थे, बारबार रसीदें कटती थीं तो एक बार रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही हमने शुरू की।

हमने 3715 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। एक से आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस और बाल गोपाल योजना के अन्दर बच्चों को दूध, राजीव गांधी शहरी ओलम्पिक, ग्रामीण ओलम्पिक हम लोगों ने शुरू किया और खिलाड़ियों को पहली बार दो परसेंट आरक्षण दिया और डीवाई.एस.पी. स्तर तक की भर्ती हमने की। 400 से अधिक खिलाड़ी आउट ऑफ टर्न इसके अन्दर शामिल हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मैं कुछ बात करना चाहूंगा मोदीजी की गारंटी की जो आजकल आप बड़ी बात कर रहे हैं, मोदीजी की गारंटी, मैं उस पर बात करना चाहूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पक्की गारंटी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, पक्की गारंटी है, मैं कह रहा हूं। आपने सबको खाने की बात कही है न, कही है न? आप देखिये कि मोदी सरकार जब से आयी है, एक भी नया नाम फूड सिक्योरिटी एक्ट के अन्दर नहीं जुड़ा है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली गारंटी। बात सुनिये, आपको कड़वी लगेगी यह बात कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अन्दर, जी.एच.आई. में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है 2023 के अन्दर जो कि पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 और श्रीलंका 60 नम्बर है पर है, यह तो आपकी गारंटी है।

यही नहीं यह जो मीडिया के साथी और बैठे हैं पीछे, मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जो है, उसमें इंडिया का स्थान 79वें नम्बर पर पहुंच गया है, 79वें नम्बर पर और आज तक मोदीजी ने कोई प्रेस कांफ्रेंस नहीं की है, यह भी मैं और बता देना चाहूंगा

आप लोगों को। मोदीजी की गारंटी ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अगली बार 400 पार।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप सुनो। मैं जो कहूँ ना, ईमानदारी से हाँ या ना मैं जवाब देना। 100 दिन में काला धन लेकर आऊंगा, नहीं लेकर आऊँ तो किसी भी चौराहे पर टांग देना, यह किसके वाक्य थे? अब काला धन बढ़ चुका है। 15 लाख रुपये सबके खाते में आएंगे, दो करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दूंगा, महंगाई को कम करूंगा, भ्रष्टाचार को कम करूंगा, आतंकवाद को खतम करूंगा, डॉलर और रुपया बराबर कर देंगे तो हो गया डॉलर रुपया बराबर? ऐसा लग रहा है कि जैसे 88 के आस-पास पहुंच गया हो, आप 90 पहुंचा कर ही मानोगे, हमने तो 60 के आस-पास ही दिया था आप लोगों को। किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे तो किसान की आमदनी तो दुगनी का तो पता नहीं पर यूरिया का रेट भी बढ़ा दिया और यह पहले कट्टा 45 किलो का आता था तो अब सुना है कि पहले 40 किलो का किया, अब 35 किलो का ही कर दिया है तो यह आप लोग कर रहे हैं। सबको पक्का मकान दूंगा। मिल गया पक्का मकान?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): काफी लोगों को मिल गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मिल गया? मैं तो इस अभिभाषण में यह देख रहा था कि नौ लाख लोग तो आज भी पक्के मकान की तलाश में खड़े हैं जो आप खुद मान रहे हैं कि उनका नाम सिर्फ भारत सरकार ने एड नहीं होने दिया, नौ लाख लोग हमारे राजस्थान के आज बिना छत के रह गये, उनका प्रधान मंत्री आवास नहीं बन पाया, यह मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

PCS-RTM-30.1.2024-17.00-3e

हर महिला को सुरक्षा। मिल गयी सुरक्षा? मैंने बता ही दिया अभी। भारत को विश्व गुरु बनायेंगे। बना दिया? डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस 55 रुपये में हमने दिया था, 100 पर पहुंचा दिया डीजल। पेट्रोल 60 रुपये में दिया था, वह भी 100 पर पहुंचा दिया। साढ़े तीन सौ का सिलेण्डर बारह सौ पर पहुंचा दिया। भला हो राजस्थान की सरकार का जिसने पांच सौ में सिलेण्डर दिया। अभी आपने कहा कि इस महीने से साढ़े चार सौ में देंगे, पचास रुपये का ही अन्तर है, सबको दे दो। सबको दे दो, पूरे राजस्थान के लोगों को साढ़े चार सौ में सिलेण्डर। जनता धन्यवाद देगी कि भजन लालजी जैसे हमें मुख्य मंत्री मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह और कहना चाहूंगा कि एलआईसी बेच दी न, बेच दी न एलआईसी? इण्डियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल बेच दी, बैंक बेच दिये, एयरपोर्ट बेच दिया। अड़ानी का बोर्ड लग रहा है। जयपुर का ही देख लो दूर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर का एयरपोर्ट देख लेना, दूर जाने की जरूरत नहीं है। इनको पता है। दिलावरजी बता रहे आपको। सही कह रहे हैं। जा आओ आप। कोई बात नहीं। भेल इण्डिया, एचएएल इण्डिया आपने बेच दिया, रेलवे आपने बेच दिया, हाई-वे आपने बेच दिया। मैं एक बात सुन रहा था,

किसी ने चर्चा की। लोग पूछ रहे थे कि शंकराचार्यजी ने उद्घाटन नहीं करने दिया राम मन्दिर का। ... (व्यवधान)... मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा। मेरी इन्होंने पांच मिनट खराब की हैं। लोग चर्चा कर रहे थे। शंकराचार्यजी ने इसलिए मना किया कि जो मन्दिर है वह भगवान का घर होता है और जो मूर्ति है वह उसकी आत्मा होती है और उसका जो शिखर है, वह उसका सिर है। शंकराचार्यजी ने यह कह कर मना किया कि अभी मन्दिर पूरा नहीं है इसलिए हम नहीं जायेंगे, इसलिए गलत हो रहा है। आपने शंकराचार्यजी की वाट लगा दी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, गौर करना, लोग यह कह रहे थे कि मोदीजी रेल मंत्री को एक रेल की झण्डी नहीं दिखाने नहीं देते। रोड मंत्री को एक सड़क का उद्घाटन नहीं करने देते। विदेश मंत्री को एक भी विदेशी दौरे में साथ लेकर नहीं जाते तो मन्दिर में शंकराचार्यों को कैसे बुला लेते? यह तो साहब की आदत है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता जब बोलें तब जबाब दे देना। गौ मांस का आप विरोध करते हैं, गौ हत्या की बात करते हैं। आप बता देना कि मोदी सरकार आने के बाद में देश के अन्दर गौ मांस का निर्यात बढ़ा है या कम हुआ है। देश के अन्दर काला धन बढ़ा है या कम हुआ है। यह जवाब मुझे दो, मैं चाहूंगा।

अन्त में, मैंने महात्मा गांधीजी से ही शुरू किया था और महात्मा गांधीजी पर ही खतम करना चाहूंगा। गांधीजी से प्रेरित होकर, उनके अहिंसक आन्दोलन से प्रेरित होकर अमेरिका के महान नेता मार्टिन लूथर का प्रसिद्ध भाषण याद आता है जो उन्होंने 28 अगस्त, 1963 में दिया था कि, 'I have a dream for America' and, we have a dream for our Rajasthan and for our India. यह बात मैं कहना चाहूंगा और गांधीजी का यह विचार था और रहेगा। नेल्सन मण्डेला ने, मार्टिन लूथर ने उसको अपनाया और इसकी वजह से मण्डेलाजी को जेल दी गयी। मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गयी और राहुल गांधीजी जो सड़कों पर चल रहे हैं, उन पर भी इसी प्रकार का काम किया जा रहा है।

मैं दो लाइनों के साथ कहना चाहूंगा 'कि दुआ करो सलामत रहे यह रोशनी हमारी, कि दुआ करो सलामत रहे यह रोशनी हमारी, राहुल गांधी जैसा चिराग सब आंधियों पर भारी, सब आंधियों पर भारी।'

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक बार और सुनाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सुनिए। 'कि दुआ करो सलामत रहे यह रोशनी हमारी, कि दुआ करो सलामत रहे यह रोशनी हमारी, राहुल गांधी जैसा चिराग सब आंधियों पर भारी, सब आंधियों पर भारी। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलिए मत।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): देखिए, आप मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। अन्त में दो लाइनें गोस्वामी तुलसीदासजी की और कहना चाहूंगा, 'कि राम गरीब नवाज हैं, दीनबन्धु हैं।' उन्होंने विनय पत्रिका के 278 वें पद के अन्दर लिखा है कि 'कृपा गरीब नवाज की, देखत गरीब को साब आ गयी।' यानी कि भगवान राम ने गरीब को देखा तो उसकी बांह पकड़ ली और वही गरीब को अगर किसी ने

सताने का प्रयास किया तो उसके लिए भी तुलसीदासजी ने कहा है कि-'तुलसी हाय गरीब की, कभी न निष्फल जाय। मरे बैल की चाम से, लौह भस्म हो जाय।' जय हिन्द, जय भारत। धन्यवाद, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किरोड़ीजी ताली नहीं बजा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैंने आपको कहा था कि बीच में टोका-टोकी नहीं। अब कोई भी सदस्य खड़ा होगा तो ठीक नहीं रहेगा। नेता सदन हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राज्यपाल महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपने अभिभाषण के माध्यम से इस सदन के समक्ष हमारी सरकार का रोड मैप रखा है। उसके बाद मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया है और लोकतंत्र के इस मन्दिर को सारगर्भित किया है।

मैं राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी सरकार को बहुमत देकर हमें सेवा का अवसर दिया है। मैं मेरी सांगानेर की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 58.44 परसेंट वोट देकर इस सदन में एक जन प्रतिनिधि के रूप में भेजा है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो सदन का संचालन प्रभावी रूप से आप कर रहे हैं।

माननीय, मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज उनकी पुण्य तिथि है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राम बापू के पूज्य थे, उनकी सभाओं में रामजी का भजन 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।' इसके अलावा उनका एक और प्रिय है। 'मैंने तो पाया, राम रतन धन पाया' यह भी उनको बहुत पसन्द था।

Spp/rtm/30.01.2024/1710/3f

राम-राज्य तो गांधीजी का सपना था। राम-राज्य की अवधारणा, जहां हमारी आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था। वहीं यह राम-राज्य राष्ट्र निर्माण के मिशन का मूल आधार था।

माननीय अध्यक्षजी, मैं इसलिये इस बात को कहना चाहता हूँ क्योंकि कई माननीय सदस्यों का मैंने भाषण सुना है और उन्होंने जिस तरह से बात रखी है, निश्चित रूप से उनका अधिकार है, लेकिन बात रखने से पहले थोड़ा-सा हमें विचार भी करना चाहिये और विचार इसलिये करना चाहिये कि राजस्थान की जनता ने हम सभी को इस पवित्र मन्दिर में भेजा है। इसका एक-एक मिनट का समय बहुत कीमती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ हमारे यशस्वी माननीय प्रधान मंत्रीजी भी कहते हैं कि विकसित भारत की संकल्पना देश से देश तथा राम से राष्ट्र तक के चिंतन का विस्तार है। यही नहीं, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में, अगर आप

देखोगे तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मणजी का भी उस चैप्टर तीन में बहुत अच्छा सुंदर चित्रण है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने 500 साल की सनातन की प्रतीक्षा को पूरा किया। किसी राष्ट्र के इतिहास में कभी-कभी ऐसे दुर्लभ क्षण भी आते हैं जब सदियों का इतिहास सेकण्डों में सिमट जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को ऐसा ही क्षण आया जब 500 वर्ष का इतिहास 84 सेकण्डों में सिमटकर रह गया। देश ही नहीं, पूरा विश्व राममय हो गया। सदियों के संघर्ष एवं रामभक्तों के बलिदान के पश्चात् यह सपना साकार हुआ है। नव्य, भव्य और दिव्य मन्दिर में कमलासन पर बिराजे श्याम सलोने रामलला के दिव्य दर्शन कर जन-जन धन्य हुआ है।

माननीय अध्यक्षजी, हमारे जन-जन की आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम के मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा को भी विपक्ष के माननीय सदस्य राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा दृष्टिकोण और हमारी दृष्टि को हमें देखना होगा। इनको यह पता होना चाहिये कि जिन्होंने राम और रामसेतु को काल्पनिक बताकर नकार दिया था, उनको जनता ने भी नकार दिया है। यही नहीं, अब आने वाले समय में चुनावों में जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि राम मन्दिर केवल आस्था नहीं, अपितु देश की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है।

इस अवसर पर राम-राज्य पर तुलसीदासजी की चौपाई का अंश साझा करना चाहता हूँ-
'दैहिक दैविक भौतिक तापा

रामराज काहू नहीं व्यापा।।'

इसका अर्थ सीधा-सीधा है कि राम-राज्य में किसी को शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक परेशानी नहीं होती थी। सभी सुखी और प्रसन्न रहते थे।

माननीय अध्यक्षजी, प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी ने कुछ विषय महिला उत्पीड़न के बारे में कहे। माननीय अध्यक्षजी, यह राजस्थान भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, यह मां कालीबाई की शक्ति की भूमि है, यह त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है, यह पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपना सिर कटवाने वाली मां अमृतादेवी की धरती है। जिस प्रदेश को महिला सम्मान की खातिर प्राण देने के लिये जाना जाता था, उस प्रदेश को महिला अपराध के चिन्ताजनक आंकड़ों की वजह से प्रदेश को शर्मसार होना पडा था। शर्मसार ही नहीं, आप आंकड़े उठा लीजिये, देश के अन्दर महिला अत्याचार के नम्बर पर राजस्थान पहले नम्बर पर था। जहां एक ओर हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोक सभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण देकर महिला शक्तिकरण माता, बहनों का मान-सम्मान बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारा प्रदेश महिला उत्पीड़न और अत्याचारों के शिखर को छू रहा था। यही नहीं,

एन.सी.आर.बी. के आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार के समय राजस्थान महिला दुष्कर्म में लगातार देश में पहले पायदान पर बना रहा। सुबह से शाम होती थी, दर्जनों अबलाओं की इज्जत तार-तार होती थी।

माननीय अध्यक्षजी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बार-बार बात आती है अभिभाषण में, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप अपने आपको देखिये। यह सदन बड़ा पवित्र है, यह मन्दिर है। हम ही नहीं, इस राजस्थान की आठ करोड़ जनता हमारा विश्वास करती है। उन आठ करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम काम करते हैं। राजनीति में कई बार सच का सामना भी करना पड़ता है। जब हम राजनीति करते हैं तो आत्मविश्वास और हमको हमारे धड़े में तोलना होगा कि राजनीति कैसे करते हैं। राजनीति मूल्यों के आधार पर होती है। राजनीति के लिये तलवार की धार पर चलना होता है। राजनीति ऐसे नहीं होती कि मैं अगर कुछ कह दूँ और उसकी पालना नहीं करूँ, यह राजनीति का सबसे बड़ा दोष है।

माननीय अध्यक्षजी, दुःख की बात यह है कि जब इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो सरकार के मुखिया ने यह कहकर हमें और शर्मसार किया कि महिला उत्पीड़न के ज्यादातर मामले असत्य होते हैं। इससे अपराधियों के होंसले बुलन्द करने का काम किया। यही नहीं, पिछले साल चाहे जमवारामगढ़ में महिला का अधजला शव मिलने की घटना हो या धरियावद में विवाहिता को निर्बन्ध करने का मामला हो या भीलवाड़ा के कोटड़ी में बच्ची से गैंगरेप के बाद भट्टी में जलाने का दिल दहलाने वाला कृत्य हो। इसी प्रकार करौली में दलित युवती के साथ गैंगरेप हो। ऐसे अटैक और उसके बाद कुएं में भी डाल दिया हो। इस कानून-व्यवस्था को आप क्या कहेंगे, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ।

जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आयी तब-तब महिला उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़े हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूँ अनुसूचित जाति की महिला भंवरी देवी का, वह भी कांग्रेस के समय में यह काम हुए थे। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है। महिला दुष्कर्म में आवाज उठाने वाले अपने ही मंत्री को बर्खास्त तक कर दिया गया। उसने ऐसा कौनसा गुनाह किया इस सदन में बात उठाने का, कोई भी अपनी बात उठा सकता है।

SSY/RTM/30.01.2024/17.20/3g

ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि दोपहर में उसने बात उठाई और शाम को बर्खास्त कर दिया। यह क्या है? यह सदन की परंपरा है क्या?

यही नहीं, गत कांग्रेस सरकार के मंत्री कहते थे और वह भी सीनियर मंत्री, वह भी यह कहते हैं कि मैं मुख्य मंत्री से थोड़ा ही कम हूँ। हम तो कहते थे कि आप और ज्यादा बन जाइये। लेकिन उनकी भाषा देखिये कि 'राजस्थान मर्दों का प्रदेश है'। इसमें शर्म आनी चाहिए। जन प्रतिनिधि की इस तरह की भाषा राजस्थान के बारे में और मुखिया जिसने

थोड़ी-सी सही बात कही तो उसको हटा दिया। मुखिया को यह बातें सुनाई नहीं दी। यह शर्म की बात है।

हमारी प्राथमिकता मातृ शक्ति के आत्म सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस हेतु हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चियों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनका मान-सम्मान बनाये रखने का काम करेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माता, बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनायेंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्कवॉड के गठन को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं अभी कह रहे थे कानून व्यवस्था, मैं कहना चाहता हूँ कि कानून का राज कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। मैं भरतपुर में काम करता हूँ। संभाग के कई विषय मेरे ध्यान में होते हैं। आज भी मुझे करौली की वह घटना याद है जब रामनवमी के जुलूस पर हमला कर दिया गया था। शासन, प्रशासन ने अपराधियों के हौसले बुलंद करते हुए पीडितों के खिलाफ, उलटा पीडितों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। यही नहीं, उदयपुर में कन्हैया लाल का क्या हाल किया? पूरी दुनिया में प्रदेश की छवि को आघात लगाने का काम किया। जयपुर में एक युवक की हत्या के बाद जिस तरह से उसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का काम किया, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार की नीति ही दोषी है। और कितने मामले मैं आपको गिनाऊ? तुष्टिकरण के आधार पर अगर फैसले हों तो कानून बौना हो जाता है। हमारा संविधान बौना हो जाता है।

कहने वाले कहते हैं कि संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान के हिसाब से काम भी करना होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर सहित राज्य भर में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। किसी तरह का कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया। यहां तक कि जयपुर में आने के बाद उनको कोई सुनने वाला नहीं था। कोई बात नहीं, आप करते या नहीं करते, लेकिन सुन तो लेते। किस तरह से रोड पर चीख-पुकार करके वह लोग गये। कोई सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्या डर है? ऐसा वोट का क्या डर है कि उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। यह एक तरफा चलने वाला नहीं है। प्रदेश चलेगा तो संविधान से चलेगा। कानून से चलेगा। तुष्टिकरण से नहीं चलेगा।

मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस शांति प्रिय प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने में हमारी सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हमने सत्ता में आते ही अहम निर्णय लेते हुए मिशन मोड पर कार्य प्रारंभ किया है।

आपको जानकारी भी होगी कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था का जिक्र होता है तो कानून-व्यवस्था के लचर हालात और पुलिस के दूटे हुए मनोबल के कारण यहां गैंगस्टर पनपे हैं। उन्होंने व्यापारियों को धमका कर उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूलने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। आये दिन अखबारों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। उन्हीं के साथ खनन

माफिया, भू माफिया की हिम्मत सातवें आसमान पर पहुंच गयी। इन गैंगस्टर्स के होंसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने जेल के अन्दर से ही अपनी सिडीकेट का संचालन प्रारंभ कर दिया।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आये दिन दूसरे प्रदेशों से लोग आते थे, गैंगस्टर्स आते थे। राजस्थान के किसी भी जिले में किसी ना किसी को फायर करके चले जाते थे। किसी को मारकर चले जाते थे। किसी को धमका करके चले जाते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां की कानून-व्यवस्था इतनी लचर हो गयी थी, जैसा मैंने बताया पड़ोसी राज्यों के गैंगस्टर्स भी यहां आने लग गये। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करके आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय को पुनः स्थापित करने का काम करेगी। इस दिशा में हमने प्रदेश में संगठित अपराध व प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु 16 दिसम्बर को, 15 दिसम्बर को शपथ ली थी और यह निर्णय 16 दिसम्बर का है। एक विशेष कार्य दल, एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स गठित करने का हमने काम किया है। उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ कर दिया है।

अपराध शाखा, राजस्थान द्वारा हार्ड कोर इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही और गिरफ्तारी हेतु राज्य में विशेष अभियान भी चलाया गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अच्छा होता वह धन्यवाद देते। उन्होंने कहा 10 हजार लोगों को पकड़ा। पकड़ा, चलो इतना तो आपने माना। आपने कितने पकड़े, यह तो बताते। यह नहीं बताया कि आपने कितने पकड़े। 10 हजार लोगों को पकड़ने की बात तो कह दी, लेकिन आपके समय में आपने कितने पकड़े? कहां चले जाते थे? किस नेता से सांठ-गांठ होती थी? यह नहीं बताया। यह भी बताते। हमारे बहुत ही अच्छे प्रतिपक्ष के नेता हैं। भोले हैं, उनको जैसा बता दिया वैसा उन्होंने कहा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह अच्छी बात है कि आपने मुझे भला कहा। भोला कहा, लेकिन इतना भोला भी नहीं हूँ। हम पकड़ते थे तो ऐसे छोड़ते नहीं थे। आपने 10 हजार पकड़े 7700 छोड़ दिये, यह मैं बता रहा था।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्यमंत्री): गत राज्य सरकार द्वारा खनन के क्षेत्र में खनन माफियाओं को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में खनन क्षेत्र से होने वाले राजस्व की हानि भी हमें हुई। खनन माफियाओं के होंसले भी बुलंद थे। आपने देखा होगा कि आये दिन पुलिस पिटती थी। पुलिस पर हमला होता था। क्यों होता था? क्योंकि उसमें बड़े आदमी का हाथ था। हमारे समय में एक केस आया, हमने तुरंत कहा कि अगर इसने हिम्मत से काम किया है तो इस थानेदार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर इसने मिलकर के काम किया है तो इसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके समय में थानेदार पिटते थे। पुलिस बार-बार पिटकर के आती थी। पुलिस मजबूर थी। क्योंकि वहां के भू माफिया के साथ सांठ-गांठ थी। सांठ-गांठ सरकार की थी। उस सरकार के माध्यम से सांठ-गांठ चलती थी इसलिए हिम्मत

नहीं होती थी। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाने का काम नहीं किया।

राज्य में अवैध खनन भंडार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस, परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सघन अभियान चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा, क्योंकि आपके लोग हैं तो आपके पास मेरे से ज्यादा खबर होगी। मुझे पता है। मेरे पास इतनी नहीं होगी जितनी आपके पास होगी क्योंकि सांठ-गांठ, दोस्ती आपकी है।

Jyg/rtm/30.01.24/17.30/3h

राज्य में सर्तकता दल द्वारा 29 जनवरी तक, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या किया है। प्रदेश में अवैध खनन के 490, अवैध भंडारण के 1224, अन्य 373, इस प्रकार कुल 1283 मामले पकड़े गए हैं। कार्यवाही के दौरान विभिन्न खनिजों की कुल 2 लाख 17 हजार टन मात्रा जब्त की है। 15 दिन में ये कौन थे? आदत क्या लग रही थी? कौनसी आदत उनको लग रही थी? उनको पता था लेकिन क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको बचाने वाले होंगे, लेकिन अब बचाने वाले को भी पता है। हमने कहा है और हम करके भी दिखाएंगे। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसके सिफारिशी को भी पूछा जाएगा, जो उसकी सिफारिश करने वाला है। हम उस सिफारिशी, जो सिफारिश करने वाला है, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींचसर): जो सिफारिश करता है उसको भी आप पकड़ लो। बजरी माफिया को पकड़ो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...सदन की व्यवस्था बनाए रखें। आप बैठिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के होंसले भी बुलंद हुए। पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में आम आदमी का कोई काम बिना सेवा, बिना पानी और बिना खर्ची, खर्ची होती थी, बिना खर्ची के नहीं होता था। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रीपेड सेवा प्रारम्भ हो गई थी, प्रीपेड सेवा, मोबाइल में तो हमने देखी है लेकिन प्रीपेड सेवा भ्रष्टाचार में हो गई, इतने रुपये डला दो, इतने दिन काम, इतना किया है तो इतने दिन काम हो जाएगा। बिना सेवा के कोई काम नहीं होता था। यह खर्ची की सरकार थी, बिना खर्ची के नहीं होता था। एक-एक गांव, एक-एक ढाणी में आप पहुंच जाइए, आप एक-एक देखिए। कई बार एसपी के बात होंती थी, वो थानेदार उनके पास ही नहीं जाता था, थानेदार एसपी के पास नहीं जाता था, एसपी को सैल्यूट नहीं करता था वो जाकर अपने एमएलए के पास सैल्यूट करता था। वो कहता था मैं तो इसके लगवाने से आया हूँ। मैं एसपी के पास क्यों जाऊंगा? सारी पुलिस का क्या हाल किया, यह आप सभी को पता है।

माननीय अध्यक्षजी, इस गरिमापूर्ण सदन में और इसके बाहर भी कुछ माननीय सदस्य

'पर्ची की सरकार' का उल्लेख भी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि यह सरकार न पर्ची की है ना खर्ची की है, बल्कि यह सरकार धरती की है और धरती पुत्रों की है, धरती की है और धरती पुत्रों की है। लेकिन एक परिवार को समर्पित कुछ माननीय सदस्यों को, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्षजी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में आजादी की लड़ाई में बहुतों का योगदान रहा है, लेकिन हमेशा मैं देखता हूँ आपके पास वो नाम, तीन है या चार हैं। ऐसा क्यों? इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोगों का योगदान रहा है। कभी उनको भी सम्मान दे दिया करो।

माननीय अध्यक्षजी, बहुत अच्छा स्लोगन पढ़ा, मैं तो कह रहा था कि वीडियो बनाकर आज ही तुरंत राहुलजी को भेज देना चाहिए, अच्छा लगेगा, आज ही शाम को आपको धन्यवाद देंगे। वो यात्रा कहां है, कौनसी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से तुरंत कहेंगे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने बहुत अच्छा एक शेर हमारे लिए पढ़ा है। ... (व्यवधान)...

माननीय अध्यक्षजी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो गांव से आने वाला एक ऐसे परिवार का व्यक्ति हूँ, एक छोटे किसान परिवार से आता हूँ, जीवन अभावों में भी गुजरा है, मेरा मुख्य मंत्री बनना अभी तक शायद ठीक नहीं लग रहा है इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमें तो अच्छा लगा। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, माननीय सदस्य, आप सुनिए। आप पूरा सुन लीजिए। ... (व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, दरअसल प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) ... हां, मैं पर्ची पर भी आ रहा हूँ। आपकी पर्ची पर भी मैं आ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षजी, दरअसल प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अवचेतन मन में पर्ची का डर बैठा है। आपके मन में पर्ची का बड़ा डर बैठा है इसलिए आप बार-बार पर्ची का उल्लेख करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में तो मैं बताऊंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ईडी का भी बता दो।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ विपक्ष के सदस्यों को कि यह पर्ची का डर कौनसी तारीख का है? आपको कौनसी तारीख की पर्ची का डर है? यह 25 सितम्बर 2022 आपको ध्यान होगा? कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का, बहिष्कार के बाद से जेहन में बना हुआ है। किसी शायर ने सही कहा है,

**'औरों के खयालात की लेते हैं तलाशी,
औरों के खयालात की लेते हैं तलाशी,
और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता।'**

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय किरोड़ीजी को नींद आ गई है।

श्री अध्यक्ष: वो जगे हुए हैं। आप बैठिए माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे यह निवेदन करना

चाहता हूँ कि माननीय केन्द्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग कहीं दूसरे स्थान पर होती है। वो लज्जित होकर चले जाते हैं। यह हमारी परम्परा है?

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी है, एक भी, एक भी मुख्य मंत्री बनने से पहले या मुख्य मंत्री बनने के बाद मैं मेरे बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक आपने किसी का अगर एक वक्तव्य सुना हो तो वो बता दीजिए। यह होता है लोकतंत्र, यह होता है लोकतंत्र और इसे कहते हैं लोकतंत्र। क्योंकि हम लोकतंत्र के अन्दर विश्वास करते हैं तो आंतरिक भी हम लोकतंत्र रखते हैं।

श्री रामकेश (गंगापुर): आपकी पर्ची खुली तो वसुन्धराजी को देखा? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। आपको भी जवाब दूंगा, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा था कि बीच में कोई नहीं बोलेगा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): गंगापुर सिटी से आने वाले माननीय सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा, आपका भी लिखा हुआ है मेरे पास जवाब, चिंता मत कीजिए, आप भी तसल्ली रखिए थोड़ा, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? तसल्ली कीजिए, आपको भी जवाब मिलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रसाद मिलेगा प्रसाद।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, गत सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों को संरक्षण देने के लिए हमारे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनुसंधान हेतु दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया था। मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्षजी, क्या डर था? ऐसा क्या डर था? जरा बताइए न? यदि आप सही हैं तो डर किस बात का? लेकिन जो करता है उसको पता होता है, उसको पता होता है इसलिए वो डर था। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह निर्णय हमने वापस ले लिया है। ये निर्णय हमने वापस ले लिचा है। यह मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इससे कई प्रकरणों में अनुसंधान में विलम्ब व अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की आशंका बनी रहती थी इसलिए आपने उसकी सहमति नहीं दी। हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा किया है और यह हमारा मूल मंत्र है, इसे पूरा करेंगे। सीबीआई को हमने फिर से अनुमति दी है।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान की पूर्व सरकार ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अन्दर भी संस्थाओं को कलंकित करने का काम किया है। हमारी जो पवित्र संस्था है, आरपीएससी, उसको भी तार-तार कर दिया, दागदार कर दिया। हम जब पढ़ते थे तो देखते थे, हमने भी एकजाम दिए हैं, लेकिन जब हम देखते थे कि राजस्थान की आरपीएससी की साख पूरे देश भर में पहले नम्बर पर थी।

MLS/RTM/30.01.2024/17:40/3j

क्या हो गया? ऐसी क्या मजबूरी थी? सरकार चलाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन संस्थाओं पर यदि अंगुली उठे तो प्रजातंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है।

जिस प्रदेश का युवा दुनियाभर में जाकर अपनी सफलता का परचम लहराता था, उस प्रदेश के युवा को अपने ही घर में पेपर लीक जैसे अन्याय का सामना करना पड़ा। पेपर लीक के घोटाले के मुख्य सरगना को गत सरकार पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे पांच साल तक प्रदेश के युवाओं को निराशा, असन्तोष और आक्रोश प्राप्त हुआ। युवाओं के साथ यह धोखा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आरपीएससी, जो कि प्रदेश की एक संवैधानिक संस्था है, उसे लज्जित किया। इसके स्टैंडिंग मैम्बर पेपर चोरी करते पकड़े गये। आपको शर्म आनी चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि क्या हो रहा है।

क्या आपने अपनी आत्मा में देखा नहीं? उन युवाओं पर कुठाराघात। आपने यही नहीं, उन पिता-पुत्रों के बीच में भी द्वेष पैदा करने का काम किया। चूंकि हम गांव से आते हैं, गांवों में हमने देखा है, मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हम इस सदन के पवित्र मन्दिर में बैठे हैं, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पिता से जब वह पुत्र पैसे मांगता है, पिता की मजबूरी होती है, किसी साहूकार के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से वह पैसा लेकर आता है, कोचिंग कराता है, कमरा दिलाता है और बेटा भी उसे विश्वास दिलाता है कि, पिता जी, अबकी बार मुझे पढ़ा दीजिये, मैं निश्चित रूप से पेपर में पास होकर दिखाऊंगा।

बेटा इस बात को पिता जी से कहता है और पिता जी भी इस बात का विश्वास करते हैं कि बेटे ने मुझसे गुहार लगायी है, पढ़ने के लिए कहा है। मेरा फर्ज बनता है, मैं कहीं से लाऊं, लेकिन इसे मुझे पढ़ाना है, वह पढ़ाने के लिए पैसे लाकर देता है। कोचिंग कराता है, कमरा लेता है, दिन-रात मेहनत करता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो वह खून के आंसू रोता है और वह कहता है कि मैंने दिन-रात मेहनत की, मेरी उस मेहनत का, परिश्रम का कोई फल नहीं मिला। आपकी सरकार ने ऐसे युवाओं को आत्मदाह तक करने को मजबूर कर दिया। उस पिता की छाती पर हाथ धरकर देखिये कि उस पिता के साथ क्या हो रहा है।

घर में बजट बनाते हैं, बजट किस तरह से बनता है, वह बजट जब दिक्कत पैदा करता है तो पिता को चिन्ता नहीं सोने देती है। वह दिन-रात उस चिन्ता में सो नहीं पाता है। आप उसकी तड़पन को नहीं समझ सकते। मैं कहना चाहता हूं, कई सदस्य तो ऐसे हैं, जिन्होंने खुद ने नहीं किया, पिता जी और उनके पूर्वजों की खा रहे हैं और वे ऐसे बोलते हैं कि हमने कमाकर दिया है क्या। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, कई ऐसे लोग हैं, ...(व्यवधान)... यहां ही नहीं, कहीं भी हों। ...(व्यवधान)... छोड़िये, लेकिन बात ऐसी करते हैं। आप करके देखिये, मालूम पड़ जायेगा। एक काम करने में पसीना आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था उन्हें, मैं उन्हें देख रहा था, उन पर भी मैं आना चाहता हूं, आऊंगा मैं उन पर, उन पर भी आने वाला हूं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही परिवार के, देखिये क्या हो रहा है? भाई, मुझे यह तो

बता दें, वे कौन-सी चक्की का आटा खाते थे? कौन-सा पानी पीते थे? हम भी डॉक्टर साहब से कह देते, वह पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। आरएएस में एक ही परिवार के तीन-तीन, चार-चार सदस्य आ रहे हैं। यही नहीं दादा, आगे और देखिये, आगे और देखिये, नम्बर भी एक ही आ रहे हैं, भाई, 80 नहीं 79 आ जाएं किसी के। ज्यादा दिक्कत है तो 81 कर दो, लेकिन जो उसे कहा, वही तो करेगा वह। जो कहा है, वही तो करेगा, इसीलिए वही करके इन्होंने दिखाया। यह राजस्थान किस तरह का प्रदेश बन गया, यह शर्म आती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, हमने वादा किया था, सरकार बनने के बाद तुरन्त निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की कड़ी जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एसआईटी का हमने गठन किया है। भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप यह चौथी बार खड़े हुए हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव व डीजीपी लेवल के अधिकारियों से करवाने का नीतिगत निर्णय लिया है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक की चर्चा में सुन रहा था। वे कह रहे थे कि केवल एक एलडीसी के पेपर पर जांच लम्बित है, जो कि हाई कोर्ट की भर्ती से सम्बन्धित है। बाकी की जांच चल रही है, आप किस पेपर लीक की जांच एसआईटी से करवाएंगे? यह लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। माननीय सदस्य महोदय, आप अपडेट हो जाएं, मैं इस सदन के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा, 2021; सीएचओ भर्ती परीक्षा, 2020; वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2022; रीट परीक्षा, 2021 सहित कई पेपरलीक की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पेपर लीक के मामलों की जांच एसआईटी नहीं, सीबीआई से करवाने के लिए कहा था।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींचसर): मैंने कहा था।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नहीं, उधर से भी कहा था। ...(व्यवधान)... उधर से भी आयी है, मेरे पास है। उधर से भी आयी है, साहब। अगर जरूरत हुई तो हम सीबीआई से भी पेपर लीक मामले की जांच कराएंगे, लेकिन युवाओं और उनके साथ-साथ उनके जो पिता जी का दर्द है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बखशा नहीं जायेगा। 15 दिसम्बर को हमारी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। पूरा हो जाने के बाद बात करना। ...(व्यवधान)... अभी बैठिये। आसन पांवों पर है। बैठिये। ...(व्यवधान)... हां, वे दे देंगे जवाब। ये भी सक्षम थे, आप भी सक्षम हैं। आप बैठिये। ...(व्यवधान)... कोई व्यवधान नहीं। बोलिये मुख्य मंत्री जी।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हमारी मुस्तैदी का परिणाम है कि 7 जनवरी, 2024 और 21 जनवरी, 2024 को दो बड़ी परीक्षाएं सुचारू रूप से सम्पन्न करवा दी गयी हैं। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अभी तो कई बार आएंगे भाषण के लिए। ... (व्यवधान) ... अगली बार आपको मौका देंगे। बहुत दे दिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): इसी के साथ प्रभावी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक प्रकरण में संलिप्त 25 वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। ... (व्यवधान)...

Mkd/Rtm/30.01.2024/17.50/3k

श्री अध्यक्ष: विपक्ष ने तालियां बजाई हैं। आप बोलने दें। आपने मेज थपथपा दी, उसके लिए आपका भी धन्यवाद।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): इस अव्यवस्था, अविश्वास और अत्याचार से निजात दिलाने के लिए जनता ने हमें सेवा का मौका दिया। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बताया गया कि कैसे राजस्थान पिछले पांच साल में आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। प्रदेश का विकास अवरुद्ध कैसे हुआ है? पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी वर्ष में अनेक अविवेकपूर्ण निर्णय लिये। अत्यधिक कर्ज लेकर करोड़ रुपये व्यर्थ में खर्च किये। इस वित्तीय कुप्रबन्धन से राज्य कर्ज के जाल में फंसकर बीमारू राज्य बन गया।

अध्यक्ष जी, यही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रदेश का कर्ज जीएसडीपी अनुपात पंजाब के बाद सर्वाधिक, मतलब हमारा प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है। मैं सुन रहा था, नम्बर वन। मैंने कहा यह तो नीचे से दूसरे नम्बर पर आ रहा है। यह वित्तीय प्रबन्धन किस तरह से रहा है?

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान राज्य पर लगभग, यह तो सही बताया इन्होंने, 5 लाख 80 हजार करोड़ बताया है। 5 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का ऋण होना अनुमानित है, जबकि 2018-19 के अन्त में राज्य पर कुल भार 3 लाख 11 हजार करोड़ का था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आ रहा हूं। मैं आपके पास भी धीरे-धीरे पहुंच रहा हूं, चिन्ता मत करिये। मुझे पता है, आप धौलपुर के नजदीक के हैं। मैं आ रहा हूं, साहब, नहीं-नहीं धमका नहीं रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आपकी यह आदत ठीक नहीं है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप क्यों खड़े हो रहे हों? आपने तो मुझसे क्वथन

पूछा ही नहीं है। इन्होंने ईआरसीपी पर पूछा है, उसका जवाब दूंगा। उन्होंने दूसरा पूछा, जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपके सुझाव पर विचार करेंगे। आप जारी रखें।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दोगुना किया है, थोड़ा-सा कम, दो गुना हुआ है। विगत सरकार द्वारा अपनी चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए, अपनी फ्लोप स्कीम के प्रचार-प्रसार के लिए अंधाधुंध सरकारी विज्ञापन कर प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला है। आप देखते थे, दिया-लिया कुछ नहीं, विज्ञापन करोड़ों के हो गये।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे तो अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस ने देश का बंटवारा ही तुष्टीकरण के आधार से लेकर अब तक और गरीब कल्याण की योजनाएं सबसे पहले नेहरू जी ने दी, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी ने भी दे दी, गरीबी हटाओ। राजीव जी ने दे दी, गरीबी हटाओ। उनके बीच में और आ गये, उन्होंने भी कह दिया, गरीबी हटाओ। फिर, उनके आ गये, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ। फिर मनमोहन सिंह जी आ गये, गरीबी हटाओ और माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी के प्रिय चिराग आ गये, वे भी गरीबी हटाओ।

अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये गरीबी का जुमला कब तक चलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जनता के बीच में गये थे, आपने वादा किया था, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपने कहा था, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। उनको आपने भत्ता तो नहीं दिया लेकिन उनको खून के आंसू रूताने का काम आपने किया।

यही नहीं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने इस चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए कितने उपाय किये लेकिन जनता जानती है और जनता आज भी देख रही है, उसने बता दिया कि किस तरह की योजनाएं। अगर आपको करनी ही थी, हमने तो 15 दिन नहीं हुए, 1 जनवरी से ही प्रारम्भ कर दी। हमने घोषणा 26 को की और प्रारम्भ कर दी, लगातार कर रहे हैं। हम किसी चुनाव का या लास्ट का इन्तजार थोड़े ही कर रहे हैं। आपने घोषणा की है, आपको करना चाहिए था लेकिन चुनाव से दो महीने पहले, तीन महीने पहले, राजस्थान की जनता ने सोचा यह तो बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि हमने इनको सदन में बैठा दिया तो बाकी राजस्थान की जनता तो कुछ समझती ही नहीं है। उसका जवाब आपको उस जनता ने दिया है।

2023-24 के अन्त में राज्य के प्रत्येक नागरिक पर लगभग 70 हजार 800 रुपये का ऋण भार हो जायेगा, जबकि 2018-19 में यह 40 हजार रुपये था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्याज भुगतान में भी अधिक राशि व्यय होने से विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि में कमी हो जाती है।

आप कर्जा ले रहे हैं। हमें कर्जा लेने के लिए चार बार सोचना पड़ता है। आप घर को किस तरह से चलाते हैं। अगर आपके बस की नहीं है, आपके तीन बेटे हैं। एक बेटे ने कह

दिया मेरे को मोटर साइकिल चाहिए, दूसरे ने कह दिया मुझे कार चाहिए, कार भी बढ़िया वाली चाहिए। उसने कह दिया, क्या आप लाकर दे देते हैं?

मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य बनता है जनता के उन प्रश्नों को जवाब देना का, हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता ने जिस तिजोरी की चाबी का हमको मालिक बनाया है, जनता की बात पर खरा उतरने का।

ऐसा थोड़े ही होता है कि हमने बना दिया तो हमको वोट की खातिर देखना है। मैं आज की तो नहीं पहले की, मैं कहता हूँ आपको, इनकी केन्द्र में सरकार थी। केन्द्र में मनमोहन जी की सरकार थी। आपको इसलिए ध्यान दिलाता हूँ, हम क्या करते हैं और ये क्या करते हैं। केन्द्र में मनमोहन जी की सरकार थी। सिलेंडर पर पैसे कम किये थे। उस ऑर्डर में एक बात लिखी हुई थी, सिलेंडर के पैसे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहीं किये जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी एक-एक स्कीम। हां, मैं बता रहा हूँ, गुजरात में कम नहीं हुए थे। गुजरात में हमारी सरकारी थी। आपके यहां आपकी सरकार थी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ऐसा ऑर्डर भारत सरकार का नहीं था। वह हमारे मुख्य मंत्रियों ने अपनी तरफ से कम किये थे। ये सही है कि गुजरात ने कम नहीं किये और आज भारत सरकार ने भी कम नहीं किये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): यह मुख्य मंत्रियों ने कम नहीं किया। यह केन्द्र सरकार ने कम किया था। हमें पता है। हमने उसमें जवाब भी दिया था, क्योंकि उससे पहले हमारी अटल जी की सरकार थी तो हमने यह कहा था कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्दर हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के अन्दर कहा था कि जो दो हजार की आबादी वाला गांव होगा, वह सबसे पहले प्रधान मंत्री सड़क योजना में जुड़ेगा। एक हजार की आबादी वाला गांव सैंकेंड फेज में जुड़ेगा और पांच सौ की आबादी वाला होगा वह तीसरे फेज में जुड़ेगा। जब हमने कहा था कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने ना कोई गांव देखा, ना कोई ढाणी देखी, ना कोई सरकार देखी, उन्होंने देशहित में यह काम पूरे देश के लिए किया है।

Bhs/rtm/30.1.24/18.00/31

मैं आज अगर इस बात को करता हूँ तो क्या ठीक बात है? आज कोई भी व्यक्ति होता है आप जिस विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आये हैं आप उस विधान सभा क्षेत्र के विधायक हैं आप किसी के साथ पक्षपात करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आप पूरे विधान सभा क्षेत्र के जाने जाते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप नहीं करेंगे, हमें भी उम्मीद है साहब, आपसे।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आगे-आगे देखते जाना क्या है। पिछली सरकार ने न धन का प्रबन्धन किया और न ही सदुपयोग। वित्तीय कुप्रबन्धन की पराकाष्ठा से केन्द्र से, मुझे ताज्जुब हो रहा है, आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब करेंगे। केन्द्र से जल जीवन मिशन

के धन का पचास प्रतिशत उपयोग भी राज्य सरकार नहीं कर पायी। मैंने अभी-अभी उदयपुर और बीकानेर सम्भाग की बैठक ली। मैंने पूछा, जल जीवन मिशन में कितना पैसा आया है, उदयपुर वाले बोले, 2250 करोड़ तो मैंने पूछा कि लगा कितना है, बोले 400 करोड़। इसकी सीमा कब समाप्त हो रही है, बोले 31 मार्च, 2024 को। कब लगाने वाले हैं, कोई पता नहीं। अगली बार फिर मैंने बीकानेर सम्भाग की बैठक ली। मेरे साथ हमारे माननीय विधायक उदयपुर भी थे और यहां भी हैं। मैंने उनसे पूछा आपके यहां कितना है, बोले हमारे यहां 2230 करोड़ रुपये है। खर्चा कितना हुआ है, 300 करोड़। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से आया हुआ पैसा उसको भी आपने उपयोग में नहीं लिया और उपयोग में लिया तो कहां लिया जिसकी जांचें चल रही हैं, ईडी घूम रही है। देख रहे हैं किस तरह की भ्रष्टाचार की कहानी क्या है। आप यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार, राजस्थान के अन्दर जिस तरह का भ्रष्टाचार था किसी भी प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ और पिछले समय से लेकर अब तक यह भ्रष्टाचार की कहानी इस आपके कार्यकाल की लिखी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमें विरासत में मिली चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार वित्तीय प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देकर राज्य की जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर राज्य को अगले पांच वर्ष में, पांच वर्ष में, दुबारा भी कहना है, मुझे क्योंकि कई हैं बात पूरी नहीं सुनते उससे पहले ही कि साहब, हुआ नहीं आपने तो कहा था। मैं कह रहा हूं वह सुन लीजिये। 350 बिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं जो वर्तमान में 170 बिलियन डालर की है। हम एक विश्वास आपको दिलाते हैं कि हर समस्या को सुलझाने के लिए, हर समस्या से मुकाबला करने के लिए हमारा एक-एक सदस्य पूरी तरह से तैयार है और आप लिख लीजिये हम जो आपसे वादा कर रहे हैं इसी सदन में आज मैं कह रहा हूं आपसे जितने वादे आपके बीच में होंगे, सदन में बैठ कर आपसे कहेंगे उनको समय पर पूरा करेंगे यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिजली की व्यवस्था, मेरे पास कह रहे हैं, मैंने कहा अभी एक महीना हुआ है कोशिश कर रहे हैं। अभी आर.के. सिंह जी से एक हजार मेगावाट बिजली के लिए कहा है उन्होंने 350 की हमसे हां की है और उन्होंने कहा कि मैं दस-दस दिन के उसमें दे दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गत कांग्रेस सरकार ने राज्य की बिजली कम्पनियों को भी दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के कुप्रबन्धन के कारण समय पर ऋण चुकता न करने के कारण यह बाद का है, यह कौन सा है वह पहले बड़ा बताता हूं आपको मैं बड़ा, यह छोटा है। पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा उदय योजना के अन्तर्गत 62 हजार 422 करोड़ रुपये आये थे। आपका बिजली का लगभग बराबर हो गया था जब हम आपको देकर के गये थे। लगभग शून्य कर दिया था लेकिन कांग्रेस राज के कुप्रबन्धन और भ्रष्टाचार के कारण यह ऋण पुनः 88 हजार 7 सौ करोड़ हो गया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं जो पिछला मैंने उधर छोड़ा था वह विषय और इंटेस्टिंग होगा।

देखिये आप पैसा लेकर के आते हैं किसी से, कई लोग होते हैं कि 31 तारीख से पहले दे देंगे तो आपका ब्याज इतना होगा, 31 के बाद देंगे तो ब्याज यह होगा और बैंकों का काम है, साहूकार का भी काम है तो वह करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोन लेकर के उस किश्त को चुकाना है। यह लोन आप दस दिन बाद लेंगे तो दस दिन पहले ही ले लो। पांच दिन बाद लेंगे तो पांच दिन पहले ही ले लो। यह इसका है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के कुप्रबन्धन के कारण समय पर ऋण चुकता न करने के कारण 300 करोड़ रुपये की तो पेनल्टी है। पेनल्टी है यह बिजली विभाग की 300 करोड़ रुपये की। हम घर में भी देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? घर में भी देखते हैं कि पैसा हमें कब चुकाना है। अगर ज्यादा लगता है तो चिन्ता होती है पड़ोसी से मांग करके लाते हैं और उसको देते हैं। किसी से लाते हैं, किसी को देते हैं। आपको तो बैंक से लोन लेना था तो उस लोन को लेने की चिन्ता पहले क्यों नहीं की आपने? तीन सौ करोड़ रुपये का जो भार है यह सिर्फ पेनल्टी है। यह लापरवाही देखिये। आप कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया हमने वह कर दिया। कहां ले जाओगे, इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम आपने किया है।

अध्यक्ष महोदय, विगत पांच वर्षों में राजस्थान में सरकार की लापरवाही, संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश में बिजली का संकट रहा है। पिछली भाजपा सरकार जैसा मैंने बताया आपको पिछली सरकार ने आमजन के बीच में गफलत की स्थिति पैदा कर दी। कभी सौ यूनिट मुफ्त देंगे, कभी दो सौ यूनिट मुफ्त देंगे और एक और गफलत सबसे बड़ी हो रही है वह गफलत यह हो रही है कि जिनके सौ यूनिट वाले हैं उनके घर में बिजली नहीं जा रही है, घर में बिजली नहीं जा रही है उत्पादन वाला कह रहा है कि मैंने तो इतनी उत्पादन कर दी। अब उनमें होड़ वहां लग गयी। होड़ इसलिये लग गयी कि वहां से बिजली के उत्पादन का कितना भार हो रहा है। आपने कंज्यूमर को कितनी बिजली दी, अब जिसको सौ यूनिट देनी थी वह तो फ्री है, उसका घर तो बन्द है ताला लग रहा है लेकिन उसका भी बिल देख लेना। आप मंगा लेना, आप वहां रहते हो सौ की सौ यूनिट का बिल जा रहा है, 90 का, 95 का पूरा बिल जा रहा है जिससे वह उत्पादन वाला किसान को दो हजार जा रहा है। किसान का कभी तो कम होता होगा या ज्यादा निकलता होगा लेकिन उस पर भी लगाते हुए उस बिल में भी, ऐसा क्यों? उत्पादन वाला बढ़ा रहा है जिससे उसका पैसा उसको मिल जाये, उसमें से आधा मेरा भी कहीं न कहीं काम चल जाये। यह स्थिति बिजली के अन्दर पैदा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह सारी चीजें बताना चाहता हूँ। ग्रामीण, शहरी, आमजन गांव में हमारे किसान भाई विद्युत कटौती का दंश झेलने को मजबूर हैं। गत सरकार के समय राजकीय उत्पादन के पॉवर प्लान्ट में कोयले की कमी थी। इतनी बड़ी बात आयी है। हमसे तो आप नाराज हो रहे हैं, हमारा पड़ोसी अगर हमारा है तो हम तो उसका फायदा लेंगे चाहे वह कोई भी हो, आपका पड़ोसी भी तो था। छत्तीसगढ़ में आपका ही भाई था लेकिन वहां क्या हुआ? वहां देखिये आप, छत्तीसगढ़ से कोयला आता है। अब हमने तीन दिन में कोयला चालू

करा दिया न। हमारा विष्णु भाई आया तो हमने कह दिया, विष्णु भाई कोयला दो तो तुरन्त तीन बार फोन आया, रात को साढ़े ग्यारह बजे फोन आया, भाई जी मैंने आपका काम कर दिया और काम चालू है। यह होता है। आप उसका भी लाभ नहीं ले सके। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी राजस्थान में आपकी सरकार थी। ऐसा क्या कर सकते हैं, आपको लाना था लेकिन हुआ क्या उसमें सौदा हुआ। सौदा यह हुआ कि साइट कोयले की कोई थी और साइट कोई दूसरी बता दी। साइट को दूसरी बता करके उसका ट्रांसपोर्ट का काम उसको दे दिया। उस कोयले में मिट्टी आ रही है, कोयले में पत्थर आ रहा है। अब वह पत्थर और मिट्टी आयेगी तो वह बिजली उत्पादन करेगा क्या?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्लांट है वह 56,54,53 परसेंट बिजली उत्पादन कर रहे हैं और जो प्राइवेट हैं वो कितना कर रहे हैं, 75,74,76, यह अन्तर बीस का क्यों है? यह आपको देखना चाहिये यह अन्तर क्यों है, हमने तो अभी भी देखा है। हमने कहा है उनसे कि अगर इससे कम होगी तो हम नहीं मानेंगे। प्राइवेट जितना करे उससे थोड़ा बहुत एक-दो परसेंट कम हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है छीजत होती है लेकिन यह पूरा होना चाहिये। यह ऐसा क्यों हुआ?

Kas/rtm/30.01.2024/18.10/3m

क्या कोई देखने वाला नहीं था, क्या कोई समझने वाला नहीं था? प्लांट वही है, लेकिन उस प्लांट में 50, 53, 55 परसेंट पैदा हो रही है, प्राइवेट वाले में 75 परसेंट, 74 परसेंट पैदा हो रही है, यह कौनसा अंतर है, यह कौनसा घोटाला है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इसी उत्पादन की कमी के कारण एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी गई, इसमें भी घोटाला है। हमने छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार से बात कर केन्द्र सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति सुचारु की है। आप कहोगे कि जो छत्तीसगढ़ से कोयला आ रहा है, उससे सस्ती रेट में आ रहा है। अगर हमें कोयला नहीं मिलता है तो कोल इंडिया से लेना पड़ता है 40 परसेंट महंगा। 40 परसेंट महंगा आता है, बिजली वालों से पूछ लो। वह कोयला कोल इंडिया से 40 परसेंट महंगा कोयला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आपको को-ऑपरेट नहीं कर रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप तो सुनते चलो साहब, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तो आपको कर रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो?(व्यवधान).... हमारी सरकार सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का दोहन करते हुए राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनायेगी। आम नागरिक, उद्योगों व किसान भाइयों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

फिर वही विषय आ रहा है, पेटेंट तो हमारे मन में नहीं, रोम रोम में है। राम हमारे रोम-रोम में है, हमारे आराध्य हैं। आपको खुशी नहीं होती, आप नहीं जायेंगे। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केन्द्र सरकार ने महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' की

घोषणा की है। प्रदेश में हम भी हर घर पर सोलर सिस्टम लगाकर सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये काम करेंगे। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य के शिक्षित युवाओं को सूर्य मित्र, वायु मित्र के रूप में विशेष अभियान चलाकर प्रशिक्षित किया जायेगा, जिससे नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा। हमारी सरकार विद्युत क्षेत्र में परिचालन व तकनीकी सुधारों को लागू कर विद्युत तंत्र को सुदृढ़ और कुशल बनायेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह बिजली के बारे में कहते थे, लेकिन आपने बिजली की स्थिति देखी है। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ईआरसीपी के बारे में कह रहे थे, मैं कल सुन रहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा चक्कर में मत आया करो, आप हमारे सीधे-साधे आदमी हो। उनको जिन्होंने पर्ची दे दी, वह उन्होंने पढ़ दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ईआरसीपी का जो एमओयू हुआ है, वह किसके पास है, आपके पास कॉपी है क्या? अगर आपके पास कॉपी हो तो मुझे भिजवा दो।(व्यवधान).... आप बता रहे हो ना कि पहले हुआ है, उसमें कमी हो गई, उसमें ज्यादा हो गया, कॉपी हमें दे दीजिए।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह योजना हमारे भारत रत्न यशस्वी पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। आपको ध्यान होगा, क्योंकि हम जिस विचार को लेकर चलते हैं, उस विचार को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर चलने वाले हैं। हमारा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि उसमें विश्वास करता है। माननीय, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी हर गांव को सड़क से जोड़ना। दूसरी उनकी योजना थी कि नदी से नदी जोड़कर इस देश के किसान को और इस देश को कैसे खुशहाल बनाये। दुर्भाग्य है कि उस समय हमारी सरकार चली गई और वह योजना ठप हो गई, लेकिन उस योजना के समय हमारी इस योजना की चर्चा चली थी। नदी को नदी से जोड़ने का हमारा काम प्रारंभ हुआ और ईआरसीपी की चर्चा हमने उस समय की थी। लेकिन उसके तुरंत बाद केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार और 2008 में भी कांग्रेस की सरकार रही।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

2013 में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी की सरकार आई। उसमें हमने ईआरसीपी का निर्णय लिया कि 13 जिलों को इसमें जोड़ा जायेगा और दोनों राज्यों से समझौता हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन 2018 में हमारी सरकार चली गई। 2018 में हमारी सरकार जाने के बाद मैंने इस सदन के भाषण में भी सुना और भाषणों में भी सुना, सिर्फ पूर्वी राजस्थान की

जनता को एक धोखा देने वाली बात थी। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई काम किया हो तो वह बताइए। आपने कोई एमओयू किया हो तो वह भी बताइए। आपने उसमें आगे बढ़कर कोई काम किया हो तो वह भी मुझे बताइए। गत सरकार ने ईआरसीपी पर पूरे पांच साल राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हमने डेढ़ महीने में एमओयू कर जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर इसकी बुनियादी नींव डाल दी। इसलिए कहते हैं कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। अब हम ट्रिपल इंजन की सरकार में ईआरसीपी के सपने को हकीकत में तब्दील करेंगे। कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया और इसके साथ ही जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम किया है। मेरे पास पूरे दस्तावेज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहेंगे कि यहां आपकी सरकार थी, हमारी नहीं थी। पहले तो आप की ही सरकार थी, आप ही के मुख्य मंत्री ने लिख कर दिया कि हम नहीं देंगे। हमारे मुख्य मंत्री तो यहां आकर गये हैं, साथ लेकर गये हैं, समझौता किया है। अगर दोस्ती हो तो ऐसी हो, पार्टी हो तो ऐसी हो। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां आये, साथ लेकर गये कि चलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह एक ऐसी योजना है, जनता उसको याद करेगी, जनता को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई के लिये पानी मिलेगा, आये और एमओयू करके दिल्ली गये। आप कह रहे हैं ऐसा हो गया, इससे तो यह हो गया। आप कुछ नहीं करें तो हम इसमें क्या करें? यह तो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, काम बड़ा नहीं होता है, अगर बड़ा कोई होता है तो उसको ठीक ढंग से, मन से, तन से, हिम्मत से और ईमानदारी से करे तो वह उसकी इच्छा शक्ति होती है और जब इच्छा शक्ति होती है तभी काम होता है। आप लपेटे में आ गये।

Msk/rtm/30.01.2024/1820/3n

मित्रो, मुझे कभी-कभी बड़ा तरस आता है। क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ, लंबे समय पार्टी के लोगों के बीच मैंने काम किया है, लेकिन कभी-कभी मुझे पूरे देश में जाने का अवसर मिला है। कोई एक-दो प्रदेश रहे होंगे, बाकी पूरे देश के अन्दर मैं चुनावों में या वैसे गया हूँ। लेकिन कभी-कभी मुझे बड़ा तरस आता है। आज मैंने हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी को सुना, उन्होंने भी कहा। अगर कोई व्यक्ति है, आपको देख रहा है। आंख बन्द करके पूरी तरह से आप समर्पित हो जाएं, यह आप कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक थी। दूसरा कोई सानी ही नहीं था, कोई राजनीतिक दल। लेकिन आपके नेगेटिव विचारों ने, आपकी विचारधारा ने, आपके उस काम ने, आपके उस असत्य ने, आपने जनता के बीच किये वादे भूलकर, आपको देश से तो हटा ही दिया, मात्र दो-तीन प्रदेश में रह गये और आने वाले समय में क्या होगा, यह भी नहीं पता। केन्द्र में सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, वह किसी प्रदेश में जाकर इस बात को कहे कि मेरे से समझौता कर लो, आप मेरे को पांच ही दे दो, आप मेरे को सात ही दे दो, आज चाहो जितनी रखो, यह क्या स्थिति हो गयी हमारी। क्या हमने कभी इस बात

को लेकर विचार किया? निश्चित रूप से इस बात को लेकर विचार करना चाहिए।

मैं बड़ी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी जिन लोगों ने लड़ी थी, जिनके सपने थे, राष्ट्रवादी लोग, आजादी के बाद उन्होंने देश की राह को ठीक नहीं समझा। उन्होंने मन में सोचा, क्योंकि आजादी से पहले कुछ तो दुनिया से चले गये और कुछ उम्र के पड़ाव पर आ गये, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ देश की स्थिति ठीक नहीं लगी। वह अन्तरिम सरकार थी, कोई चुनाव की सरकार नहीं थी। हमारे भी माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में उद्योग मंत्री थे, लेकिन जब उनको लगा कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? उसमें से भी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनमें से पांच-सात-आठ राष्ट्रवादी लोग निकलकर आये और उन्होंने कहा कि कोई न कोई राजनीतिक दल जरूरी है। 21 अक्टूबर, 1951 को जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रवादी दल बना। यही नहीं, आठ-दस लोगों का था। अगर उनकी नीति ठीक थी, नीयत ठीक थी तो आज वह आठ-दस लोगों का दल, देश की सबसे पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ।

हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता के वादों को भूल जाते हैं। आपके नेता कहते थे, एक बार तो चार एक्स ईएन से सर्वे करा दो, गांव में कह दो एक्स ईएन सर्वे करा दो, बिजली की करा दो, सड़क की करा दो, अगली बार पांच साल बाद सफेदी डलवा दो, पांच साल बाद उसको खुदवा दो, फिर बनवा दो। ऐसे कब तक वोट लेंगे? कब तक करेंगे? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार देखिये। आपको विचार करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि प्रतिपक्ष भी मजबूत हो। देश के अन्दर अच्छा हो, बढ़िया हो, नीतियों में सहयोग करे, काम में सहयोग करे, क्योंकि विरोधी हमारी ताकत होता है। अगर विरोधी नहीं होगा तो हमारी कल्पना में भी अन्तर आ सकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ... (व्यवधान)... कोई नहीं कल से चालू कर देंगे।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। आप सुन लीजिये। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इसीलिए यह हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं। ईआरसीपी पर आप राजनीति कर रहे हैं। आप को पानी मिलेगा। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य आपको पानी मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा... (व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप सुन लीजिये, आपको भी मिलवायेंगे। चिन्ता मत करिये, आपने हमसे कहा है, आपको भी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वादा पक्का?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): वादा पक्का। आपको मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, सदन के बीच में खड़े होकर कह रहा हूँ कि आपको भी मिलेगा। आप लिख लीजिये। जल्दी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: आपको मिलेगा, आप बैठिये। माननीय सदस्य।

श्री रामकेश (गंगापुर): आप क्या समझौता करके आए हैं, यह बता दीजिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप बैठिए। आपको पूरा बताऊंगा। कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आपको पूरा बताऊंगा। पूरा बताऊंगा और लाभ बताऊंगा। चिन्ता मत करिये।

श्री अध्यक्ष: विराजें, पूरा सुनिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले ही मेरे वाक्य में कहा कि मैं किसान पुत्र हूं और किसान पुत्र भी छोटा। अन्तर इतना है कि मैं खेत कहता हूं और खेती है, आपके फार्म हाउस है। अन्तर है। आप बात तो कह सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं जा सकते। हकीकत वह जानता है, जिसके पैर में बिवाई फटती है। जो उन गरीबों के पास रहा हो, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीब का सहयोग किया है। जिसने उस किसान को देखा है। मैं तो काम करने वाला आदमी हूं। अभी जाता था तो खेती में काम करता हूं। मेरे पिताजी 80 साल के हैं, लेकिन वे काम करते हैं, किसान आदमी हैं। हम जाते हैं, मैंने किया है। ट्रेक्टर तो बाद में चला है, पहले मैंने हल चलाया है, बैल का। मेरे जीवन में चलाया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बैल नागौर का।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नागौर का ही है। आप सही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं। मैं नागौर में लेने भी गया हूं। मालगाड़ी में बैठकर आया हूं। नागौर में परबतसर के मेले में बैल लेने गया हूं और मालगाड़ी में बैठकर आया हूं। गाड़ी में नहीं, मालगाड़ी में बैठकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय मुख्य मंत्री जी। आगे वर्णन करिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गंगापुर से आने वाले हमारे माननीय विधायक जी कह रहे थे। मैं कच्चा समझौता नहीं करता, क्योंकि किसान के दर्द का मुझे पता है। मैं 40 फीट गहरे गड्ढे में नीचे उतरा हूं, मैंने हवा काटी है। मैं वहां से निकलकर आया हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): कल की बात छोड़ दीजिये। मैं वहां से निकलकर आया हूं। उसमें से मैं निकला हूं। दिन में दस बार गया हूं, दस बार बाहर आया हूं। मैंने देखा है। डोटासरा जी, आप मजाक कर रहे हैं। आपके तो नौकर लगे रहते होंगे। हम तो खुद ही करने वाले और खुद ही नौकर हैं। आप चिन्ता मत करिये। आपके यहां नौकर रहते होंगे, इसलिए आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो खुद ही करने वाला हूं। यही स्थिति है। आपने गरीबों का इसी तरह से मजाक किया है। ... (व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ... (व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपने किसानों की, मजदूरों की हंसी उड़ाने का काम किया है, इसलिए आज आपकी यह स्थिति है। आप सिमट कर रह गये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आप किसानों के प्रति वफादार नहीं हो। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपने सर्वदलीय बैठक में निर्णय होने का.. क्योंकि जनवरी, 2023 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम श्री कमलनाथ जी ने सी.डब्ल्यू.सी. को पत्र लिखकर ईआरसीपी का विरोध किया। वह पत्र आपके पास नहीं है तो मैं दे दूँ। उन्होंने जो विरोध किया था, वह पत्र आपके पास नहीं हो तो मैं दे दूँगा। उन्होंने विरोध किया है। सर्वदलीय बैठकों में निर्णय होने के बाद भी तत्कालीन सीएम ने सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में अधिकारियों और सीएस को भी जाने से रोका। गये नहीं। बैठक में चले जाते, क्या दिक्कत आती? वह तो सभी की होती है। देश के लिए काम था। राज्य की भलाई के लिए काम था। सी.डब्ल्यू.सी. लगातार पत्र लिखता रहा, लेकिन इनके कान पर जूँ तक नहीं रेंगी, कुछ नहीं किया।

MDP/Rtm/30.01.24/1830/3o

आप सुनिए। आपको पानी नहीं पिलाना चाहते थे, गंगापुर से आने वाले विधायक जी को। आपको मैं ही पानी पिलाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ये सरकार पानी पिलाएगी। पानी, नल से जल। आप पानी की बात मत कीजिए, नल से जल।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): राजनीति में पानी पिलाने का मतलब दूसरा होता है, किसकी बात कर रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं नल से जल की बात कर रहा हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं नल से जल की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक चाहे बजट भाषण हो, चाहे माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हो, ई.आर.सी.पी. का जिक्र इसमें जरूर किया गया है। जिक्र की कभी फिक्र नहीं गयी। जिक्र रहा, फिक्र नहीं हुई। ई.आर.सी.पी. को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा इसके समाधान की मंशा कभी नहीं रही। आपकी मंशा कभी नहीं रही। सिर्फ आप इसको इश्यु बनाना चाहते थे। आपको मैं आगे और भी बताने वाला हूँ। आपके मन की आशंका और शंका, इसके बाद भी रहे तो फिर आ जाना, फिर बता दूँगा आपको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको रात भर ही बोलना है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप बैठिए। मुझको समय दिया है। मैं करूँगा, आपको जाने की जल्दी है क्या?

मैं वही कह रहा हूँ आपसे। डबल इंजन नहीं, आप कह रहे थे डबल इंजन, मैंने इसलिए कहा है। मैं डबल इंजन की तो कह रहा था। अब ये डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन हो गया। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन है कि सरकार अब ई.आर.सी.पी. के सपने को हकीकत में बदलेगी। दो सरकार साथ-साथ में काम करेगी। एक केन्द्र की सरकार हमारा पूरी तरह सहयोग देगी। आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था, कोई कह रहे थे, टेम्पो है। माननीय विधायक, बहुत सीनियर हैं। गये, उनको पता था क्या होना है, इसलिए गये। वह कह रहे थे

टेम्पो, मैं सुन रहा था। मैं उन पर भी आ रहा हूँ, उनका भी होगा आगे।

समझौते में राजस्थान राज्य हेतु, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में जो बैराज है, एक बात बताइए, आप मेरे से कह रहे थे, कई लोगों के प्रश्न थे, डाक्टर साहब से कह रहे थे, पानी आना है उधर से और इधर जाना है। बड़ा बांध इधर है, बड़ा बांध उधर है। नीचे की तीन बांधों में होकर जाना है तो क्या उसके लिए पाइप लाइन डालकर ले जाएंगे आप? कैसे ले जाएंगे आप? जाएगा तो उन तीनों बांधों में होकर। जब आपको यह पता है कि इस बांध से उस बांध से जाने में तीन बांध बीच में आते हैं तो उनका जिक्र करना आवश्यक है क्या? आप बता दीजिए मेरे को। यहां से खेत में पानी जाता है, उस मेड तक जाता है तो वह खेत में होकर ही जाता है। इधर-उधर तो नहीं जाता कि दूसरी जगह से ले आएं। जाता है क्या डोटासरा जी? आप ही बताइए। आपके लोग यह कह रहे हैं कि इस बांध का नहीं, उस बांध का। रास्ते में जो बांध पड़ रहे हैं, वह तो भरने वाले हैं। उनका नाम इसमें डालकर क्या फायदा है? आप बताइए डालना है क्या? अगर संख्या बढ़ानी है तो हम तो डाल देंगे। हमें क्या दिक्कत आ रही है। हमारे तो है उसमें। ... (व्यवधान)... मैं आपको पूरा बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष: आप संक्षेप में बता दीजिए इनको।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप सुनिए। ई.आर.सी.पी. द्वारा राजस्थान के 13 जिले हैं, आपका भी अगर बता दूं, आपने कितने जिलों की बनायी थी, सुन लिया, तीन जिलों की बनायी थी। उसमें पैसा कितना 500 करोड़, उसको भी दिखा रहे थे। क्या कर रहे थे? जल जीवन के पैसे लगा दिये। कुछ इधर गये, कुछ उधर गये ... (व्यवधान)... यही तो कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 13 जिले हैं, 13 जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इतना तो मैं जानता हूँ। मेरे से कहा कि ऐसा होना है, मैंने कहा नहीं होना है, हमारी शर्तों के हिसाब से होना है। ये हमारी शर्तों के हिसाब से हुआ। हमने कहा 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी हम लेंगे, 2 लाख 80 हजार। यही नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ।

श्री रामकेश (गंगापुर): सर, पानी कितना मिला? कितना एमसीएम होगा?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपको कितना चाहिए, आप ये बता दीजिए। आप मुझको लिखकर दे दीजिए। आपको जब पता ही नहीं है कुछ। आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। आपके कोई जानकार हो, उनको पूछ लीजिए। आप हमको बता दीजिए। उससे ज्यादा ले लेना हमसे आप। बताइए आपको कितना चाहिए? कमाल की बात कर रहे हैं। पानी की बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान)... कोई हमसे धोखा कर सकता है? किसान है हम। 3510 से ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, आज आपसे कह रहे हैं। यही नहीं, आगे और नहीं जोड़ना है क्या हमें? आप तो यहां गंगापुर रह जाते हैं। हम तो भरतपुर रहते हैं। हमारे तो घना को भी पानी चाहिए उसमें से, हमें तो सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए, हमें तो रामगढ़ बांध भी भरना है। रामगढ़ बांध से कितना जाता है, वह भी देख लीजिए। हमारा जो समझौता है, जो पूर्ण रूप से है, वही समझौता है। आप लोगों में गलतफहमी मत फैलाइए। जितना है, उतना

ही आएगा, उतना ही लेंगे। ... (व्यवधान)... बता दिया। 3510 है, उससे ज्यादा मिलेगा। आप क्या बात करते हैं? यह समझौता आपने नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आप देखिए, ये ऐसे बात कर रहे हैं कि ये समझौता हमने किया था, आपने ऐसा कर दिया। आपने क्या कर दिया? ये हमारा ही था, हम पर जितना है, उतना ही करेंगे। आप कौन होते हो, आप क्यों पूछ रहे हो, किसलिए पूछ रहे हो, क्या किया है आपने? हमारा था, जितना है जितना लेंगे। जितना है, जितना छोड़ेंगे, तुम क्यों? क्या बात करना चाहते हैं? मैं आपको जवाब देता। एक मिनट मेरी सुनिए, मैं आपको जवाब देता। आप मुझसे इस बात को कहते कि हमारी योजना थी। हमने इतने की योजना बनायी, आपने उसमें से इतना पानी छोड़ दिया, आपने इतना क्यों नहीं लिया? हमारी थी, वह हमने बता दी, आप कह रहे हैं ठीक है साहब, ये ही ठीक है, क्यों आपने कोई योजना बनायी क्या? आपने कुछ बनाया क्या? मैं तो अब कह रहा हूँ आपसे, आप मेरे को अब बता दीजिए कितना चाहिए, वह दे देंगे आपको। क्यों चिंता करते हैं? आपको बता दिया, कितनी बार पूछेंगे आप? सारी चीजें बता दूंगा आप आ जाना। कितना चाहिए, उतना बता देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ विजन एवं संकल्प पत्र

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज समाप्त हो जाएगा क्या?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): बीच में अगर आप बोलेंगे, अगर एक मिनट का गेप आएगा, तो वह आगे सात मिनट का नुकसान तो करेगा ही। यह तो आप मान लीजिए। मैं एक बात और बता दूँ कि मैं तो पहली बार आया हूँ और आपके बीच में बात रख रहा हूँ। कम समय ही ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, ... (व्यवधान)... ये परेशान हो रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं?

Ans/rtm 18.40 3p 30.01.2024

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने सेवा में आते ही प्रदेश की जनता से किए अपने वादों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। हम वह नहीं है, घोषणा वाले, सिर्फ घोषणा करके घोषणा करनी है, आगे क्या होगा, क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जो वादे किए हैं, उन वादों को हमने प्रारम्भ कर दिया है। आपणों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र ... (व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भी 75 साल के हैं, यह भी अब तो उकता गए। ... (व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): सरकार की नीति के दस्तावेज....

श्री अध्यक्ष: सुनिए ... (व्यवधान)... अभ्यास है मेरा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को हम प्राथमिकता से लागू करने का काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में सब गरीब परिवार की महिलाओं को हमने वादा किया था गरीब महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर देने का। अध्यक्ष जी, हम भी इंतजार कर सकते थे। हम भी कह सकते थे कि एक महीने बाद देंगे। हमारी सरकार बनने के आठ दिन बाद ही हमने फैसला ले लिया और हमने कह दिया कि एक जनवरी से हम 73 लाख परिवारों को गैस सिलेण्डर देने का काम करेंगे। एक जनवरी से प्रारम्भ हो गया है। ...(व्यवधान)... 450, तेल डालो थोड़ा। 450...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने एक बार 150 ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नहीं-नहीं 450 कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और मेरे सदस्यों ने उसका जिक्र भी किया है कि हमारी सरकार ने नाम बदलने का काम किया है। हमारी 2013 से जो सरकार थी उसमें हमारी इस रसोई का नाम क्या था ...(व्यवधान)...

सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: अन्नपूर्णा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): क्या नाम था?

सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: अन्नपूर्णा रसोई।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): लेकिन नाम बदलने का काम किसने किया?

सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: इन्होंने।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): और आरोप किस पर लगा रहे हैं?

सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: हम पर। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गांव का आदमी हूँ, पहले भी कहा है। आपको पता होगा, ...(व्यवधान)... हां तो बहन जी, आपको भी कह रहा हूँ, आप भी जानती होगी। पहली बार आषाढ के महीने में बारिश होती है, आषाढ या कहीं जेठ। कहीं आगे कहीं पीछे हो जाती है। ...(व्यवधान)... आषाढ ही माना जाता है ना। बारिश होती है, किसान जब घर से पूजा करके उस बीज को लेकर जाता है, जब खेत के अन्दर पहुंचता है तो वह धरती मां को प्रणाम करता है। तीन बार प्रणाम करता है। वह कहता है कि हे धरती मां, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसमें मेरे बाल-बच्चे, मेरा परिवार, आया हुआ मेरा अतिथि, आया हुआ साधु-संत, महंत, नट भाट, काम करने वाले पशु-पक्षी, हे ईश्वर, हे मां, हे अन्नपूर्णा मां आप सबको देना। पहला बाट होता है उसका। पहला बाट होता है उसका, आप भूल गए। आप भूल गए, क्योंकि हम जब ऊपर पहुंच जाते हैं, तो नीचे की बातें हमें ध्यान नहीं रहती। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, अमेरिका में वह एक संग्रहालय में पहुँचे, उन्होंने देखा यह मूर्ति किसकी है, तो कहा कि इस पर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा। बोले अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां संग्रहालय में कैसे हो सकती है, इसका तो

यहां से कहीं दूर-दूर तक लेना देना नहीं है। मोदी जी ने पता लगाया, पता लगने के बाद मालूम हुआ कि 106 वर्ष पहले वह चोरी हो गई थी। अन्नपूर्णा मां की मूर्ति बनारस, वाराणसी बाबा के मन्दिर से चोरी गई थी, यह जानकारी मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी उस अन्नपूर्णा की मूर्ति को लेकर आए और भोलेनाथ के बगल में उसका पदार्पण करने का काम किया। हम वह लोग हैं, हमारी पहचान, हमारी हजारों साल की संस्कृति जिससे जुड़ी हुई है। कभी किसी की बात आती है, तब वोट के कारण हम अपनी संस्कृति को भी भूल जाते हैं।

आप कहते हैं राम कहाँ है। राम तो रोम-रोम में है। राम सबके हृदय में है। आज भी, आपका सावा कुछ भी हो, लेकिन अगर पंडित जी से पूछोगे तो आपके उस पीपे, घी और सामान को दो महीने अन्दर करा देता है। वह कहता है आपके बच्चे या बच्ची की शादी नहीं बन रही है, आप शादी नहीं करते हैं और आप दो महीने इंतजार करते हैं, अच्छा सावा आता है तो करते हैं। ... (व्यवधान)... कुछ लोग है जो कर रहे हैं, उनकी स्थिति दूसरी है।

मित्रो, मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि इस अन्नपूर्णा रसोई का नाम हमारा था, हमने कौनसा गुनाह कर दिया। हमने श्री अन्नपूर्णा का नाम दिया। श्री अन्न, हमने कहा है श्री अन्न, मोटा अनाज, मिलेट्स, आज पूरे देश में उसकी चर्चा है, विदेशों में चर्चा है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री अन्न की सबसे ज्यादा पैदावार राजस्थान में होती है। आपने ऐसे कर दिया, नाम बदल दिया, नाम नहीं बदला। आप 400 ग्राम देते थे, पेट भी नहीं भरता था, दूसरी थाली लेता था वह खपती नहीं थी, उसके पैसे बेकार जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास पूरी सूची है। ग्रामीण क्षेत्र में 01 हजार 900 इंदिरा रसोई, शहरी क्षेत्र में 01 हजार इंदिरा रसोई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या उनकी संख्या में घटा बढ़ी नहीं हो सकती है क्या? गाँवों में आपने जो दिखा रखा है, जांच करा लीजिए। गांव का आदमी तो वह व्यक्ति होता है कि आने वाले 10 हो, 15 हो 20 हो या 80 हो, उनको सबको खाना खिलाकर भेजता है। ... (व्यवधान)... उसमें भी एक बात आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बात आती है। संख्या उतनी ही है। 100 की संख्या निर्धारित है क्या, कभी 90,95 या 101,102 या 105 नहीं हो सकते क्या? इंदिरा रसोई का काम ऐसे लोगों को दे रखा है जो उसमें भी ... (व्यवधान)... हमने कहा है, मैं आपको बता दूँ, आप देख लेना। फोटो, अगर आपके पास नहीं तो मैं बता दूँगा। फोटो से फोटो, उसमें यह तय है कि आदमी खाना खाता है तो खाते हुए आदमी का फोटो लेकर भेज दो। फोटो से फोटो खींचकर। उसने फोटो बता दिया, अपने पास रख रखी है। किसी का फोटो खींचा, भेज दिया, क्या स्थिति हो रही है, क्या देना चाहते हैं। आस पराई जो करे, जीमत ही मर जाए। अगर आपकी इसी आस पर, राजस्थान की जनता की इस आस पर जी रहा है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कोई भी हो, यह घालमेल तो नहीं चलने वाला है, आप याद कर लीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, प्रदेश में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना में 06 जनवरी, 2024 से भोजन सामग्री का वजन 450

ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया है। प्रति थाली राजकीय अनुदान 70 रुपये था, हमने 22 रुपये बढ़ाया है, उस पर भार नहीं डाला। इंदिरा रसोई में हो रहे भ्रष्टाचार और चोरी को भी रोकना हमारा काम है, उसको भी हम रोकेगे।

VPS-RTM-30.01.2024-18.50-3q

आपने यह देखा होगा कि देश के अन्दर एक बार जो स्थिति पैदा हुई थी, हम भी छोटे-छोटे थे, हमने भी उसको देखा है। ज्यादा छोटे थे लेकिन इतने छोटे थे कि हमको वह ध्यान है। 25 जून, 1975, हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द किया, देश में इमरजेंसी लगा दी गयी थी। इमरजेंसी में जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, राजनीति वाले लोग थे, पत्रकार थे, उन सबको बंद कर दिया गया था। उनके परिवार नष्ट हो गये क्योंकि वे एक दिन नहीं रहे जेलों में। कोई पन्द्रह महीने, कोई सत्रह महीने, कोई 19 महीने, कोई 21 महीने, इस तरह से वे रहे। भाई, ज्यादा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप तो जेल से इतने डरते हैं, हम भी डरते हैं, सभी डरते हैं तो उनको क्या जेल से डर नहीं लगा? उनके परिवार ने क्या यह परिस्थिति नहीं झेली? अगर आप कोई दो दिन के लिए, पांच दिन के लिए घर से निकल कर चले जाते हो तो परिवार उथल-पुथल हो जाता है, परिवार की व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। उन लोगों ने दो-दो साल तक जेल में बिताये हैं, उन लोगों का क्या हुआ? उन लोकतंत्र सेनानियों को, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को हमने 20 हजार रुपये मासिक पेंशन और चार हजार रुपये भत्ता ... (व्यवधान)... देने का काम किया है।

माननीय यशस्वी प्रधान मंत्रीजी की भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत राजस्थान में भी काम हुए हैं। आपको यह ध्यान होगा कि 16 दिसम्बर से लेकर 26 जनवरी तक पूरे राजस्थान के अन्दर कैम्प हुए हैं। माननीय यशस्वी प्रधान मंत्रीजी का सपना, कोई भी गरीब व्यक्ति जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो, उसकी समीक्षा भी हो और उस योजना का लाभ नहीं मिला, उस व्यक्ति को लाभ भी मिले, यह काम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अन्दर हुआ है। इसमें 11900 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर यह आयोजन हुआ है। 106 कैम्पों में 2 करोड़ 66 लाख व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच की गयी है जो कि देश में प्रथम राज्य है।

पी.एम. सुरक्षा बीमा योजना में 8 लाख 25 हजार को मिला है और पी.एम. जीवन ज्योति बीमा में लाभ मिला है 4 लाख 76 हजार। हमें बीमा में इसका लाभ मिला है। पी.एम. सुरक्षा में 8 लाख 25 हजार का मिला है। इन योजनाओं में प्रदेश पहले पायदान पर है। यशस्वी प्रधान मंत्री मोदीजी के मार्गदर्शन में हमारा विजन होना चाहिए कि राजस्थान 2047 तक एक समृद्ध, विकसित, समावेशी राज्य बने। विकसित भारत 2047 के साथ कदम-ताल मिलाते हुए देश का यह अग्रणी राज्य बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब तो छोड़ दो, साहब।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): अब तो सुनते जाओ न अभी तो, अच्छा तो आयेगा

अभी। अच्छा तो आयेगा अभी। अच्छा तो आने वाला है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, हो गया।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपको पांच साल सुना है जी, आपको पांच साल सुना है जी। ...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: आप मेरी चिंता मत करो। बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपको पांच साल सुना है जी। हमने सौ दिन की हमारी कार्य योजना बनाई, अब ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, बस हो गया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अब जल्दी ही समाप्त हो रहा है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हमने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र और विकास के प्रत्येक आयाम पर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

श्री अध्यक्ष: वाइंड अप ही कर रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हमने सेवा में आते ही इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना बनाई है। कृषि के क्षेत्र में गांवों की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 100 दिन में ग्राम पंचायत स्तर पर 3500 पी.एम. किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। किसानों को पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए आगामी तीन माह में पी.एम. कुसुम योजनान्तर्गत पांच हजार सोलर पम्प स्थापित किये जाएंगे।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक लाख, ...(व्यवधान)... आप सुनिये। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक लाख वंचित किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। गत एक माह में पचास हजार नये किसानों को जोड़ा जा चुका है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिये, राजनीति में प्रतिस्पर्धा हो सकती है कि कहीं एक दूसरे दल के हिसाब से कोई बात आ सकती है, लेकिन हम यह जनता के साथ अगर नीचे उसको उतारेंगे तो वह ठीक नहीं है।

हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बार बार केन्द्र ने आपको यह चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, स्मरण करवाया कि जिन किसानों के पिता का स्वर्गवास हो गया है, उनके एक हो, दो हो, तीन हो, जो पुत्र होते हैं या पुत्रियां होती हैं तो हमने बारबार यह स्मरण करवाया, केन्द्र सरकार का पत्र आया कि जल्दी से उनका नामांतरण खोलिये, उनकी सूची भिजवाइये तो आपने कोई सूची नहीं भिजवाई, किसानों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पचास हजार नये किसानों को जोड़ा जा चुका है, यह मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूं। पशुपालकों के हित के लिए एक लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाएंगे।

राजकीय विद्यालयों में एक हजार कक्षाओं का निर्माण पूर्ण किया जायेगा। मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना,

परित्यक्ता मुख्य मंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना के अन्दर एक लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में एक करोड़ पात्र सदस्यों को कार्ड दिये जाएंगे। समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मन्दिर कर इन पर वेलनेस गतिविधियां प्रारम्भ की जाएंगी तथा 75 हजार स्वास्थ्य मेलों का आयोजन तीन माह के अन्दर किया जाएगा। पी.एम. स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में 11 हजार आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किये जाएंगे।

स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण के अंतर्गत आठ हजार गांवों को ओ.डी.एफ. प्लस बनाया जा रहा है। जनता जल मिशन के अंतर्गत डेढ़ लाख घरों में जन कनेक्शन दिया जाएगा। मेरी सरकार का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब कितना है?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): बस, अब ज्यादा नहीं है, एक और है। आप बैठिये। बैठिये। मेरी सरकार का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है, हम सच्ची आलोचनाओं, समालोचनाओं का सदैव स्वागत करेंगे। हम बिना किसी पूर्वाग्रह के समस्त सुझावों एवं पूर्व में लागू योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें अधिक बेहतर बनाकर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

हर स्तर और हर जगह से प्राप्त जन कल्याण के लिए, जनता को तत्काल राहत देने वाली और दीर्घकालीन दोनों कार्य योजनाओं पर बिना वक्त गवायें हमने काम शुरू कर दिया है। जन-कल्याण के वास्तविक मुद्दों से जुड़े सुझावों का हमेशा हम स्वागत करते हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि कभी-कभी हमारे मन में बात आ जाती अहम् की, अहंकार पैदा हो जाता है और वह इस बात का हो जाता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। यही मैं बराबर देख रहा था सदन में कि यह होड़ लग रही थी कि ये कितनी बार खड़े हुए और मैं कितनी बार खड़ा हुआ हूँ। उनके मन में यह बात आती है कि मैं सदन में ज्यादा समझता हूँ, मैं मेरी बात ज्यादा अधिक अच्छी तरह से कह सकता हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि बात को जोर से रखने में, बार बार रखने में उसका इम्पेक्ट नहीं आता है। अगर आपकी सही बात है तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ और मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती है। अनुभव कभी भी आ सकता है और अनुभव यह भी नहीं है कि मैं पूर्ण हो गया। पूर्ण कोई भी नहीं है। हम और आपमें से कोई भी पूर्ण नहीं हैं क्योंकि मैं सारी बातों का जानकार हूँ और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी वह दस साल का, बारह साल का, पन्द्रह साल का वह नौजवान ऐसी बात कह देता है कि जो हमारे और आपके अनुभव से काफी दूर है।

PCS-RTM-30.1.2024-19.00-4a

इसलिए मैं आपसे और आम जन से भी कहना चाहता हूँ। आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, अच्छा सुझाव हो, यह सरकार जन-जन की है, आपकी है, हर सुझाव को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

भारत की आजादी के अमृत काल के काल खण्ड में हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने हमारे देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के रूप में देखने का सपना देखा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान की योजनाएं बनती हैं। मैंने अधिकारियों की मीटिंग में भी यह कहा। योजनाएं बनती हैं। पांच साल, पांच साल, पांच साल। योजनाएं पांच के लिए नहीं, योजनाएं 25 और 30 साल की बननी चाहिए। आज ये पाइप उखड़ रहा है, आज यह हो गया। आगे आने वाले समय में आप कैसे काम करेंगे? हमारी योजना आगे का विजन देखते हुए बननी चाहिए। हमारा किस तरह से रोड मैप आगे चलने वाला है, जनसंख्या के आधार पर हमारा विजन होना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। काम चरणबद्ध तरीके से हो जाए लेकिन काम का विजन बड़ा होगा तो हमारा उद्देश्य भी बड़ा होगा। हमारा काम भी बड़ा होगा। योजनाएं हमारी ठक प्रकार से रहेंगी। योजनाओं की क्रियान्विति चरणबद्ध तरीके से तय कर सकते हैं। यह तय कर सकते हैं कि इतने समय में यह और इतने समय में यह, लेकिन योजनाएं जब तक बड़ी नहीं बनायेंगे, हमारा विकास जो हम चाहते हैं, वह नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी लम्बी दूरी की योजनाएं बनें।

हम वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ करते हुए नीतियों का नव-निर्माण कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लायेंगे और सुशासन भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का ध्येय, माननीय प्रधान मंत्रीजी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जैसा मैंने कहा, हासिल कर प्रदेश की प्रगति समावेशी विकास को नई ऊंचाइयां देंगे।

अन्त में मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप और हम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही सपना है। अपने राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बना कर देश में नम्बर एक स्टेट बनाना। इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। मुझे आशा है कि आप प्रदेश की समृद्धि, प्रगति और विकास के लिए हमारा सहयोग करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो करेंगे साहब।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी कहते हैं कि देश और समाज में चार ही जातियां हैं। गरीब, युवा, महिला और किसान। इसमें सभी समाहित होते हैं। आइये, हम सब इनके उत्थान के लिए एकजुट होकर काम करें तभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र कारगर होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नरेन्द्र मोदीजी द्वारा दी गयी गारंटी और संकल्प पत्र में किये गये वायदों को भी पूरा करने के लिए मैं कुछ आपके बीच में मोदीजी की गारंटी और हमारे संकल्प पत्र की कुछ बातें रख रहा हूँ। जबाव देने के लिए तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के कई बिन्दु हैं। मुझे लगता है कि दिन में नहीं, ये रात

में ज्यादा घूमते हैं। कहते हैं कि मैं टहलने जाता हूँ। रात में टहलने जाते हैं? अच्छा? क्या जासूसी की आदत तो नहीं लग रही है? पुरानी आदत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक बात है साहब, आपने लोहा मनवा दिया। ये दो तीन जो उदास हो रहे हैं न...(व्यवधान)... इनको नींद नहीं आयेगी आज।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मेरे पास कहने को और जबाब देने को बहुत कुछ है। आप इतने से ही परेशान हो गये। ...(व्यवधान)...

देखिए, मैंने एक बात आपके सामने रखी थी। एक बात और कहना चाहता हूँ। देश के अन्दर राजनीतिक पार्टियाँ और राजनेता की ओर से जनता का विश्वास उठने लग गया है। आप मानें या नहीं मानें, लोग नेता के बारे में क्या-क्या सोचते हैं और राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या-क्या सोचते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल कोई भी हो, राजनेता कोई भी हो लेकिन राजनेता और किसी राजनीतिक दल की साख गिरती है तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा काम, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। हमारी गलतफहमी है। हमको सब देख रहे हैं। एक और मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोगों को भ्रम भी होता है और वह भ्रम यह होता है कि जब हमको दिक्कत आती है तो हम ईश्वर के यहां जाते हैं। ठाकुरजी के पैर पकड़ते हैं, कोई हनुमानजी के पकड़ता है, कोई भौमिया बाबा के पास जाता है, कोई कहीं जाता है, दुर्गा माताजी के पास जाता है और फिर जाकर यह कहते हैं, इसलिए जाते हैं कि हमें परेशानी है, हमारे दुखों का हरण करेगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर वह आपकी पूजा को देख रहे हैं, आपके दुःख को भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं तो हमारे गलत काम के लिए आँख बन्द कर लेते हैं क्या? न जनता आँख बन्द करती है और न जिसके प्रति हमारा ध्येय और विश्वास है, वह ठाकुरजी भी आँख बन्द नहीं करता है। हम हमारे अहम में, हम हमारे वहम में कई चीजें ऐसी करने लग जाते हैं जिनकी स्थिति अपने आप में कहते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। देखने वाले बहुत हैं। दस तालों में भी देख रहा है, बीस तालों में भी देख रहा है, आप जहां हैं, वहां देख रहा है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर किया है बदलने के लिए और राजनेता को भी बदलने के लिए मजबूर किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमने किसान भाइयों के लिए जो योजनाएं चालू कीं, वह आपको बता दीं। किसान भाई धोखे से पीड़ित रहते हैं। पिछली बार धोखे से पीड़ित थे। सम्बल देने की दृष्टि से हमने अपने संकल्प पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने का वादा किया था। हमने चरणबद्ध तरीके से देय राशि प्रत्येक परिवार को छः हजार रुपये वार्षिक से बढ़ा कर हमने बारह हजार रुपये देने का वादा किया था। इस दिशा में हमने प्रथम चरण में प्रति परिवार देय राशि को बढ़ा कर आठ हजार रुपये कर दिया है। यह हमारा प्रथम चरण है। आप कह रहे हो कि पचास दिन। आप संख्या में कमजोर हैं, गणित में कमजोर है। आज सही डेढ़ महीना हुआ है। आज सरकार को बने हुए 45 दिन हुए हैं।

श्री हरलाल सहारण (चूरु): ये तो तीन महीना बता रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): तीन महीना कह रहे थे? हर लालजी इनको सिखाओ कुछ।

आज 45 दिन इस सरकार को बने हुए हो गये हैं। यह हमारा है। हम इंतजार नहीं करते। चुनाव आयेंगे, हम लोक-लुभावने काम करेंगे। चुनाव आते हैं, गारंटी देंगे, घोषणा करेंगे, लगातार करेंगे। जब गारंटी आपकी नहीं है तो आप जनता को क्या गारंटी दे रहे थे? आपकी गारंटी नहीं है तो जनता की कौनसी गारंटी दे रहे हो आप? अपनी गारंटी पक्की करने के लिए ठीक होता कि आपने जो वायदे किये, पहली साल में ही उनको पूरा करते। पांच साल जनता उसका उपभोग करती तो निश्चित रूप से जनता आपके बारे में विचार-विमर्श करती लेकिन आपने धोखा देने का काम किया। जनता ने उसका आपको जबाव देकर के आपको उधर बैठाने का काम कर दिया।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आठ हजार से बढ़ कर तेरह सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा लेकिन किसान को हमने सम्बल देने के लिए काम किया है। लोग वादा कर जाते हैं, पूरा नहीं करते। हम उस वायदे को पूरा कर रहे हैं और किसान को हम किश्त में दो हजार रुपये बढ़ा कर आठ हजार रुपये कर रहे हैं।

Spp/rtm/30.01.2024/1910/4b

साथ ही, हमने हमारे नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से गेहूँ की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर बोनस प्रदान करने का वादा हमने किया कि हम 2700 रुपये करेंगे। सुन लीजिये 2700 रुपये करेंगे यह वादा किया था हमने हमारे संकल्प पत्र में। इस कड़ी में प्रथम चरण के रूप में अगली फसल रबी की आ रही है। अगर अब नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद फसल आने वाली है। आपको अगर ऐसा मौका मिल जाता तो 20 दिन बाद ही करते, एक महीने बाद करते, फसल चली जाती, उसके बाद अगर कहीं होता तो होता, वो भी नहीं होता। पांच साल नहीं हुआ था। हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। पहली किश्त हमने 125 रुपये बढ़ाने का काम किया है। 2275 से हमने 2400 रुपये करने का काम किया है। इसमें हम 250 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने अभिभाषण में तो 2750 बताया है। ..(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हां, वह करेंगे न। बता रहे हैं न। अभी भी बोल रहा हूँ। अभी बोल रहा हूँ 2750 करेंगे। करेंगे न। चरणबद्ध तरीके से, आपने सुना नहीं क्या? चरणबद्ध तरीके से 125 रुपये किये हैं हमने। आपने तो कुछ नहीं किया, सुन तो लो। हमने जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से ..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ओलावृष्टि हुई और इन्होंने सर्वे करवाया, गिरदावरी करवायी, लोगों को मुआवजा नहीं दिया।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नहीं, हमने तो दिया है। हमने हमारे समय में दिया है। ... (व्यवधान)... वादे ही नहीं किये उन्होंने तो क्या देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठो, बिराजो। श्रवण जी बैठिये। .. (व्यवधान)..

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से हमने वादा किया था 1500 रुपये का मासिक सुरक्षा पेंशन देने का, हमने संकल्प पत्र में कहा इस दृष्टि से प्रथम चरण में वर्तमान में देय 1000 रुपये मासिक पेंशन को आगामी अप्रैल से बढ़ाकर 1150 रुपये, डेढ़ सौ रुपये चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का काम हम करेंगे। 1150 रुपये करने की घोषणा करता हूं। इस पर 1800 करोड़ रुपये का व्यय राजस्थान सरकार पर आयेगा।

माननीय अध्यक्षजी, कभी-कभी यह बात करते हैं, संविधान में संशोधन विधेयक का भी यह विरोध करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आजादी के बाद चाहे वह पाकिस्तान के अन्दर हिन्दू हैं, चाहे अफगानिस्तान के अन्दर सिक्ख हैं, सिक्ख भाई हैं हमारे, इधर बंगलादेश के अन्दर जैन या सिक्ख हैं, वह वहां से प्रताड़ित होकर, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर अपनी जमीन-जायदाद छोड़कर, अपनी इज्जत बचाकर वह अगर देश में आ गये हैं तो उनको विस्थापित करना गुनाह है क्या? नहीं है तो यह इतनी आवाज हो रही है, शाहीन बाग में हल्ला मचा है और हमारे सामने वाली पार्टी ने विरोध करने का काम किया, यह क्या है? मैं आपको यह कहना चाहता हूं वह लोग हमारे हैं, वह लोग अपने हैं, उनका विरोध कैसा? हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अनेकों पाक विस्थापित परिवार जो रह रहे हैं, उनकी कई समस्याएं हैं, हमारी सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये पाक विस्थापित परिवारों के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हुये उन्हें आवास सहित अन्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी। इनके लिये एक विशेष योजना की घोषणा करता हूं। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मेरा मानना है कि अगर मनुष्य अगर ठान लें, हर एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हम प्रदेश को अग्रणी बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की कविता का अंश है।

हैं कौन विघ्न ऐसा जग में,
टिक सके आदमी के मग में?
खम ठोक ठेलता है जब नर,
पर्वत के जाते पांव उखड़।
मानव जब जोर लगाता है,
पत्थर पानी बन जाता है।

मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत होगी, आपका दृढ़ विश्वास मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस राजस्थान का विकास करने में हमारी यह सरकार किसी तरह की कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी जी से बहुत प्रेम है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय जी का जो अभिभाषण था, उसका समर्थन करते हुए मैं मेरी बात को पूरी करता हूँ और कहता हूँ कि मन में विश्वास रखो, कल्पना साकार होगी, राजस्थान आगे बढ़ेगा, हर स्थिति में आगे बढ़ेगा, यह आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दो संशोधन प्रस्ताव आए हैं।

प्रश्न यह है कि शान्ती धारीवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि रफीक खान, सदस्य विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सबको सरकुलेट हो गया।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

प्रश्न यह है कि श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है

(तदनंतर सदन की बैठक 19.17 बजे गुरुवार, 08 फरवरी 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)